लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

19-6-92
26.11.83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20—बुधवार, 1 दिसम्बर, 1965/10 अग्रहायण, 1887 (शाक)

No. 20—Wednesday, *December* 1, 1965/*Agrahayana* 10, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWER TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
565	बुडापेस्ट में हुआ विश्व वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ का सम्मेलन	Conference of World Federation of Scientific Workers held in Budapest	1795–97
566	कानपुर में लोहे की चादरों से भरे माल-डिब्बों को कब्जे में लेना	Seizure of Wagon of Iron Sheets at Kanpur	1797–99
568	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकरण	Separation of Judiciary from Executive	1799–1803
569	"दी क्राइसिस ऑफ इंडिया"	"The Crisis of India"	1803–06
570	मद्य-निषेध	Prohibition	1806–07
591	मद्यनिषेध नीति	Prohibition Policy	1807–09
571	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का समय	Working Hours of Central Government Offices	1810–12
573	प्रवासियों को पुन: बसाने के लिये योजनायें	Schemes for Rehabilitation of Migrants	1812–13
574	चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट	Children's Book Trust	1813–15
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
6	मैसूर राज्य में भुखमरी से मौत	Starvation Death in Mysore State	1816–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
572	धार्मिक स्थानों को क्षति	Damage to Religious Places	1819
575	निजी थैलियां	Privy Purses	1819
576	भारत का उर्वरक निगम	Fertilizer Corporation of India	1820
577	गंगा के मैदान में तेल	Oil in Gangetic Plain	1820
578	प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के साथ संत फत्तेह सिंह की बात-चीत	Sant Fateh Singh's Talks with P.M. and the Home Minister	1820–21
579	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह	Mahatma Gandhi Centenary Celebrations	1821
580	भारतीय नागरिकता के लिये भुट्टो का आवेदन-पत्र	Bhutto's Application for Indian Citizenship	1821–22
581	मेसर्स बैनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Bennet Coleman & Co. Ltd.	1822

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—10 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
582	आसाम से घुसपैठियों को निकालना	Deportation of Infiltrators from Assam	1822–23
583	आसाम में तेल के क्षेत्र	Oil-bearing Structures in Assam .	1823
584	मंत्रियों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Ministers .	1823
585	"समता सन्देश (मध्य प्रदेश के हिन्दी समाचार पत्र) में राष्ट्र-विरोधी लेख	Anti-national Writings by 'Samta Sandesh' (Madhya Pradesh Hindi Paper)	1824
586	अश्लील रचनायें	Obscene Writings . . .	1824
588	कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery	1825
589	तकनीकी और चिकित्सा कालिजों में दाखिला	Admission to the Technical and Medical Colleges . . .	1825
590	मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलनों की सिफारिशें	Recommendations of Chief Justices' Conferences	1825
592	"बर्मा शेल न्यूज" में प्रकाशित मानचित्र	Map Published in 'Burmah-Shell News'	1826
593	तेल शोधक कारखाने	Oil Refineries	1826
594	पंजाब में उप-कुलपति की नियुक्ति	Appointment of a Vice-Chancellor in Punjab	1826–27
अ०ता०प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1590	केरल में नगर कार्य	Municipal Work in Kerala . .	1827
1591	होसदुर्गी (केरल) में मकानों का नष्ट होना	Destructions of Houses in Hosdurgi, Kerala	1827
1592	उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मुकदमे	Cases Pending before Supreme Court	1828
1593	पुरातत्व विभाग	Archaeological Department . .	1828
1594	नजरबन्द संसद् सदस्यों को सुविधायें	Facilities to M. Ps. under Detention	1828
1595	नेहरू स्मारक संग्रहालय	Nehru Memorial Museum . .	1829
1596	नजरबन्द लोगों का पुनरीक्षण	Review of Detenus . . .	1829
1597	दिल्ली पुलिस का मुख्यालय	Delhi Police Headquarters . .	1829
1598	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	Cases Pending in M. P. High Court	1829–30
1599	मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	High Court Judges in Madhya Pradesh	1830
1600	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	1830
1601	मध्य प्रदेश में नया विश्वविद्यालय	New University in Madhya Pradesh	1830
1602	सोवियत दूतावास द्वारा भारतीयों को पुरस्कार	Awards to Indians by Soviet Embassy	1830–31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1603	चिकनाई वाले तेलों (लुब्रिकेटिंग आयल) का उत्पादन तथा आयात	Lubricating Oils Produced and Imported	1831
1604	"ज्ञान सरोवर" का प्रकाशन	Publication of "Gyan Sarovar" .	1831–32
1606	कलकत्ता स्थित पाकिस्तान की चांसरी की विध्वंसक योजना	Sabotage Plan of Pak Chancery, Calcutta	1832–33
1607	माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी शिक्षा	Technical Education in Secondary Schools	1833
1608	दिल्ली में भूमि के दाम	Land Prices in Delhi . . .	1833
1609	दंडाधिकारी के सामने पेश किये जाने से संबंधित नियमों का उल्लंघन	Violations of Rules re : Production Before Magistrates . . .	1834
1610	दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन	Reorganisation of Delhi Police .	1834–35
1611	एस०जे०टी०बी० अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु	Death of a Patient in S. J.T.B. Hospital	1835
1612	सरकारी भेद बताने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action Against Official Leaking Secrets	1835–36
1613	हिंदी सलाहकार समिति	Hindi Salahkar Samiti . . .	1836
1614	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लिमिटेड	Central Government Employees Consumers Co-operative Society, Ltd.	1836
1615	कावेरी नदी क्षेत्र (बेसिन) में खुदाई कार्य (ड्रिलिंग)	Drilling in Cauvery Basin . .	1836–37
1616	स्वर्गीय श्री बटुकेश्वर दत्त के परिवार के लिये सहायता	Assistance to Late Shri B. K. Datt's Family	1837
1617	तेल का मूल्य	Price of Oil	1837–38
1618	बरौनी-कानपुर और बरौनीहल्दिया पाइप-लाइन	Barauni-Kanpur and Barauni-Haldia Pipe Line . . .	1838
1619	बरौनी तेल-शोधक कारखाना	Barauni Refinery	1838
1620	कर्मचारी संस्थाओं की मांगें	Demands of Employees Associations	1838–39
1621	मध्य प्रदेश में पेट्रोल के लिये सर्वेक्षण	Survey for Petroleum in M. P. .	1839
1622	नि:शुल्क तकनीकी शिक्षा	Free Technical Education . .	1839
1623	प्रक्रियागत प्रशासनिक विलम्ब को मिटाना	Elimination of Administrative Delays	1839–40
1624	दिल्ली के दैनिक उर्दू समाचार पत्र में सम्पादकीय लेख	Editiorial in Urdu Daily of Delhi	1840

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1625	इन्दौर में बिना लाइसेंस बन्दूक (गन) कारखाना	Unlicensed Gun Factory at Indore .	1840
1626	एक तिब्बती विद्यार्थी की हत्या	Murder of a Tibetan Student .	1841
1627	रिआयती दरों पर राइफलें	Rifles at Concessional Rates .	1841
1628	मैसूर में खनन कालिज	Mining College in Mysore . .	1841
1629	पंजाब में लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education in Punjab . .	1841
1630	पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमे	Cases Pending in Punjab High Court	1842
1631	पंजाब में प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें	Primary School Buildings in Punjab	1842
1632	"स्लैक कोल" तथा "कोक ब्रीज" का वाणिज्यिक प्रयोग	Economic Utilisation of Slack Coal and Coke Breeze . . .	1842
1633	दिल्ली में अधिसूचित भूमि	Notified Land in Delhi. . .	1842
1634	पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष के लिये अंशदान	Donation to Pak Defence Fund .	1842–43
1635	शेख अब्दुला की श्री जय प्रकाश नारायण के साथ मुलाकत	Sheikh Abdullah's Meeting with Jai Prakash Narain . . .	1843
1636	"इण्डेन गैस"	Indane Gas	1843
1637	राजस्थान में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत	Consumption of Nitrogenous Fertilizers in Rajasthan . . .	1843
1638	सैनिक कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी	Sainik Cooperative House-Building Society	1844
1639	उत्तर प्रदेश में "गन फैक्टरी"	Gun Factory in U.P. . . .	1844
1640	अजमेर में आयोजित "उर्स" में पाकिस्तानियों का भाग लेना	Participation of Pakistanis in "Urs" in Ajmer	1844
1641	भोपाल की छोटी बेगम की निजी थैली (प्रीवी पर्स)	Privy Purse of Junior Begum of Bhopal	1845
1642	कलकत्ता के होटलों में सेवा नियुक्त पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistanis Employed in Calcutta Hotels	1845
1643	भारत सेवक समाज, उड़ीसा	Bharat Sewak Samaj, Orissa .	1845
1644	तिहाड़ जेल की घटना	Tihar Jail Incident . . .	1845–46
1645	वामपंथी साम्यवादियों की नजरबन्दी सम्बन्धी आयोग	Commission on Detention of Left Communists	1846
1646	साबुन के दाम	Prices of Soap . .	1846
1647	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा	Central Secretariat Clerical Service	1846–47
1648	वरिष्ठता सम्बन्धी नियम	Seniority Rules	1847–48
1649	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा	Central Secretariat Clerical Service	1848

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1650	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्क के पद समाप्त करना	Abolition of the Post of U. D. C. in the Central Secretariat Office	1848
1651	आदिवासियों की होम गार्डों के रूप में भर्ती	Recruitment of Adivasis as Home Guards	1848-49
1652	केरल में नजरबन्दियों को सुविधायें	Facilities to Detenus in Kerala	1849
1653	केरल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D. A. to Kerala Government Employees	1849-50
1654	शत्रु के आक्रमणों के विरुद्ध औद्योगिक परियोजनाओं का संरक्षण	Protection of Industrial Projects against Heavy Attacks . .	1850
1655	पंजाब-पेप्सू की संयुक्त वरिष्ठता सूची	Punjab PEPSU Joint Seniority List	1850-51
1656	पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of People from West Pakistan	1851
1657	त्रिपुरा के नज़रबन्दियों की पैरोल पर रिहाई	Release on Parole of Tripura Detenus	1851
1658	केरल में राष्ट्रपति का शासन	President's Rule in Kerala . .	1851
1661	यमुना पुल पर हथगोले का पाया जाना	Discovery of Hand- Grenade on Jamuna Bridge . . .	1852
1662	दिल्ली के नागरिक निकायों के बीच झगड़ा	Disputes between Civic Bodies of Delhi	1852
1663	दिल्ली के लिये योजना के अन्तर्गत नियत अप्रयुक्त राशि	Unspent Plan Allocations for Delhi	1852
1664	असिस्टेंन्ट ग्रेड परीक्षा, 1965	Assistants' Grade Examination, 1965	1852-53
1665	पूर्वी पाकिस्तान से आना	Migration from East Pakistan .	1853
1666	आन्ध्र प्रदेश के नज़रबन्दी द्वारा पत्र	Letters by Andhra Pradesh Detenue	1853-54
1668	छात्रवृत्तियां	Scholarships	1854
1669	राजस्थान में शिक्षा पर व्यय	Cut in Expenditure on Education in Rajas-than	1855
1670	मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम	Petroleum in Madhya Pradesh .	1855
1671	चिकनाई वाले तेलों को पुनः साफ करना	Re-Refining Lubricating Oils .	1855-56
1672	किशोर अपचार विषयक गोष्ठी	Seminar on Juvenile Delinquency .	1856
1673	पंजाब में गस	Gas in Punjab	1856
1674	कारों का जाली पंजीयन	Fake registrations of Cars . .	1856-57
1675	हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिस्टों के वेतन क्रम	Pay Scales of Hindi and English Typists	1857

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1676	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेब कतरा जाना	Pick Pocketing at New Delhi Railway Station	1857–58
1677	एम० ए० में सेना विज्ञान (मिलिटरी साइन्स) की पढ़ाई	Teaching of Military Science in M.A.	1858
1678	अफ्रो-एशियाई विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Afro-Asion Students	1858
1679	उत्तर प्रदेश में शिक्षा योजनायें	Education Schemes in U. P. . .	1858–59
1680	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission	1859
1681	मंत्रालयों में अनुवाद कार्य	Translation work in Ministries .	18
1682	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate .	1860
1683	दिल्ली में उपनगरीय असैनिक फोर्स	Suburban Civil Force in Delhi .	1860
1684	कुछ पत्रकारों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti-national Activities of certain journalists	1860
1685	आसाम में काम करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak. Nationals working in Assam .	1861
1686	सहायकों तथा उच्च श्रेणी के क्लर्कों के रिक्त स्थान	Unfilled Posts of Assistants and U.D.Cs.	1861

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— / Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—

28 नवम्बर, 1965 को पांचरा में साइथियां अंडाल छोटी गाड़ी और एक माल गाड़ी के बीच हुई टक्कर— / Collision between Sainthia-Andal Light Train and a goods train at Panchara on 28th November, 1965—

श्री यशपाल सिंह	Shri Yash Pal Singh . . .	1861
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	1861–62

सभा-पटल पर रखे गये पत्र / Papers Laid on the Table . . 1862–64

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव— / Motion re : (i) Food Situation, and (ii) Situation arising out of Draught Conditions—

श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	1869–72
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo. .	1873–75

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्रीमती जयाबेनशाह	Shrimati Jayaben Shah .	. 1875-76
श्रीमती विमला देशमुख	Shrinaji Vimlabai Deshmukh	. 1876
श्री लहरी सिंह	Shri Lahri Singh	. 1876-77
श्री गहमरी	Shri Gahmari .	. 1877-78
श्री श्रीनारायणदास	Shri Shree Narayan Das .	. 1878
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	. 1878-80
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	. 1881
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas . .	. 1881-82
श्रीमती यशोदा रेड्डी	Shrimati Yashoda Reddy .	. 1882-83
श्री श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	. 1883-84
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao .	. 1884-85
श्री मलाइछामी	Shri Malaichami . .	. 1885-86
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda.	. 1886-87
सीमावर्ती सड़कों के बारेमें आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re : Border Roads	
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	. 1887-88
श्री राज बहादूर	Shri Shree Raj Bahadur	. 1888-89

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 1 दिसम्बर, 1965/10 अग्रहायण, 1887 (शक)

Wednesday, December 1, 1965/Agrahayana 10, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बुडापेस्ट में हुआ विश्व वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ का सम्मेलन

\+
*565. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ति :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व वैज्ञानिक कार्यकर्ता संघ के बुडापेस्ट में सितम्बर, 1965 में हुए सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या चीनी प्रतिनिधियों ने निराधार आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने का प्रयत्न किया था ;

(घ) क्या भारतीय प्रतिनिधि मंडल इस प्रयत्न में सफल रहा कि चीन का इस मामले में कोई समर्थक न रहें ; और

(ङ) क्या संघ ने चीन के अशोभनीय आचरण के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस सम्मेलन में भारत की वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की संस्था ने भाग लिया था ।

(ख) इस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमरीका और युरोप के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । यूनैस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पर्यवेक्षक भी इस में उपस्थिति थे । इस सम्मेलन में विकासशील देशों में विज्ञान की प्रगति तथा औद्योगिकीय की समस्याओं और अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग पर चर्चा हुई थी । इस में युद्ध के खतरे की समस्याओं, निःशस्त्रीकरण और दूसरी सम्बधित समस्याओं पर भी विचार हुआ था ।

(ग) जी श्रीमान् ।

(घ) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के ठीक रवैये ने दर्शकों पर वांछनीय प्रभाव डाला । चीन के व्यवहार का सभी प्रतिनिधियों ने विरोध किया और कार्यवाही से चीन के प्रतिनिधि के सारे भाषण को निकाल दिया गया ।

(ङ) महासभा के सभापति प्रो० पार्वल ने चीन के व्यवहार को असभ्य बताया और कहा कि चीनियों ने इस कार्यवाही से वैज्ञानिक समुदाय की घृणा प्राप्त की है । उन्होंने आदेश दिया था कि यदि फिर अध्यक्षपीट की व्यवस्था का उल्लंघन किया गया तो वह तुरन्त बैठक को स्थगित कर देंगे और 'हाल में बिजली को बन्द कर देंगे । फिर भी चीनियों ने अध्यक्षपीठ के निर्णय के विरुद्ध बोलने की कोशिश की जिसपर 'शर्म' 'शर्म' और 'चीनियों घर वापस जाओं' के नारे लगे एक दिन में तीन बार ऐसा किया गया ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों को, चीन और पाकिस्तान से भारत को जो गम्भीर और वास्तविक खतरा है, उस से अवगत कराया है और यदि हां, तो उन को चीन के खतरे के कौन से विशिष्ट पहलूओं से अवगत कराया गया है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, । मेरे पास भाषण की प्रतिलिपि है । हमारे प्रतिनिधि-मण्डल ने सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को चीन से भारत को जो खतरा है उस से अवगत कराया है और मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि लगभग सभी प्रतिनिधियों को भारत के पक्ष की यतार्थता का विश्वास हो गया था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने चीन की भारत विरोधी गतिविधियों और प्रचार को देश में और विदेशों में निष्प्रभाव करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : सम्मेलन में ही इस को निष्प्रभाव बनाने के लिये कार्यवाही की गई थी । चीन के प्रतिनिधि के भाषण को सम्मेलन की कार्यवाही से निकाल दिया गया और चीन के प्रतिनिधी ने जो कुछ कहा उस का सभापति ने बहुत बुरा माना ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether or not the speech of the Chinese delegate was strongly contradicted by our delegation and whether some other delegate had also opposed it ? What was the attitude of our delegates towards others, if none else had opposed the speech of Chinese delegate and how many delegates were sent from here ?

श्री मु० क० चागला : हम ने तीन प्रतिनिधि भेजे थे और जैसा मैं ने प्रश्न के उत्तर में कहा है हम ने विरोध किया था और वह सफल रहा था ।

Shri Hukam Chand Kachhaviaiya : My question has not been replied fully.

Mr. Speaker : He has stated in reply to the first question.

Shri Yudvir Singh : It has become a daily routine that whenever in any conference Indian and Chinese delegations meet, Chinesetry to downgrade the Indian delegates. May I know whether any standing instructions have been issued to our delegations and leaders to countract the Chinese attitude?

श्री मु० क० चागला : निश्चय ही ; और इस मामले में मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रतिनिधियों ने न केवल चीन की गतिविधियों का विरोध किया अपितु कड़ा विरोध किया ।

Shri Yudvir Singh : May I know whether some standing instructions have been issued to them ?

Mr. Speaker : What can be done permanently.

Shri Yudvir Singh : Have any standing instructions been issued to them because always it so happened ?

श्री कपूर सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में चीन ने भारत के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे उनका सारांश क्या है ?

श्री मु० क० चागला : वे ही पुराने आरोप कि हमारा देश एक पूंजीपति देश है और हमें अमरीका और सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है और हमें इन से सहायता प्राप्त होती है जिस के साथ शर्तें लगी हुई हैं और हम ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है, इत्यादि ।

श्री कपूर सिंह : औद्योगिकीय समस्याओं से ये किस प्रकार सम्बद्ध थे ।

श्री म० क० चागला : किसी प्रकार भी नहीं ।

कानपुर में लोहे की चादरों से भरे माल-डिब्बों को कब्जे में लेना

+

*566. **श्री विश्वनाथ राय :**	**श्री बूटा सिंह :**
श्री रा० स० तिवारी :	**श्री गुलशन :**
श्री कृ० चं० शर्मा :	**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के एक प्रेषक (फार्वडिंग) एजेन्ट द्वारा कपूर गंज से नरोड़ा को भेजे गये जस्ती लोहे की नालीदार चादरों के दो कंसाइन्मेंटों के बारे में जाँच पड़ताल में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उसी पार्टी ने ऐसे ही प्रयोजनों के लिये इसी माल से भरे हुए अनेक डिब्बे पहले भेजे थे ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता लगी हैं जिससे यह संकेत मिला है कि कुछ चीनी तथा पाकिस्तानी एजेन्सियों के साथ सम्बन्धित भारतीय उद्योगपति की सांठ-गांठ है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस मामले से सम्बन्धित जांच कार्य अब केन्द्रीय ब्यूरो को सौंप दिया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सम्बन्धित कागजात 6 अक्तूबर, 1965 को उत्तर प्रदेश पुलिस से ले लिये थे और अभी तक मामले की जांच जारी है ।

(ख) जांच से अब पता चला है कि 7 जुलाई, 1965 को रोकी गई दो खेपों के अलावा इसी पार्टी ने पहले 30 बार जस्ती लोहे की जालीदार चादरें नरोडा भेजी थीं ।

(ग) अभी तक ऐसी कोई गवाही प्राप्त नहीं हुई ।

श्री विश्वनाथ राय : उस उद्योगपति के कार्यालय और भाण्डागार से कुछ वस्तुओं के पकड़े जाने के पश्चात क्या किसी सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति ने जांच में ढील करने के लिये सरकारी अधिकारियों से पहुंच की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नहीं श्रीमान्। कोई ऐसी पहुचं नहीं की गई है और नही सरकार इस मामले में ढील करना पसंद करती है । हम तेजी से इस की जांच कर रहे हैं ....

श्री विश्वनाथ राय : जो वस्तुएं पकडी गई हैं क्या उन पर चीन या पाकिस्तान के व्यापारचिन्ह थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन में विदेशी चीजें थी यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था इस लिये मैं अभी पढ़ कर बताता हूं ।

उस के कार्यालय से बहुत से संदूक मिले थे जिन में भेट में मिली हुई चीजें थीं जैसे खिलौने और ताश इन में से कुछ चीजें आयातित थी । इन चीजों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिखाया गया था । उन्होंनें इन चीजों का मुल्यांकन नहीं किया था क्यों कि इन की बहुत मात्रा नहीं थी और ये बाजार में आम मिलने वाली चीजें थीं । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक कलेक्टर की देख-रेख में कानपूर के गोदाम में पड़े सभी संदूकों की जांच की गई थी और कोई भी एसी वस्तु नहीं मिली जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की दृष्टि में अवैध हो ।

Shri Gulshan : May I know whether Government have received any such information that Government employees were involved therein ?

Shri L. N. Mishra : That is what we are investigating. It is true that this thing has happened and thirty consignments were sent in two, four months. This is being investigated.

Shrimati Vimla Deshmukh : The Hon. Minister has stated that those were imported goods. May I know the country from where these were imported ?

Shri L. N. Mishra : At present this information is not with me.

Shri Braj Behari Mehrotra : Will the Hon. Minister be pleased to state whether they were having the co-operation of an employee of the Civil Supplies department ?

Shri L. N. Mishra : Such allegations are there and these are being investigated. We cannot say anything definitely at present.

Shri M. L. Dwivedi : May I know when the investigation will be completed and what are the names of the officers who are carrying this investigation ?

Shri L. N. Mishra : As I have stated, C.B.I. is investigating this matter and it will be completed as soon as possible. But it will take sometime.

Shri Yashpal Singh : Have the Government ascertained the amount involved in these transactions which he had made during these days ?

Shri L. N. Mishra : As we have stated that the sheets were sent from Kanpur to Naroda near Ahmedabad thirty times during the period from April to June. At present I am not aware of the amount involved in those transactions.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे उन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और यदि हां, तो इन लोगों को जमानत पर क्यों रिहा किया गया है जबकि राजनैतिक विषयों से सम्बन्धित लोगों को जमानत पर रिहा नहीं किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : श्री अग्रवाल को एक मास हिरासत में रखने के बाद कानपुर के विशेष न्यायाधीश ने जमानत पर रिहा कर दिया था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that the person involved is a prominent congress leader of Kanpur ?

Shri L. N. Mishra : This point is being raised time and again but it is not correct. He is a businessman. What connection he can have with the Congress ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : He is a member of the working Committee of the Congress Party there. Mr. Speaker, I would like to know whether a businessman cannot be a member of the Congress Party? My question has not been answered.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether a business-man cannot be a member of Jana Sangh.

(तारांकित प्रश्न संख्या 567 के बारे में)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिश्चंद्र माथुर ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : महोदय में प्रश्न पूछने से पूर्व एक प्रार्थना करना चाहता हूं । यह प्रश्न ऐसा है कि इस का उत्तर केवल प्रधान मन्त्री ही दे सकते है । मैंने इस बारे में आप को लिखा था । इस प्रश्न का सम्बन्ध खाद्य और प्रतिरक्षा से है। मैं नहीं जानता कि गृह मन्त्री इस से किस प्रकार सम्बान्धित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं इस को स्थगित कर दूं और प्रधान मन्त्री को भेज दूं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा विचार है कि यह अच्छा रहेगा कि इस को कल तक स्थगित कर दिया जाये और प्रधान मन्त्री इस का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा । इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकरण

+
***568. श्री यशपाल सिंह :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान : **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में न्यायपालिका को कार्य पालिका से अलग कर दिया गया है; और

(ख) सारे देश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्ण रूप से कब तक अलग कर दिये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : (क) गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है । आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों और आसाम तथा राजस्थान के कुछ जिलों में भी इसे अलग कर दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है । इस मामले पर मूल रूप से राज्य सरकारों को विचार करना है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the difference between the District Magistrate and District Judge wherever this separation has taken place in U. P.?

Shri Hathi : This separation has not been done by us. This is being done by the State Government. Primarily this is being done by the State Government.

Shri Yashpal Singh : I would like to know the State expenditure increased on this account?

Shri Hathi : I do not have the figures because the work relating to separation of judiciary from Executive concerns the State Government.

Shri Madhu Limaye : There is a directive principle under article 50 the Constitution that "the State shall take steps to separate the judiciary from Executive in the public services of the State". About Fifteen years have passed since then. I would like to know how can the Home Minister say that this comes under the Jurisdiction of the State Government and that Centre has no responsibility in this regard. In this connection I may say that it has been mentioned in Article 22 of the Constitution that every arrested person should be produced before the Magistrate within 24 hours of his arrest but generally this practice is not being followed. I would like to know whether the Government will issue any instructions in this regard also to the officials irrespective of the fact whether they belong to Centre or the State.

Mr. Speaker : The second part of the question is not relevant. First part may be answered.

Shri Hathi : It is true that this has been mentioned as directive principle of the State policy under Article 50 of the Constitution and the steps are being taken by all the State Governments to implement it. Many States have already taken steps in this regard and as I have stated................

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether it is not the responsibility of the Centre to see that it is being implemented by the State Governments as it has been mentioned under the directive principles of the Constitution.

Shri Hathi : The Centre does consult the State Governments in this regard but it will be enforced primarily by the State Governments.

Shri Bagri : Judiciary is not separated from Executive in Centrally administered territories State Governments have done something in their respective States. I would like to know why no action has been taken by the Centre in the territories directly under its control and also by what time the Government will take steps in this regard.

Shri Hathi : So far as the territories administered by the Centre are concerned, we are taking action in respect of Delhi and Himachal Pradesh and a bill is being prepared. It will perhaps be difficult to separate Judiciary from Executive in Andaman-Nicobar due to their small size.

Shri Bagri : Mr. Speaker, the Home Minister has not at all answered my question. I had asked why Centre has not taken any action in Centrally

administered territories and the time by which action will be taken in this regard ? Both these questions have not been answered.

Mr. Speaker : Both the questions have been answered.

Shri Bagri : What reasons have been stated.

Mr. Speaker : Reasons for both the things have been stated.

Shri Bagri : They have not been stated.

श्री राम नाथन चेट्टियार : कुछ राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन राज्यों को इसे कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री हाथी : ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। लगभग सभी राज्यों ने इसे कार्यान्वित किया है परन्तु कुछ राज्यों में—लगभग 5 राज्यों में—कार्यपालिका को न्यायपालिका से पूर्ण रूप से पृथक कर दिया गया है और कुछ राज्यों में इन दोनों को कुछ हद तक पृथक किया गया है। यह फर्क है। वैसे सभी राज्यों में इन को पृथक कर दिया गया है, फर्क केवल मात्रा का है।

श्रीमती सावित्री निगम : इतनी धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं। ऐसा क्यों है कि इस को कम से कम संघ क्षेत्रों में भी कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी यही बताया है।

श्रीमती सावित्री निगम : कम से कम संघ क्षेत्रों में इस को कार्यान्वित करने में क्या विशेष कठिनाइयां पेश आई हैं ?

Shri Brgri : It has not been answered. That is why it is being repeated. The hon. Minister has not answered the question fully.

श्रीमती सावित्री निगम : अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है।

Shri Madhu Limaye : Carelessness. There is no other reason.

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that the bill is ready in respect of Delhi and Himachal Pradesh and that will be brought before the House. Remaining territories are very small in size and it can not be implemented there. What else the hon. Members want to know ?

Shri Bagri : Why it has not been implemented uptill to-day? This has not been answered.

Shri Bhagwat Jha Azad : I would like to know whether the States have given any indication to complete this process in a short time where this has not been done ?

Shri Hathi : They have not indicated any time limit but they have stated that this will be done at an early date.

Shri Bhagwat Jha Azad : What do you mean by 'soon'? Fifteen years have already passed.

Shri Kishan Pattnayak : I was not produced before a Court within twenty four hours of my arrest in 1963. Article 22 of the Constitution is being violated on a very large scale. The root cause of this is that the separation of Judiciary and Executive is not yet complete. I would like to know whether the

Government is considering to issue directions regarding the completion of separation and, in particular, regarding producing an arrested person before a court within twenty-four hours of arrest.

Shri Hathi : I do not know whether the member was arrested and not produced before a court but I hope.........

Mr. Speaker : He wants to know whether the Government intend to issue any directive, if it is not being enforced at present.

Shri Hathi : It is the duty of every person to act according to the provisions of the constitution and the law. If it is not being done, the Government will definitely issue a directive.

Shri Madhu Limaye : The Government should issue instructions. It is not being observed because the Government is not issuing such instructions.

Mr. Speaker : The proceedings cannot go on by interrupting like this.

श्री जी० म० कृपलानी : उसका अर्थ यह है कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है । जब यह बात मेरी जानकारी में लाई जाती है कि किसी विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, तो मैं मंत्री महोदय से उसे पुन: स्पष्ट करने के लिए कहता हूं । यदि उत्तर दिये जाने के बाद भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते रहें और कार्यवाही में बाधा डालते रहें, तो हम कैसे आगे बढ़ें ।

श्री जी० म० कृपलानी : मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार इस समय भी राज्यों को हिदायतें देने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री जी० म० कृपलानी : उन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि जब भी आवश्यक समझा जायेगा, हिदायतें दी जायेंगी ।

श्री जी० म० कृपलानी : उन्होंने केवल यह ही कहा है कि हिदायतें पहले दी हैं ।

श्री जसवंत मेहता : क्या सरकार के पास यह पता लगाने की कोई व्यवस्था है कि क्या राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर रहे हैं ?

श्री हाथी : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा होती है ।

Shri Shiv Narain : Since this matter is included in directive principles, Parliament is supreme and the States are subordinate to Parliament or Central Government, why this excuse is put forth that law and order is a State subject ? I want that this should be clarified. You should tell what is your responsibility ?

Shri Hathi : There is nothing to be clarified. Law and order is a State subject in the Constitution.

Mr. Speaker : Does the Central Government have any Power to issue directives if the States do not implement the directive principles ?

Shri Hathi : There is no such statutory power, but the matter can be raised in the National Development Council or Chief Ministers' conference, as is done in regard to the plans and other matters.

श्री बड़े : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है, उप-खण्ड अधिकारियों अथवा डिप्टी कलैक्टरों को धारा 107 और 144 के अन्तर्गत मुकदमा सुनने की शक्ति दी गई है ।

श्री हाथी : 5 राज्यों में पृथक्करण पूरा हो गया है । पूर्ण पृथक्करण का अभिप्राय यह है : (1) कार्यपालिका मैजिस्ट्रेटों से पृथक न्यायिक दंडाधिकारियों की एक पदालि बनाई गई है (2) न्यायिक कार्य अर्थात् साक्ष्य का अभिलेखन और उसकी छानबीन के मामले स्पष्ट रूप से न्यायिक दंडाधिकारियों को दिये गये हैं और कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को शस्त्रों आदि के लाइसेंस देने और शस्त्र देने के मामले सौंपे गये हैं । (3) न्यायिक दंडाधिकारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। (4) दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराधों का विचाराधिकार न्यायिक दण्डाधिकारियों को दिया गया है । उन पांच राज्यों में यह सभी बातें पूरी की गई हैं । जब मैं यह कहता हूं कि अन्य राज्यों में उसे अंशतः लागू किया गया है तो उसका अर्थ यह है कि यह सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : Whether the States, which have not seperated judiciary from the executive, have explained the difficulties to the Centre. If so, what are those difficulties ?

Shri Hathi : No particular reasons have been given.

श्री बूटा सिंह : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि देश में व्याप्त यह भावना कहां तक ठीक है कि सत्तारुढ़ दल अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए इस मामले में टालमटोल कर रहा है ।

श्री हाथी : इस का दल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

"दी क्राइसिस आफ् इंडिया"

\+
*569. **श्री बागड़ी :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह कार्य मंत्री "दी क्राइसिस आफ् इंडिया" नामक पुस्तक के बारे में 22 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर कब प्रतिबन्ध लगाये जाने की संभावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन इस पुस्तक की प्रतियों के भविष्य में भारत में आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Bagri : Whether any decision of the court had been obtained regarding confiscation of this book ? If so, may I know the objectionable things in this book ?

Shri L. N. Mishra : There are many objectionable things regarding Shivaji, leaders of our country, Gandhiji, Jawaharlalji and regarding our country. We, therefore, banned further import of this book. We had consulted Law Ministry in this connection and they advised that the book could not be proscribed. It was, however, good to stop its import.

2—10 Lok Sabha/65

Shri Bagri : The authors of such books write such sort of things against our leaders and these books have been circulating here for so long but no action has been contemplated against the publishers or sellers of such books.

Shri L. N. Mishra : We have not proscribed this book. It has been published abroad and perhaps, it has been sold out. There have been various objections and its further import has been stopped.

Shri Madhu Limaye : Do the government make any distinction between the import of newspapers, which indulge in vicious propaganda and the books, which cater for thought. If so, whether the Government have decided not to ban the import of such books which feed such thought, howsoever, bitter their criticism may be.

Shri L. N. Mishra : That is a fact and I agree with the hon. Member to a great extent. When the people have liberty of thought, their thoughts should be published as far as possible, but there is a limit to it. It has to ban found that there is a great resentment regarding this matter in the country and particularly in the State from which hon. Member comes.

Shri Surendranath Dwivedy : He comes from Bihar.

Shri L. N. Mishra : He has been elected from Bihar. He lives in Maharashtra.

Shri Madhu Limaye : My question may be answered. It is a matter of principle.

Mr. Speaker : He agrees with you so far as principle is concerned.

Shri Madhu Limaye : All those things should be allowed to come.

Mr. Speaker : How could I help you in this matter?

Shri Madhu Limaye : "Peking Review" does not come here. We need it in order to obtain information regarding China.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ?

Shri L. N. Mishra : Shri Ronald Saigal.

Shri A. P. Sharma : The Minister has just said that the opinion of the Law Ministry has been obtained and on their advice the import of this book has been banned. It means that the import of this book is not considered good by the Government. In view of the fact that this book is in circulation, why have the Government not banned this book so that it does not spread poisonous or bad thoughts ? Are the Government still considering to do so ?

Mr. Speaker : How can it be done when it has not been decided to proscribe the book ? To change the decision of the Government....

Shri A. P. Sharma : If the Government have arrived at the conclusion that it is not in the interest of the country to read this book....

Mr. Speaker : They have decided not to proscribe this book. It means that the books which have already been received will not be banned but further import will not be allowed.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि पुस्तकें जलाना अथवा पुस्तकों पर रोक लगाना आधुनिक नैतिक विचारों के बिलकुल विरुद्ध है । यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में उठाये गये कदम को वापिस लेने के लिए तैयार है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नहीं, श्रीमान् । कदम वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं है । मेरे विचार में हमने इस मामले में ठीक कार्यवाही की है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of copies imported and the number of copies confiscated ? May I know the derogatory things written against the great leaders of our country apart from calling shivaji a dacoit ?

Shri L. N. Mishra : We have not confiscated or proscribed this book. Its import has been stopped. We do not want to confiscate this book. The Law Ministry has advised not to ban this book and stop its further import. There should be freedom of expression. Therefore, we do not want to ban or confiscate it but we want to stop further imports.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Which are the objectionable things in this book and what are the names of persons against whom objectionable matter has appeared in this book ?

Mr. Speaker : Should I ask him to tell in detail about the book, which the Government does not allow to be imported, so that everybody should know about it ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is there in the book ?

Mr. Speaker : I cannot allow it.

Shri Rameshwaranand : I would like to know whether there is any arrangement by the Government to study the foreign literature before its import. If so, how is it that the literature, which is consfiscated afterwords, comes into India. If not, whether the Government propose to set up a department to check the import of objectionable literature.

Shri L. N. Mishra : There is a provision for that. There is a standing order of the customs department of Ministry of Finance to check such things. They checked and found nothing objectionable in it. Later on it was decided to stop its sale. Therefore, there was, nothing wrong in its import but since the reaction of the public was against this book, its further import has been stopped.

Dr. Ram Manohar Lohia : Whether it is a fact that the author of this book has supported the non-Europeans *i.e.*, the Coloured people in the struggle between the Europeans and non-Europeans in Africa.

Shri L. N. Mishra : I do not know that background but I would like to say that he is a good writer.

Dr. Ram Manohar Lohia : What sort of reply is this.

Mr. Speaker : The Minister says that he is not aware of the support of the author to Coloured people.

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय ने इसे पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या मंत्री महोदय ने यह पुस्तक पढ़ी है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने इसका कुछ अंश पढ़ा है, समूची पुस्तक नहीं पढ़ी है (अन्तर्बाधा)।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि क्या यह पुस्तक उनके पास है और क्या वह इसे सदस्यों को दे सकते हैं।

Shri L. N. Mishra : The ministry has got a copy of the book and I can lend it, if so required.

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has said that he has decided not to proscribed the book on the advice of the Ministry of Law. I would like to know whether he has allowed this book to be kept in the Government libraries.

Shri L. N. Mishra : It is a simple thing. The book has not been confiscated. It is not illegal to possess this book. You may keep it any where.

Shri Kashi Ram Gupta : I would like to know whether this book has been kept in Government libraries. The Minister has not replied to this question.

Shri L. N. Mishra : This book can be kept anywhere. It can be kept in Government libraries also.

Mr. Speaker : The hon. Minister wants to know whether the Government have issued any order to keep this book in Government libraries.

Shri L. N. Mishra : No, sir. We have not issued any orders to encourage the reading of this book.

Shrimati Jayaben Shah : Whether it is the opinion of the Government not to give any response to this book or were they guided by the Ministry of Law in this connection.

Shri L. N. Mishra : We had made an enquiry regarding this book. There are many things in this book which are not correct. But there is nothing against law. We cannot proscribe this book. At the most, we can discourage people to read this book.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 570 के साथ प्रश्न संख्या 591 भी लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहें तो दोनों का उत्तर दे दें।

Prohibition

+

*570. **Shri Jagdev Singh Sidhanti :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Muthiah :
Shri P. C. Borooah :
Shri D. C. Sharma :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 71 on the 18th August, 1965 and state :

(a) the names of States whose views on the Report of the Prohibition Enqiulry Committee are still awaited;

(b) whether the State Governments have been asked to send their views expeditiously ; and

(c) when a final decision is likely to be taken in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Views of two States Governments on the Report of the Study Team on Prohibition are still awaited.

(b) Yes, Sir.

(c) Efforts are being made to reach a decision as early as possible.

मद्यनिषेध नीति

*591. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रख कर कि राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से मद्यनिषेध नीति को समाप्त नहीं कर सकती या उसमें फेर-बदल नही कर सकती, केन्द्रीय सरकार ने मद्यनिषेध के बारे में क्या सलाह या निदेश दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : राज्य सरकारों को मद्य-निषेध के बारे में कोई निदेश नहीं दिया गया। इस प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ जनवरी 1964 में परामर्श किया गया था और इस बात पर सामान्यत: सहमति थी कि जब तक मद्य-निषेध पर अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार नहीं होता तब तक के लिये स्थिति जैसी की तैसी रहनी चाहिये।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Prohibition Enquiry Committee which was set up under the Chairmanship of Justice Tek Chand had suggested that prohibition should be enforced throughout the country. Will the Government state the reasons for not accepting that suggestion?

Shri Hathi : The copy of this report was supplied to every State. We have received the reply of the 11 States out of them. Reply from the remaining States is still awaited. On receipt of these replies we will hold a conference of the Chief Ministers. This report will be discussed in that conference. A decision will be taken afterwards regarding the action to be taken in this regard.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Government state whether drinking has increased or decreased after the attainment of independence. If there is an increase ; why?

Shri Hathi : In some states drinking has increased and in others it has decreased.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : On the whole, whether drinking has increased or decreased in India ?

Shri Hathi : I do not have the exact figures with me but I can say that it has increased in some States.

श्री स० चं० सामंत : क्या केंद्रीय सरकार ने तब तक के लिये कुछ अन्त:कालीन कार्यवाही की जब तक राज्य सरकारों के परामर्श से कोई निर्णय नहीं हो जाता और यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है ?

श्री हाथी : अन्त: कालीन कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि टेकचन्द समिति की रिपोर्ट दो भागों में है—जिन क्षेत्रों में मद्यपान होता है उन में की जाने वाली कार्यवाही और दूसरे जिन क्षेत्रों में मद्यपान नहीं होता उन में की जाने वाली कार्यवाही—कुछ कार्यवाही जिन का उस समिति ने सुझाव दिया है उदाहरणत: कानून को कड़ा करना—यह कार्यवाही अंशत: नहीं की जा सकती रिपोर्ट की विस्तृत जांच के पश्चात ही, की जाती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार के पास यह बात मानने का कोई कारण है कि मद्य निषेध लागू करने से राजस्व में जो हानि होगी वह समाज को जो इस से लाभ होगा उस से अधिक है ?

श्री हाथी : टेक चन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट में यही बात कही है ।

श्री लिंग रेड्डी : क्या कुछ राज्यों में इस समझौते के बावजूद कि स्थिति को यथापूर्व बनाये रखा जायेगा, अपनी मद्य निषेध नीति में स्पष्ट कर दी है और यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था ?

श्री हाथी : कुछ राज्यों में उस अधिनियम के अन्तर्गत नीति को कार्यान्वित करने में कुछ ढील कर दी है । यह सच है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि सरकार को अपने 18 वर्ष के कार्य के अनुभव से विश्वास हो गया है कि मद्य-निषेध एक बहुत बड़ा छल था और क्या म जान सकता हूं कि किन राज्यों ने मद्य-निषेध को लागू करने से इन्कार कर दिया है और 1964 के करार से मैसूर और महाराष्ट्र के अतिरिक्त किन राज्यों ने मद्य-निषेध को निरसन करने या उस में परिवर्तन करने की आज्ञा मांगी है ?

श्री हाथी : वास्तव में किसी राज्य ने भी इस के निरसन के लिये नहीं कहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध को लागू करने से इन्कार कर दिया है—पंजाब और पश्चिम बंगाल ।

श्री हाथी : किसी ने इन्कार नहीं किया है । राज्यों ने कहा है कि जहां तक वित्त का सम्बन्ध है जब तक केन्द्र उन की वित्तीय सहायता नहीं करता उनके लिये कठिनाई हो जायेगी । जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है जब इस अधिनियम में परिवर्तन किया था तो मुख्य मन्त्री ने कहा था

> "इसी समय मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार मद्य निषेध की मूल नीति में परिवर्तन करना नही चाहती जिस को इतने लंबे समय से अनुसरण कर रही है । सरकार संविधान के निदेशों को मानती है" ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैसूर राज्य ने भी महाराष्ट्र का अनुसरण किया है ।

श्री हाथी : मैसूर राज्य ने अभी परिवर्तन नहीं किया है । वे इस पर विचार कर रहे हैं । हम ने उन को लिखा है ।

श्री कपूर सिंह : पंजाब के बारे में कुछ वक्तव्य दिया गया है । पंजाब ने मद्य-निषेध को लागू करने से इन्कार नहीं किया है परन्तु इस को कार्यान्वित करने से इन्कार किया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Prohibition has been absolutely repealed in Uttar Pradesh since the Chinese attack. Now people can drink as much as they like in Uttar Pradesh.

Mr. Speaker : When you will go there please take me along.

Shrimati Jayaben Shah : Prohibition is in the directive principles of our constitution and the responsibility to implement it is with the Centre. I would like to know whether the Central Government is considering to implement it at an early date by providing assistance to State Governments ?

Shri Hathi : As I have stated it is a directive principle. But the primary responsibility lies with the State Governments. On receipt of the report of the Tek Chand Committee, we sent a copy of it to the each State Government. So

far we have received replies from the 11 States only and from 2 or 3 States we have not yet received any reply. After the replies are received we will discuss it with them and then will consider its implementation.

श्री के० दे० मालवीय : क्या यह सच है कि देश के कई प्रसिद्ध मुख्य मन्त्रियों ने और हमारी सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बहुमत ने मद्य-निषेध की इस नीति को लागू करने का अब विरोध किया है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मद्य-निषेध को चालू रखने का ?

श्री हाथी : यदि मैं यह कहूं कि राज्य मद्य-निषेध की नीति के विरुद्ध नहीं है........

श्री हरि विष्णु कामत : वे राज्य धन चाहते हैं।

श्री हाथी : इस नीति को कार्यान्वित करने में उन की हिचकचाहट का कारण यह है। वे कहते हैं कि इस का उनके राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा इस प्रकार उनको हानि होगी। यह उनका तर्क है। परन्तु मूलरूप से वे इस को लागू करने के विरुद्ध नहीं हैं। यदि हम उनको धनराशि दे देते हैं तो वे मद्य-निषेध को लागू कर देंगे।

श्री के० दे० मालवीय : जब इस मौलिक प्रश्न पर निर्णय लिया गया था क्या तब प्रश्न के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के दूसरे अनुपूरक प्रश्न की आज्ञा नही दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय मन्त्रि मण्डल के सदस्यों में इस प्रश्न पर बहुत अधिक मतभेद है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत सदस्य मद्य-निषेध के पक्ष में हैं और कितने प्रतिशत विरोध में और अधिक संख्या किन की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नही दे रहा हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इस प्रश्न को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रिमण्डल में इस विषय पर मतभेद है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री कामत ने ठीक ही कहा है कि मद्य-निषेध एक बड़ा छल था। क्या यह सच नही है कि मद्य-निषेध और भ्रष्टाचार का एक दूसरे से सम्बन्ध है। भ्रष्टाचार के बढ़ने के कारण क्या मद्य-निषेध का नास्तिवत् नहीं हो गया है।

श्री हाथी : मैं नहीं कह सकता कि मद्य-निषेध और भ्रष्टाचार में सम्बन्ध है। कोई नहीं कह सकता कि जो मनुष्य मद्य-पान नही करता वह भ्रष्ट नहीं है या जो मनुष्य मद्यपान करता है वह भ्रष्ट है। हम दोनों में कोई सम्बन्ध नही रख सकते। दोनों चीजे एक दुसरे से स्वतन्त्र है। मैं दोनों को एक दुसरे से सम्बन्धित करना नही चाहता।

मैं नही समझता कि यह कहना ठीक है कि यह एक छल है। यदि हम यह कहते हैं कि जब तक बुद्धि ठीक है मनुष्य को मद्यपान नहीं करना चाहिये, तो इसमें कोई छल की बात नही है।

Working Hours Of Central Government Offices

+

*571. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the working hours of the Central Government Offices are being changed ;

(b) whether there is a likelihood of the previous working hours, *viz.*, 10·00 A.M. to 5·00 P.M. being restored; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The question of a change in the existing working hours, which were adopted on the declaration of the emergency, can be considered only after the emergency is over.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Government is aware of this fact that in more advanced and cold countries, the working hours starts from 8 and 9 O'clock and in Russia, America and Germany they work for 7 hours at some places and 8 hours at other places, leaving aside the lunch hour. May I know the reasons why the working hours are so less in our country and whether it is due to the fact that the time is lost due to the shortage of buses and other conveyances and difficulties in purchasing the ration ?

Shri L. N. Mishra : We will heartily welcome if the hon. member help us for increasing the working hours. But I think that the hon. member has very little contact with the Government employees. Here the agitation is going on for reduction in the working hours. I will request the hon. member to see the difficulty with which we are pulling on with the existing working hours. In other places the work starts at 9 O'clock whereas here we start the work at 9-45 O'clock but this is also with great difficulty and.........

Dr. Ram Manohar Lahia : If you permit me I may as my second question. Otherwise my first question has not been answered.

Mr. Speaker : You may ask your second question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Government is responsible for wasting 4 to 6 hours of the Government employees in a day due to the shortage of buses and difficulties in purchasing the ration and therefore in this way the time of the Government employees as well as of the country is wasted. May I know whether the Government have considered any steps in this regard ?

Shri L. N. Mishra : This is true that as much facilities are not provided in our country as are available in other countries. This is also true that there is a shortage of transport and ration shops. It is also an exaggeration that it takes four to six at ration shop and coming and going by bus in addition to eight hours in office. But it is a fact that it takes their time and to grant facilities to the Govt. employees we have changed the timings of the buses and we have also increased the number of ration shops from 17 or 18 or 29 or 30. We have tried to give them more facilities and they have greatly benefited by these facilities.

Shri Madhu Limaye : It is due to social conditions and cast system etc. There is a great disparity in working hours, conditions of service holidays and pay etc. between the office going employees and the labourers and factory workers. May I know what steps are being taken by the Government to remove these disparities ?

Shri L. N. Mishra : This question is not relevant. This question is concerned with the working hours. But I want to draw the attention of the hon. member to report of the Second Pay Commission and he will find therefrom what action we have taken in this regard and how far we have been successful. But the question of pay is not relevant here.

Shri Bagri : The Government employees work for 9 hours in Germany and 8 hours in America and Indian labourers also work for 8 hours. I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken to increase the working hours of the Government employees of our country *vis-a-vis* those of Germany and America as also those of our labour class ?

Shri L. N. Mishra : As I have stated that if the hon. member could help us in increasing their working hours we would welcome it. Shri S. M. Banerjee wants their working hours to be reduced and leads the agitations of the emloyees. We have tried our best for that and our ex-Prime Minister had also issued instruction and discussed this matter. We have increased the working hours from 33½ hours in a weak during the pre-independence to 40½ hours by now. If the hon. Member wants to increase them still further we will welcome the suggestion. You please help us in this matter.

Shri S. M. Banerjee : Is it a fact that the half an hour increase in the working hours made during this emergency has been done away with by the Contributory Health Scheme Advisory Committee. If so, whether the Government will also reduce this half an hour during winter like-wise. Because this half an hour is devoted to mere talks and no extra work is done so that the employees may reach home earlier and do marketing ?

Shri L. N. Mishra : We are advised that the working hours should be increased whereas the hon. Member says that these should be reduced.

श्री स० मो० बनर्जी : कार्य के घंटे बढ़ाने से कार्यकुशलता अधिक नहीं हो जाती।

Mr. Speaker : The hon. Member should listen to the answer. If this half an hour is reduced whether the talks will also be reduced or the half an hour from the remaining period will be devoted to talks ?

Shri L. N. Mishra : We have not received any suggestion for reducing the working hours but on the other hand we have been advised to increase the working hours.

Shri S. M. Banerjee : Reduce them during winter.

Shri L. N. Mishra : This matter was examined by the staff council and it was discussed with us. As the hon. Member might be aware that the timings have been changed from 10-15 to 9-45 in the morning and from 6-15 to 5-45 in the evening. Government considered these timings better during winter than earlier timings and want to continue them.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री ब० कृ० व्यास।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विषय के राष्ट्रीय महत्व तथा सार्वजनिक महत्व को देखते हुए क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आप संत फतेसिंह की प्रधान मन्त्री और गृहमन्त्री से जो बातचीत हुई थी उस से सम्बन्धित प्रश्न संख्या 578 ले लें ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं प्रश्नों को क्रमानुसार लूंगा।

श्री कपूर सिंह : मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत ही उचित बात है। सभा में बहुत से सदस्य हैं जो इस विचार के हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ब० कु० दास अपना प्रश्न कर लें।

प्रवासियों को पुनः बसाने के लिये योजनायें

+

*573. **श्री ब० कु० दास** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आने वाले नये प्रवासियों को फिर से बसाने के लिये किसी राज्य में औद्योगिक अथवा कृषि योजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है अथवा मिल सकेगा;

(ग) 1965 के अन्त तक कृषि योजनाओं के लिए कितनी भूमि कृषि योग्य बनायी जायेगी; और

(घ) इन औद्योगिक तथा कृषि योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) से (घ) : एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5278/65** ।]

(ग) यह अनुमान किया जाता है कि लगभग 21,400 एकड़ भूमि जिसका अब तक सुधार किया जा चुका है इसके अलावा और 40-50 हजार एकड़ भूमि चालू कार्य वर्ष 1965-66 के अंत तक अर्थात मई/जून, 1966 के अंत तक सुधार की जायेगी।

श्री ब० कु० दास : राज्यों में भूमि-अधिग्रहण में क्या कठिनाइयां हैं। लगता है कि क्योंकि विस्थापितों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है इसलिये अब तक प्राप्त हुई भूमि की मात्रा कम है।

डा० म० मो० दास : भूमि अर्जन में कोई कठिनाई नहीं है। जो भूमि उपलब्ध है और जो भूमि भी राज्य सरकारें बचा सकती थीं वे दे रही हैं।

श्री ब० कु० दास : जहां तक औद्योगिक परियोजनाओं का संबंध है उनकी संख्या भी कम है तो क्या उस पर राज्य सरकार को भी कुछ खर्च का भार सहना होगा ?

डा० म० मो० दास : जो औद्योगिक परियोजनायें पहले ही हाथ में ली जा चुकी हैं उनकी संख्या 25 से भी अधिक है और भविष्य में और अधिक परियोजनायें भी हाथ में ली जायेंगी और इन के लिये तैयारी की जा रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : हाथ में ली गई विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रति व्यक्ति पुनर्वास लागत क्या है ? क्या यह सच है कि असम की योजनाओं में यह लागत सब से कम है ? यदि हां, तो फिर ऐसा क्यों है जबकि त्यागीजी के मन में इस राज्य के प्रति स्नेह की भावनायें हैं।

डा० म० मो० दास : क्योंकि हमने विभिन्न राज्यों में पुनर्वास की लागत की तुलना नहीं की है इसलिये मेरे लिये माननीय सदस्य के प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर देना संभव न होगा। यदि वह चाहें तो हिसाब लगाकर हम उन्हें बता देंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : अर्जित हुई भूमि में कितने विस्थापितों का पुनर्वास किया जायेगा ?

डा० म० मो० दास : अबतक हमने 20,000 एकड़ भूमि अर्जित की है। वर्षा के पश्चात् अक्तूबर से आरंभ होने वाले कार्यकाल में जो आगामी वर्षा तक अर्थात्, जून तक चलेगा, हमारा प्रस्ताव 40 से 50 हजार एकड़ भूमि का अर्जन कर सकेंगे। उन परिवारों का ब्योरा, जिनका पुनर्वास हो चुका है अथवा हो रहा है, विवरण में दिया गया है।

डा० रानेन सेन : मैं जानना चाहता हूं कि अन्दमान में पूर्वी बंगल से आये विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या सरकार ने इन विस्थापितों के वहां पुनर्वास के प्रश्न पर विशेष बल दिया है, और यदि हां, तो क्या विशेष पग उठाये गये हैं ?

डा० म० मो० दास : पुनर्वास मंत्रालय इस बात पर ध्यान रख रहा है कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों का पुनर्वास अन्दमान द्वीपसमूह में हो। केवल इन्हीं विस्थापितों के 200 परिवार पहले ही वहां रहते हैं। हम पहले ही वहां सड़क निर्माण कार्य में जुटे हैं और एक अर्जत एकक भी कार्य कर रहाता है। परन्तु कठिनाई यह है कि अन्दमान कई द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है और कई द्वीपों में एसी भूमि तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि नौकाओं का अभाव है और वहां समुद्र अधिकतर अशांत रहता है परन्तु जबतक आधुनिक नमूने की नौकाये उपलब्ध न हों, वहां औजार, खाद्यान्न और आवश्यकता की दूसरी वस्तुयें पहुंचाना कठिन है। हम परिवहन मंत्रालय के सहयोग से यह नौकायें प्राप्त करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

Children's Book Trust

+

*574. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the annual assistance being given to the Children's Book Trust by Central and State Governments directly or indirectly ;

(b) whether certain portions of its building on Mathura Road in Delhi have been rented out;

(c) whether Government exercise some control over this trust and the books published by it; and

(d) whether it has submitted its report and accounts to Government and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) An annual grant of Rs. 1·25 lakhs for holding the Shankar's International Children's Competion is being given to the Children's Book Trust on *ad hoc* basis by the Government of India to meet part of its deficit. In addition to this, a subsidy equal to interest payable by the Trust on the loan taken from the Government of India, has been given to them. Information about any grant given to the Trust by the State Governments is not available.

(b) Yes Sir, according to informatition received from the Trust.

(c) No control is exercised by the Government over the Trust and books published by it.

(d) No, Sir. Only an audited Statement of accounts in respect of utilisation of the grant given for holding the Children's Competion is received.

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that no money has been spent on the library of the Children's Book Trust for which the former Chief Minister of West Bengal, Shri Bidhan Chandra Ray, had donated Rs. 1 lakh particularly ?

Shri Bhakt Darshan : I do not have any information in this regard.

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that only 21 books have so far been published by the Children's Book Trust which was set up about 6 or 7 years ago ? If so, why children's books were not published during this period and whether it is also a fact that one of the trustees, Smt. Indira Gandhi has resigned for certain reasons ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अभी कलही तो राष्ट्रपति ने इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया है और मैं यह भी बता दूं कि इसका भवन बनाने और अन्य सभी आवश्यक प्रबन्ध करने में भी कुछ समय लगा है और यह शानदार कार्य कर रहा है और करता रहेगा और मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य और सभा इसकी कार्य क्षमता से पूर्णतया संतुष्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दुसरा भाग यह था कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के त्यागपत्र देने के कारण इस अवधि में इस ट्रस्ट द्वारा कोई कार्य न कर दिखालाना था ?

श्री मु० क० चागला : मुझे पता नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के त्यागपत्र का यही कारण है। मैं इसकी जांच करुंगा और उन्होंने यदि त्यागपत्र दिया भी होगा तो मेरा विश्वास है कि इसका कारण इस ट्रस्ट के कार्य का असंतोषजनक होना नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye : I had asked whether all the money was spent on putting up the building alone or whether anything has been spent on books also. What is its scheme, I have not been able to understand it ? Building and Officers salaries come first and the real work afterwards.

Mr. Speaker : Shri Bagri.

Shri Bagri : I want to know from the hon. Minister about the details of the amounts spent on its building, officers salaries and printing of books, separately ?

Shri Bakt Darshan : Figures are not available with me at the moment. As is shown in the Statement also, we have so far received only one copy of the audited accounts. Afterwards, as and when notice is given, this information could be given.

Shri Bagri : Sir, On a point of order. Three or four questions were put and his reply was that the details were not with him. About Shri Madhu Limaye's question also as to the question of Smt. Indira Gandhi's resignation the same reply was given. About the amount spent on the building, it was stated that they did not know it. How are they sitting here when they know nothing ?

Shri Madhu Limaye : This question might be taken up afterwards. You might ask the hon. Minister to give his reply in full.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The amount spent on the building might be stated at least.

Shri Madhu Limaye : They should come here after obtaining the information. What is the meaing of their coming here without information. You may kindly give your ruling.

Mr. Speaker : The ruling is this that when they come unprepared and do not give correct replies, the House is authorised to remove them.

Shri Madhu Limaye : Had I that power, I would have removed them one and all.

श्री श्रीकांतन नायर : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानन चाहता हूं कि क्या इस सभा के किसी सदस्य का एक एसी ट्रस्ट के बारे में यह सवाल उठाना न्यायोचित है जो एक स्वतंत्र निकाय है और जिसने सरकार से केवल ऐसा ऋण लिया हुआ जो संभवता उसे समय पर चुका देना है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्ति थी तो मंत्री महोदय को उसी समय उठानी चाहिये थी।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(प्रश्न संख्या 578 के बारे मे)

श्री कपूर सिंह : यदि सभा चाहे तो प्रश्न संख्या 578 रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैने कई बार यहां अपना मत व्यक्त किया है कि प्रश्न काल समाप्त होने पर यह मंत्री का अधिकार है कि वह उत्तर दें अथवा नहीं। यदि वह चाहें तो आवश्य ही मैं इसका स्वागत करुंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे विश्वास है कि वह उत्तर देंगे। श्री हाथी अथवा श्री मिश्र उत्तर दे दें......नहीं देना चाहते **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : यदि गृह मंत्री चाहें तो उत्तर दे द, मुझे कोई आपति नहीं होगी।

श्री हाथी : माननीय गृह मंत्री यहां नहीं हैं **(अन्तर्बाधा)**

श्री हरि विष्णु कामत : वह डरते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। अल्प सूचना प्रश्न।

(अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6 के बारे में)

श्री लिंग रेड्डी खड़े हुये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अल्प सूचना प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं बाद में बुलाऊंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान अल्प सूचना प्रश्न की भाषा की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक राज्य मैसूर में अकाल जैसी स्थिति के बारे में है और भूकमारी से हुई मौतों के बारे में है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि एसे विषयों पर जब भी हमने किसी प्रश्न, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव अथवा अल्पसूचना प्रश्नों की सूचना दी जसे राजस ान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, ग जरात तथा मध्य प्रदेश आदी में आकाल जैसे स्थिति तथा भुखमरी से हुई मौतों के बारे में तो आप ने अपने विवेक से इस आधार पर इनकी आज्ञा नहीं दी कि स पर चर्चा होने जा रही है और इसके परिणामस्वरुप मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नही दिया। अब जहा मै अल्प सूचना प्रश्न का स्वागत करता हूं, वहां मैं माननीय मंत्री से निवदन करता हूं कि वह बताये क्या इस मामलों को वास्तविक सूचना के आधार पर उत्पन्न माना गया है अथवा समाचारों के आधार पर और क्या इसीलिये यह मतभेद बता गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इसी विषय पर क्या अन्य अल्प सूचना प्रश्न भी थे ? ध्यान दिलाने की सूचनायें भिन्न श्रणी में आती हैं। जहां तक अल्प सूचना प्रश्नों का संबंध है वे मंत्री महोदय को भेज दिये जाते हैं और यदि वे उत्तर देना चाहे तो उन्हें आवश्य ही स्वीकार कर लिया जाता है।

Shri Madhu Limaye : The fact is that those Members who do not flatter the Minister, their questions would certainly never be admitted and you do not have the power to do any thing about this. The Minister wants the Members to flatter and please him and not admit short notice questions simply for their importance ?

Mr. Speaker : Under what rule you want my decision on this ?

Shri Madhu Limaye : Not rules. You also say many things otherwise also.

Mr. Speaker : I hope that every Minister would decide after considering the merit of the question.

Shri Madhu Limaye : This has never been done. Flattery and self gratification has been their basis.

मैसूर राज्य में भुखमारी से मौत

अ० सू० प्र० संख्या 6. श्री लिंग रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 16 नवम्बर, 1965 के "प्रजावाणी" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मैसूर राज्य के कोलार ज़िले में गुलवबाल तालुक में अकाल की स्थिति के कारण भूख से दो व्यक्तियों की मौत हो गई; और

(ख) यदि हां, तो अकाल पीड़ित लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने और सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चिं० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) कमी की स्थिति के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ उसको दुर करने के लिये राज्य सरकार समस्त सम्भव उपाय कर रही है।

Shri Bagri : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : I would not allow that there is no point of order.

Shri Bagri : I have a point of order. In this country who dies of starvation, under-nourishment or by fasting unto death. I have a point of order about this matter.

Mr. Speaker : No point of order arises out of this.

Shri Bagri : You may kindly listen to me.

Mr. Speaker : I am calling him. You may please allow me to do so.

श्री लिंग रेड्डी : क्या स्थानीय दनिक 'प्रजावाणी' के 16 नवम्बर, 1965 के समाचार की सत्यता का पता लगाने के लिये जांच की गई है, यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्वयं प्रश्न ही इसी के बारे में है और हम ने मैसूर सरकार से पता लगाया है। उन्होंने 'प्रजावणी' के इस समाचार के संदर्भ में जांच करके हमें तार द्वारा सुचना दी है कि इस समाचार में कोई भी तथ्य नही है।

Shri Bagri : I have a point of order relating to this.

Mr. Speaker : I give a ruling on this. I want opinion of the House that whosoever raise points of order of frivolous nature during the question Hour would not be able to catch my eye in the whole of that Hour.

Shri Bagri : I am not desirous of that either. I want your ruling on this

श्री लिंग रेड्डी : क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने आपको वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री को लिखा है . .

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य की बात सुन नही पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत शोर हो रहा है। माननीय मंत्री अपने स्थान पर बैठ जायें। सभी माननीय सदस्य शान्त हों तभी मैं सभा की कार्यवाही आगे चलाऊंगा, वरना नहीं।

हां, अब श्री लिंग रेड्डी अपना प्रश्न रखें।

श्री लिंग रेड्डी : क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने आपको लिखा है और वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री को भी कहा है कि क्योंकि लोग भूखों मरने जा रहे हैं इसलिये 20 करोड़ रु० की सहायता शीघ्र पहुंचायी जाये और 11 लाख टन खाद्यान्न भी उपलब्ध किये जाय।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे मैसुर के मुख्य मंत्री से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने खाद्य संकट को दूर करने के लिये सहायता मांगी है। उन्होंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा है। अनाज की उपलब्धता को देखते हुए और अन्य राज्यों की मांगों को देखते हुए हम यथा-सम्भव मात्रा में अनाज भेज रहे हैं। जहां तक 20 करोड़ रुपये की मांग की स्म्बन्ध है, यह वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

Shri Bagri : I want to raise a point of order what does the hon. Minister mean by starvation ? Does he mean by it fast unto death ? But in fact it is not only fast unto death. If a person is under nourished or he has to miss a meal in two or there days and dies, yet it is called starvation. About 10 to 12 lakh persons die from such starvations. When the hon. Minister gives a statement about starvation, he must mention starvation from under nourishment also. If, therefore, there are cases of deaths from starvation, a judicial enquiry should be held into it. I want your ruling on it.

Mr. Speaker : This is not a point of order. This question does not concern me. I give ruling that such points should not be raised in future.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि खाद्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों की सहायता से कुछ राज्यों में, जिनमें मैसूर भी शामिल है, दुर्भिक्ष और अनाज की कमी के बारे में सर्वेक्षण किया है और क्या कोई रिपोर्ट भी पेश की गई है और इस स्थिति को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सदस्य का निलम्बन

Shri Bagri : Sir,....

Mr. Speaker : You are interrupting the procedings of the House. You may please leave the House.

Shri Bagri : People are dying of starvation in Rajasthan, Punjab, and Madhya Pradesh....

Mr. Speaker : Shri Bagri is not leaving the House despite my orders. I name him.

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री मनीराम बागड़ी को, जो इस सभा के सदस्य हैं और जिनका अध्यक्ष महोदय ने नाम लिया है, सभा की सेवा से 3 दिन के लिये निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री मनीराम बागड़ी को जो इस सभा के सदस्य हैं और जिनका अध्यक्ष महोदय ने नाम लिया है, सभा की सेवा से 3 दिन के लिये निलम्बित किया जायें । "

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

Shri Madhu Limaye : The motion may be withdrawn. The machine is not working.

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर मत विभाजन करवा रहा हूं । सदस्य अपनी सीटों पर तैयार रहें । प्रश्न यह है :

"कि श्री मनीराम बागड़ी को, जो इस सभा के सदस्य हैं और जिनका अध्यक्ष महोदय ने नाम लिया है, सभा की सेवा से तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।/*Lok Sabha divided.*

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 154, विपक्ष में 4/Ayes 154, Noes 4.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted*

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा के आदेशों के अनुसार मैं श्री बागड़ी से कहूंगा कि वह सभा के बाहर चले जायें और उनको तीन दिन के लिये निलम्बित किया जाता है ।

इसके पश्चात श्री बागड़ी सभा के बाहर चले गये । (*Shri Bagri then left the House*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(जारी)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अल्प सूचना प्रश्न—जारी

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न क्या था ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि मैसूर के अलावा अन्य राज्यों से रिपोर्ट मिलने के पश्चात्, क्या इन राज्यों में, जो अकाल-ग्रस्त है, सर्वेक्षण किया गया था ; यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को रिपोर्टें मिल गई हैं और क्या इन क्षेत्रों को आवश्यक सहायता पहुंचा दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह समय आज के वाद-विवाद पर नहीं लगाया जाना चाहिये? वह मैसूर राज्य के अतिरिक्त भी प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न मैसूर के साथ साथ अन्य राज्यों के बारे में भी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सारा समय वाद-विवाद पर लगाया जाना चाहिये जिसमें सभी राज्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकें । ध्यान दिलाने वाली सूचना ।

श्री नाथ पाई : आपका निर्णय बिल्कुल उचित है, परन्तु हमें अपनी विशेष कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता । वह केवल सामान्य बातों के सम्बन्ध में उत्तर देंगे । आप प्रश्नों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न, मैसूर के अतिरिक्त, अन्य राज्यों के बारे में भी है ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न में मैसूर के अतिरिक्त और कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता । अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना लेंगे । श्री यशपाल सिंह ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

धार्मिक स्थानों को क्षति

*572. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी आक्रमण से क्षतिग्रस्त विभिन्न सम्प्रदायों के धार्मिक पूजा-स्थानों की सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पाकिस्तान की अन्धाधुन्ध बमबारी के कारण कितनी क्षति हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : ऐसी एक सूची तैयार की जा रही है और विभिन्न मतमतांतरों के पूजा-स्थानों की क्षति के बारे में विवरण पूरी सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

Privy Purses

*575. **Shri Bagri** : **Shri P. R. Chakraverti** :
Shri Madhu Limaye : **Shri P. C. Borooah** :
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :—

(a) whether his Ministry has requested the Rulers of the former princely States to reduce their privy purses voluntarily during this National Emergency and

(b) if so, the reaction of the Rulers thereto?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). No Sir. However, in response to our appeal in October, 1962, 165 Rulers agreed voluntarily to contribute certain percentage of their privy purses towards the National Defence Fund.

3--10 Lok Saba/66

भारत का उर्वरक निगम

*576. श्री कपूर सिंह : श्री प्र० के० देव :

श्री सोलंकी : श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक निगम ने अन्य देशों द्वारा पेटेन्ट करवाई हुई उर्वरकों सम्बन्धी प्रक्रियायें खरीदने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) भारत के फर्टीलाइज़र कारपोरेशन द्वारा एक विदेशी फर्म से यूरिया संश्लिष्ट खरीदने की जानकारी (know-how) के प्रस्ताव की सरकार ने मंजूरी दी है ।

(ख) इस से सम्बन्धित शर्तों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

गंगा के मैदान में तेल

*577. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री गोकरण प्रसाद :

श्री बृजराज सिंह : श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के मैदान में तेल की खोज अन्तिम रूप से छोड़ दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो तेल की अग्रेतर खोज करने के लिये कौनसा क्षेत्र चुन लिया गया है ; और

(घ) उस क्षेत्र को चुनने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : इस क्षेत्र में समन्वेषी सर्वेक्षण कार्य अभी प्रगति पर है ।

प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के साथ संत फतेह सिंह की बातचीत

*578. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 और 8 अगस्त, 1965 को प्रधान मंत्री और उनकी संत फतेह सिंह के साथ बहुत लम्बी बातचीत हुई;

(ख) क्या बातचीत के दौरान संत फतेह सिंह ने सिक्खों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव के कई ठोस उदाहरण दिये और किसी संघ मंत्री अथवा मंत्रियों के विरुद्ध सिक्खो की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया;

(ग) क्या प्रधान मंत्री और उन्होंने संत फतेह सिंह द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने और उनके दूर करने का वायदा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) : संत फतेह सिंह के साथ 7 और 8 अगस्त 1965 को प्रधान मंत्री जी की जो बातचीत हुई थी उसका एक ब्यौरा सदन के सभा-पटल पर पहले ही, 23 अगस्त 1965 को रख दिया गया है । इस बातचीत के दौरान संत फ़तेह सिंह ने प्रधान मंत्री को कुछ अध्यावेदन दिये जिनमें माफ़ तौर पर सिख संप्रदाय की शिकायतें और मांग दी गई थीं । इन शिकायतों में से एक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गए एक वक्तव्य के बारे में आरोप लगाया गया था । बाद में स्वास्थ्य मंत्री जी ने उक्त आरोप को पूर्णतः निराधार बताया। संत फतेह सिंह द्वारा अपनी बातचीत और अध्यावेदन में लगाये गए अन्य स्पष्ट आरोपों को पंजाब सरकार तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों को उचित कार्यवाही तथा प्रामाणिक शिकायतें (यदि कोई हो) को दूर करके अपनी राय देने के लिये भेज दिया गया । सभी आरोपों के बारे में पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नही हुई हैं । जो भी हो, केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार दोनों ही इस बात का सुनिश्चय कर लेंगी कि संत फ़तेह सिंह द्वारा उठाये गए ठोस प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाय और शिकायत की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाय ।

Mahatma Gandhi Centenary Celebrations

*579. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 548 on the 24th March 1965 and state:

(a) whether Mahatma Gandhi's Birth Centenary Celebrations Committee has started its work;

(b) if so, the programme for celebrations prepared by it; and

(c) the steps being taken to implement the same?

Deputy Ministry in the Ministry of Education (Shri Bhakat Darshan) : (a) to (c). The National Committee for Gandhi Centenary Celebrations has its first meeting on the 28th August, 1965 in which it set up an Executive Committee to draw up a detailed programme. The Executive Committee was to have met on the 29th November, 1965.

भारतीय नागरिकता के लिये भुट्टो का आवेदन-पत्र

*580. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1965 के 'टाइम्स आफ इंडिया' के पृष्ठ 6 के कालम 6 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के महापरिक्षक ने श्री जैड० ए० भुट्टो के इस आवेदन-पत्र को कि उनको भारत का नागरिक माना जाना चाहिए तभी अस्वीकार किया था जब वह पाकिस्तानी मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार ठीक है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी, हां ।

(ख) बटवारे से पूर्व श्री जैड० ए० भुट्टो अपने माता-पिता सहित बम्बई में रिहाईश रखते थे और वहां उन की कुछ जायदादें थीं । वे सितम्बर, 1947 में भारतीय पासपोर्ट पर अमेरीका गये थे । 1949 में उनकी बम्बई की जायदादें निश्क्रांत सम्पत्ति के अधिकार में ले ली गई थीं । श्री भुट्टो ने अनिश्क्रान्त होने का दावा किया और जिसके उद्देश्य के लिये वे कार्यवाही को अभिरक्षक, महाअभिरक्षी बम्बई, तथा पंजाब हाई कोर्ट तथा अंत में उच्चतम न्यायालय में 9 वर्ष तक चलाते रहे । इस कार्यवाही

के अंतर्गत उन्होंने पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध नहीं रखा। नवम्बर, 1958 में श्री जड० ए० भुट्टो ने अर्जी दायर की कि वे अब पाकिस्तान में बस गये हैं और इस लिये उनकी अपील खारिज कर दी जाय या वापिस समझी जाये। उच्चतम न्यायालय ने प्रार्थना मंजूर कर दी और उसके अनुसार आदेश जारी कर दिया।

उनकी विभिन्न अर्जियों और विवरण के उद्धरण जोकि कार्यवाही के दौरान दरज किये गये थे सभा की मेज पर रख दिये गये हैं।

मेसर्स बैनट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*581. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वारियर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सेवक यादव :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मधु लिमये :
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बैनट कोलमन एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, बम्बई द्वारा आपराधिक गबन के मामले में केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या विधि न्यायालय में फौजदारी का मुकदमा करने के प्रश्न पर अटौरनी जनरल की राय ले ली गई है;

(ग) क्या अटौरनी जनरल की राय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी; और

(घ) क्या मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व सभापति तथा अन्य निदेशकों के विरुद्ध विभिन्न मामलों को न्यायालय से बाहर निपटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

Deportation of Infiltrators from Assam

*582. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are facing great difficulty in turning out infiltrators from Assam ;

(b) whether it is a fact that Pakistan has imposed restrictions on the re-entry of infiltrators from Assam into Pakistan : and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). Recently the East Pakistan Border Security Forces did try to drive back Pakistani infiltrators deported from India. Indian Border Security Forces are keeping constant vigil on the border to prevent the re-entry of the illegal Pakistani immigrants deported from India.

आसाम में तेल के क्षेत्र

*583. **श्री प्र० चं० बरूआ :** **श्री किन्दर लाल :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर, 1965 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के समाचार के अनुसार आसाम में काफी बड़े तेल के क्षेत्र मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तेल की संभावित मात्रा के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Code of Conduct for Ministers

*584. **Shri Yudhvir Singh :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about two years have passed since the code of conduct for Ministers was formulated;

(b) the number of Ministers who have so far submitted statements regarding their assets and liabilities ; and

(c) the States to which they belong?

Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) No, Sir. The Code of Conduct for Ministers was made public on 29th October 1964 only. A copy was laid on Table of Lok Sabha on 18th November 1964. Attention is invited to reply given to Starred Question No. 56 answered in Lok Sabha on 18th November, 1964.

(b) and (c). All Central Ministers and Parliamentary Secretaries have furnished declarations regarding their assets and liabilities. Seven Chief Ministers of the following States/Union Territories having Ministers, have also furnished their declarations :

1. Himachal Pradesh.
2. Orissa.
3. Tripura.
4. Manipur.
5. West Bengal.
6. Goa, Daman & Diu.
7. Pondicherry.

Anti-National Writings by 'Samta Sandesh' (Madhya Pradesh Hindi Paper)

***585. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Hem Barua :
Shri Y. D. Singh :
Shri Gulshan :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Buta Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Priya Gupta :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri Sham Lal Saraf :
Shri Siddananjappa :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that by holding India and Pakistan on the same level anti-Indian views have been expressed in the editorial of issue No. 4 of the 4th September, 1965 of 'Samta Sandesh', a Hindi paper published from Shujalpur (M.P.); and

(b) if so, the action taken by Government in this connection with a view to checking such anti-national activities?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). According to the State Government the paper published the article in question on September 3, 1965. In the view of the State Government it is not considered necessary to take any action, as the article was not prejudicial or objectionable.

अश्लील रचनायें

586. **श्री जं० ब० सि० बिष्ट :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अश्लील रचनाओं संबंधी कानून में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो ठीक किस प्रकार के संशोधन करने का विचार है तथा उनका क्या प्रभाव होगा; और

(ग) क्या इन संशोधनों से एसी रचनाओं पर प्रतिबन्ध लगेगा जो कौटुम्बिक व्यभिचार संबंधी अथवा अन्य आपत्तिजनक यौन संबंधी सामग्री प्रकाशित करती है और जिससे युवकों के चरित्र भ्रष्ट होने की संभावना रहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार अश्लीलता सम्बन्धी कानून की वर्तमान व्यवस्थाओं के संशोधन के लिये कुछ सुझावों पर विचार कर रही है। इनको अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

*588. **श्री दाजी :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री वारियर : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता 25 लाख टन से बढ़ाकर 35 लाख टन करने की योजना इसलिए रद्द कर दी गई है कि कहा जाता है कि संघ सरकार ने इसे स्वीकार करने में आनाकानी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी और चिकित्सा कालिजों में दाखिला

*589. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के तकनीकी और चिकित्सा कालेजों में दाखिले के बारे में बड़ी अनियमिततायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन कालेजों में केवल सुपात्र उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : कालेजों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहां दाखिला केवल योग्यता के आधार पर करें ।

ऐसी कोई बड़ी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं ।

मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलनों की सिफारिशें

*590. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1965 में हुए मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलनों ने क्या सिफारिशें की और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इन सामयिक सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था और वह कहां तक पूरा हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभार मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1963 में मुख्य न्यायाधिपतियों का जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में यह सूचना सदन के सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में दे दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5280/65।**] जहां तक 1965 के सम्मेलन का सवाल है, उक्त सम्मेलन ने अपनी कार्यवाही को गुप्त रखा है । अतः उसकी सिफारिशों को बताना जनहित के विरुद्ध होगा ।

(ख) ये अधिवेशन उन समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये बुलाये जाते है जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति को दिलचस्पी हो । इनमें न्यायिक प्रशासन से सम्बन्धित प्रमुख मामलों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों के कार्यालयों के अधिकारियों और उनकी सेवा की शर्तों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है । इन सम्मेलनों की कार्यवाही का ब्यौरा भारत सरकार को भेजा जाता है और सरकार सम्मेलन के निर्णयों पर विचार करके उपयुक्त कार्यवाही करती है । ये सम्मेलन उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

"बर्मा-शेल न्यूज" में प्रकाशित मानचित्र

*592. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर, 1965 के "बर्मा-शेल न्यूज" (खण्ड 4, संख्या 2) की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत तथा पाकिस्तान का मानचित्र दिया हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें काश्मीर का, नैपाल की भांति, भारत से अलग एक स्वतंत्र इकाई रूप में स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है ; और

(ग) "बर्मा शेल आइल स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड" के इस "हाउस जनरल" पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस मानचित्र से ऐसा भासित होता है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत से बाहर है । यह मानचित्र एक लेख का भाग है । वह लेख लंदन से प्रकाशित "पट्रोलियम प्रेस सर्विस" के एक अंक से उद्धृत था और बर्मा-शेल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मानचित्र की यह गलती बर्मा-शेल न्यूज़ के सम्पादक के ध्यान में नहीं आई, और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल थी । मैसर्स बर्मा-शेल, नई दिल्ली ने इस भूल के लिये लिखित क्षमा-याचना पेश की है । उन्होंने अपनी पत्रिका के इस अंक की प्रतियां लौटा लेने और अपने आगामी अंक में उपयक्त भूलसुधार प्रकाशित करने की व्यवस्था भी की है ।

तल शोधक कारखाने

*593. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में तेल शोधक कारखानों को पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) : सरकार अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प (Industrial Policy Resolution) में निहित सिद्धान्तों पर चल रही है ।

पंजाब में उप-कुलपति की नियुक्ति

*594. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसे व्यक्ति को हाल में ही पंजाब के विश्व-विद्यालय का उप-कुलपति नियुक्त किया गया है जिसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभापति द्वारा की गई जांच के आधार पर राष्ट्रपति ने सेवामुक्त किया था क्योंकि उन्होंने उसे अपराधी करार दिया था;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब सरकार या राज्यपाल को परामर्श दिया है अथवा परामर्श देने का विचार है कि ऐसे पूर्व-वृत्त वाले व्यक्ति की नियुक्ति अनुचित तथा अवांछित है । और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मध्य प्रदेश काडर से लाए हुए एक आई० ए० एम० अधिकारी को पंजाब के विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया है, जिसको संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा फरवरी, 1963 में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया था ।

(ख) पंजाब के मुख्य मंत्री से इस विषय में जांच पड़ताल के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में नगर कार्य

1590. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र की सफाई का काम करने वाले व्यक्तियों के लाभार्थ केरल के नगरों में स्नान-घरों और पूतिकुंडों (सैप्टिक टैंक) के निर्माण की योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) योजना के अनुसार प्रत्येक नगर-पालिका अथवा नगर निगम उस खर्च में कितनी राशि देंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) 1964–65 में 16 नगरपरिषदों को स्नानागारों के निर्माण के लिये अनुदान के रूप में 80,000 रु० मजूर किये गए । 10 नगर परिषदों को पूति कूंडों (सैप्टिक टकों) और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये 1,19,650 रु० की राशि मंजूर की गई ।

(ग) क्योंकि ये योजनाएं केन्द्र द्वारा चलाई गई हैं इस लिये नगर परिषदें इनके खर्च में हिस्सा नही बटातीं ।

होसदुर्गी (केरल) में मकानों का नष्ट होना

1591. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के होसदुर्गी ताल्लुका में अगनूर पंचायत में हाल ही में 33 मकान नष्ट हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित व्यक्तियों को कोई सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 21 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए 6 पिछली जुलाई में छितारी नदी की बाढ़ से आंशिक रूप से ढह गए और 27 को क्षति पहुंची ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) बेघर लोगों को कल्लिंगाल के लोअर प्राइमरी स्कूल में स्थान दिया गया है । दो सप्ताह तक दो सौ व्यक्तियों के लिये लंगर चलाये गए । 56 प्रभावित व्यक्तियों को नक़द राशि भी दी गई है ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित मुकदमे

1592. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1965 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कितने मुक़दमें लम्बित थे ; और

(ख) कितने मुकदमे तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Archaeological Department

1593. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on the Archaeological Department and the number of employees who work for the whole year ;

(b) the particulars of important sites discovered which indicate the Aryans' advent into India ; and

(c) the expenditure incurred thereon so far and the conclusions arrived at?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) The average annual expenditure on the Archaeological Survey of India for the last three years was Rs. 1,18,19,153 ; and the average strength of staff who worked for the whole year during the last three years was 1986.

(b) The identification of Aryans with any known archaeological cultures is still uncertain.

(c) Does not arise.

नज़रबन्द संसद् सदस्यों को सुविधायें

1594. श्री कोल्ला वेंकया : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नज़रबन्द संसद् सदस्यों को विशेष-सुविधायें देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ; और

(ख) इन सुझावों को कहां तक कार्य-रूप में परिणत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : भारत सरकार इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया का पता लगाने की जरूरत नहीं मसझती क्योंकि उसने यह सुझाव एक ऐसे विषय में दिये थे जो पूरी तरह से राज्य सरकारों का अपना विषय है ।

नेहरू स्मारक संग्रहालय

1595. **श्री राम हरख यादव :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन मूर्ति स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय में अब एक नया कक्ष जोड़ा जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो नये कक्ष का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नजरबन्द लोगों का पुनरीक्षण

1596. **श्री राम हरख यादव :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर नजरबन्द लोगों की सूची पर पुनरीक्षण करने तथा केवल उन्हीं लोगों को नज़रबन्द रखने का सरकार का विचार है, जिन्हें नजरबन्द रखना राष्ट्रीय-सुरक्षा की दृष्टि से नितान्त आवश्यक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो नजरबन्द लोगों की सूची पर पुनरीक्षण करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार द्वारा नज़रबन्दों की सूची के पुनरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियमावली के नियम 30 से सम्बन्धित नियमों में प्रत्येक मामले के अलग-अलग पुनरीक्षण और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की व्यवस्था है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस का मुख्यालय

1597. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस का वर्तमान मुख्यालय मथुरा रोड, नई दिल्ली, में एक नई छः मंजिला इमारत में ले जाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण है ; और

(ग) इस कार्यालय को नई इमारत में ले जाने पर कितना खर्च आयेगा ;

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बीत मामले

1598. **श्री लखमू भवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्षों से जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में कितने मुकद्दमें लम्बित हैं ; और

(ख) इन मामलों का शीघ्रतापूर्वक निपटारा करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी। (उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान जबलपुर है न कि भोपाल ।)

मध्य प्रदेश म उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

1599. **श्री लखमू भवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की कितनी संख्या निर्धारित है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 13 स्थायी न्यायाधीश ।

(ख) 13 स्थायी और एक अतिरिक्त न्यायाधीश ।

केन्द्रीय स्कूल

1600. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने केन्द्रीय स्कूल चल रहे हैं, और

(ख) मध्य प्रदेश मे ऐसे स्कूल कितने हैं ?

शिक्षा मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन) : (क) 86.

(ख) 6.

मध्य प्रदेश में नया विश्वविद्यालय

1601. **श्री लखमू भवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में मध्य प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो वह विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और उस पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवियत दूतावास द्वारा भारतीयों को पुरस्कार

1602. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जवाहरलाल नेहरू की 76 वीं वर्ष गांठ के अवसर पर सोवियत दूतावास ने भारतीय लेखकों, पत्रकारों और बच्चों को बड़ी संख्या में पुरस्कार तथा पारितोषिक दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कारों तथा उनको पाने वाले व्यक्तियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पुरस्कार देने का क्या उद्देश्य है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5281/65।]

चिकनाई वाले तेलों (लुब्रिकेटिंग आयल) का उत्पादन तथा आयात

1603. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में विभिन्न प्रकार के चिकनाई वाले तेलों का कुल कितना उत्पादन होता है तथा कितने मूल्य का ;

(ख) इस समय चिकनाई वाले तेलों का कितना आयात होता है तथा कितने मूल्य का ;

(ग) ऐस्सो तथा मोबिल—आई० ओ० सी० के प्रस्तावित संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद इन तेलों का कितना अधिकतम वार्षिक उत्पादन होगा तथा इतना उत्पादन कब तक होने लगेगा ; और

(घ) अधिकतम उत्पादन होने के बाद अनुमानतः कितने मूल्य के चिकनाई वाले तेल का आयात किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग) : सूचना नहीं बताई जा सकती क्योंकि भारत प्रतिरक्षा नियमावली, 1962 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धित है।

(घ) चौथी योजना के अन्त तक चिकनाई वाले तेलों (Lubricating Oils) के के उत्पादन द्वारा हमारी आवश्यकताओं के अधिक भाग के पूरे होने की आशा है और तदनुसार आयात मामूली होगी।

Publication of 'Gyan Sarovar'

1604. **Shri Sidheshwar Prasad : Shri Wadiwa :**
Shri Lakhmu Bhawani : Shrimati Shyamkumari Devi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme for publishing "Gyan Sarovar" was formulated by his Ministry ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the date and time when the work of its publication was entrusted ; and

(d) the number of volumes of "Gyan Sarovar" published so far, the expenditure incurred thereon by Government and when the remaining volumes will be published ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes.

(b) and (c). The work entailing preparation, compilation and publication of a Hindi Encyclopaedia "Gyan Sarovar' was entrusted to a private educational institution in July, 1952. The terms and conditions are indicated in the appendix 'A'

(d) 'GYAN SAROVAR VOLUME I', Volume I (reprint) and Volume II were brought by the private institution. Volume III, manuscript of which was prepared by that institution, has actually been brought out by the Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting. A sum of Rs. 2,05,396·87 has been spent on these volumes. The remaining volumes will be published by the Information and Broadcasting Ministry in due course.

Statement

The Maktaba Jamia (Jamia Millia Islamia) was expected to—

(A) arrange for its publication ; and

(B) dispose it of in accordance with the instructions of the Government of India.

2. So far as 'A' was concerned, the Maktaba was to abide by the decision of the Committee formed by the Government of India for this purpose, as conveyed to them by the Government of India regarding :

(a) the quality and size of the paper ;

(b) the size and font of type ;

(c) the physical make-up of the book-format, binding etc.,

(d) number of copies of each volume to be printed ;

(e) the time interval between the handing of a manuscript to the Maktaba and its publication ;

(f) the rates of printing.

So far as 'B' was concerned, the Maktaba was to—

(a) store printed copies of the Encyclopaedia free of cost to Govt. for three years ; and

(b) carry out Government of India's instruction regarding :

(i) the supply of copies to persons or institutions on such terms and conditions as may be laid down ;

(ii) the manner of the sale of the work, including price, sale agents, commissions etc.,

(iii) the publicity to be given to the work.

A Popular Encyclopaedia Fund was also created under the administration of Maktaba Jamia. The Maktaba was to maintain separate accounts of all the amounts received from the Government as also the sale proceeds etc. of the Encyclopaedia and take out such amounts from the Encyclopaedia Fund as may be authorised by the Government from time to time. The Government reserved the right to direct the Maktaba to refund to the Government such funds as may be decided from time to time considering the state of the Encyclopaedia Fund.

कलकत्ता स्थित पाकिस्तान की चांसरी की विध्वंसक योजना

1606. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त के कार्यालय में हाल ही में बहुत बड़ी संख्या में कागज जलाये गये थे ; और

(ख) क्या सरकार को सकारण यह विश्वास है कि इन कागज़ातों में ऐसी योजनायें थीं जिनसे साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके बड़े पैमाने पर आन्तरिक विद्रोह तथा विध्वंस करवाया जाना अपेक्षित था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(क) इस आशय की कुछ खबरें मिली हैं ।

(ख) यह ज्ञात नहीं है कि जो कागज जलाए गये उनमें इस देश में आंतरिक विद्रोह या विध्वंस करने की कोई योजना थी ।

Technical Education in Secondary Schools

1607. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have made a study of the technical education being imparted in the Secondary Schools in East and West Europe ;

(b) whether Government have under consideration any scheme to be implemented in the Fourth Five Year Plan to impart technically-biased education to the maximum number of students of secondary schools in the country ; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). At present the matter is being examined in details by the Education Commission.

The Government will consider the entire question after Education Commission has submitted their recommendations.

Land Prices in Delhi

1608. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of land in Delhi are increasing day by day and the rents of houses have also increased considerably ; and

(b) if so, the action being taken by Government in respect thereof, especially to check the rise in rents ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) On the basis of the study of the sale deeds of some cases in some localities, it has been found that prices of land have shown downward trend in most of the colonies and a up-ward trend in some colonies. Rents in the urban areas of Delhi are controlled under the Delhi Rent Control Act, 1958. Standard rent, in relation to any premises, is fixed under Section 6 of the Act. In the case of newly constructed premises, the standard rent is that on which it is first let out for a period of five years.

(b) To check speculation in prices of land, Government are already implementing the scheme for large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi, details of which were given in the statement laid on the Table of the House on 23rd March, 1961 in reply to notice under Rule 197 of Shri P. G. Deb. In regard to control over rents, the Delhi Rent Control Act, 1958, is in force.

दंडाधिकारी के सामने किये जाने स संबंधित नियमों का उल्लंघन

1609. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वकीलों की संस्थाओं (बार असौसिएशन), नागरिक स्वतन्त्रता संघों (सिविल लिबरटीज़ यूनियन) तथा अन्य सार्वजनिक हित वाले निकायों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कि दंडाधिकारियों के सामने पेश किये जाने से सम्बन्धित सावैधानिक उपबन्धों को प्रायः उल्लंघन किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पुलिस तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय की कोई हिदायतें दी हैं कि उन्हें विधि शासन के प्रति आदर भाव बनाये रखने के लिये इस उपबन्ध का सख्ती से पालन करना चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन

1610. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तारशील राजधानी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की संख्या में वृद्धि करने तथा उसका पुनर्गठन करने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था के अन्तर्गत क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में अपराध स्थिति तथा दिल्ली पुलिस की विभिन्न शाखाओं की विशेष अवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर दिल्ली पुलिस की संख्या में वृद्धि की गई है और उसका पुनर्गठन किया गया है । एक विवरण जिसमें दिल्ली पुलिस को मजबूत बनाने तथा उसका पुनर्गठन करने के लिये चालू वर्ष में मंजूर किये गये कर्मचारियों तथा इस पर हुए व्यय की जानकारी दी हुई है संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	वार्षिक अनुमानित व्यय
1	2	3
		रुपये
1	कर्मचारियों सहित पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) के अतिरिक्त पद का बनाया जाना	6,035.00
2	दिल्ली पुलिस गुप्तचर विभाग (विशेष शाखा) की जांच शाखा के लिये अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	73,600.00
3	पालम हवाई अड्डे पर आप्रवासी कार्यालय के लिये अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	1,41,158.00

1	2	3
4	16 जुलाई, 1965 से पंजाब सरकार से रेलवे पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	7,52,660.00
5	1 मार्च 1966 से बीट पैट्रोल स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	
	(एक) थाना चाणक्यपुरी (दो) थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट (तीन) थाना तुगलक रोड	6,15,000.00
	(चार) थाना किंग्सवे कैंप .	1,26,700.00
6	1 मार्च, 1966 से दिल्ली पुलिस के कन्टिंजेंसी रिजर्व स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये अतिरिक्त पदों का बनाया जाना	3,29,300.00
7	अभियोग शाखा के कर्मचारियों की संख्या का बढ़ाया जाना .	40,000.00
	योग .	20,84,453.00

एस० जे० टी० बी० अस्पताल में एक रोगी की मृत्यु

1611. श्री बागड़ी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य कार्य मंत्री एस० जे० टी० बी० अस्पताल, दिल्ली में तपेदिक के एक रोगी की मृत्यु के बारे में 22 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की पूरी जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री ल० ना० मिश्र : (क) और (ख) : अभी तक मामले की जांच की जा रही है ।

Action Against Officials Leaking Secrets

1612. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Parashar :
Shri S. N. Chaturvedi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any officials of the Secretariat or other Departments under the Government of India at Delhi were apprehended during the past Indo-Pak fighting who used to leak out secrets to the enemy ;

(b) if so, the number of such persons and the action taken or being taken against them ; and

(c) whether a list showing the names of persons against whom the charges of leaking out the secrets have been levelled will be laid on the Table ?

4—10 Lok Sabha/66.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Hindi Salahkar Samiti

1613. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for the recurring and non-recurring expenditure in respect of the works of Hindi Salahkar Samiti appointed by his Ministry during 1965-66 as also the details of the amount utilised so far ; and

(b) the steps taken to publicise the work of this Samiti ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No separate budget provision has been made for the Hindi Salahkar Samiti. The expenditure on its working is met from the Home Ministry's budget grants. So far during the current financial year about Rs. 46,000 have been spent on the Samiti's work.

(b) While replying to certain questions, Statements containing the recommendations made by the Samiti since its constitution along with the action taken thereon by Government have been laid on the table of the House.

Central Government Employees Consumers Co-op. Society, Ltd.

1614. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the profit earned by the Central Government Employees Consumer Co-operative Society, Limited, New Delhi so far ;

(b) whether it has declared any dividend to its shareholders ; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The profit for the co-operative year 1963-64 was Rs. 1,30,300·90P. The accounts for the co-operative year 1964-65 have still to be audited.

(b) and (c). Dividend of Rs. 37,003·50 (at $6\frac{1}{4}$ on the paid up capital at charge as on 30-6-1964 *i.e.* Rs. 5,92,056·00) has been declared.

कावेरी नदी क्षेत्र (बेसिन) में खुदाई कार्य (ड्रिलिंग)

1615. श्री सुबोध हंसदा :
श्री मुथिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कावेरी नदी क्षेत्र में कराइकल और पट्टकोटाई के निकट तेल निकालने के लिये खुदाई कार्य (ड्रिलिंग) आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आज तक किस गहराई तक खुदाई हो चुकी है ;

(ग) क्या वहां से तेल मिलने की कोई संभावना दिखाई दी है ; और

(घ) इस कार्य के लिये ऐसे कितने कुएं खोदे जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) पहला कुंआं 800 मीटर तक खोदा गया ।

(ग) तेल के चिन्ह पाय गये हैं ।

(घ) इस का बाद में फैसला किया जायेगा ।

स्वर्गीय श्री बटुकेश्वर दत्त के परिवार के लिये सहायता

1616. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महान क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय श्री बटुकेश्वर दत्त के परिवार के सदस्यों को यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है तो कितनी राशि की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : गृह-मंत्री की विवेकानुदान राशि में से 500 रुपये । पंजाब सरकार ने भी मुख्य मंत्री की सहायता निधि में से 5,000 रुपये और राष्ट्रीय कार्यकर्ता सहायता निधि से 250 रुपये प्रति मास का मासिक भत्ता मंजूर किया है । इसके आलावा श्री बटुकेश्वर दत्त के इलाज पर भी 9,962 खर्च किया गया था ।

Price of Oil

1617. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the share of (i) Central and State Government taxes and (ii) company's and distributor's profits in the consumer price of a litre of petrol, diesel oil and kerosene in Bombay ; and

(b) the steps which Government propose to take to bring relief to the consumer ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) The required information is as under :—

	Motor Spirit	H.S.D. Oil	L.D.O.	Kerosene (Sup.)	Kerosene (Inf.)
(i) Price of one litre	75 Paise	68 Paise	26 Paise	42 Paise	28 Paise
(ii) Central duty included in (i) . .	54 ,,	51 ,,	13 ,,	27 ,,	16 ,,
(iii) Profit included in (i)	2 ,,	2 ,,	0·9 ,,	0·9 ,,	0·9 ,,
(iv) Dealers' Commission included in (i)	4 ,,	2 ,,	..		
(v) Agents' Commission included in (i)			0·7 Paise	0·8 Paise	0·8 Paise

These prices are exclusive of sales tax, octroi, local taxes, etc. levied by the State Governments/local authorities.

(b) Increases in prices over the past several years have been only on account of statutory levies. Relief to the consumers depends on relief in the element of duty (which constitutes a predominant portion of the selling price per litre for each product) for which there appears no scope at present because of the need for revenues.

Barauni-Kanpur and Barauni-Haldia Pipe Line

1618. Shri D. M. Tiwary : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is an inordinate delay in the construction of the Barauni Kanpur and Barauni-Haldia pipe lines;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how the oil from Barauni is being sent to both these places at present ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) and (b). No, Sir, except for the delay in the start of construction by about four months on account of delay in arrival of main pipe lines from Japan and the contractor's inability to secure jeeps and trucks in time.

(c) By rail tank wagons.

बरौनी तेल-शोधक कारखाना

1619. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में हाल ही में की गई अशोधित तेल की खोज के परिणामस्वरूप बरौनी तेल-शोधक कारखाने के लिए तेल की सप्लाई में वृद्धि करने की गुंजाइश बढ़ गई है ;

(ख) क्या बरौनी तेल-शोधक कारखानें की क्षमता को 20 लाख मीट्रिक टन से 30 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ग) क्या इस विस्तार के कारण हल्दिया तेल-शोधक कारखाने को स्वदेशी स्रोतों से की जाने वाली अशोधित तेल की सप्लाई में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) यह पाये जाने वाले संचयों की मात्रा पर निर्भर होगा ।

कर्मचारी संस्थाओं की मांगें

1620. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय को नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की संस्थाओं की ओर से कितनी मांगें प्राप्त हुई हैं

(ख) इन मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी (1) स्वीकार की गई हैं तथा (2) अस्वीकार कर दी गई है; और

(ग) इन मांगों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक सेवा संस्थाएं हैं और इनके द्वारा समय-समय पर पेश की गई मांगों की संख्या बहुत है और वे मांगे भिन्नभिन्न प्रकार की हैं। इसके अलावा उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी मामलों से है और वे इतने बड़े मामले हैं कि उन्हें एक प्रश्न के उत्तर की सीमाओं में नही बांधा जा सकता।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल के लिये सर्वेक्षण

1621. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में पैट्रोल के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किनकिन स्थानों पर ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) : जी, हां। सागर जिला और झांसी के संलग्न क्षेत्रों में अभिदर्शित (exposed) विन्ध्यनों (Vindhyans) का भूगर्भीय मानचित्रण किया गया है।

(ग) अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार इस स्थिति पर अन्वेषी व्यधन नहीं किया जा सकता।

निःशुल्क तकनीकी शिक्षा

1622. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य कम आय वाले कर्मचारियों के बच्चों को माध्यमिक स्तर से आगे तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने में सहायता देने के उद्देश्य से, सरकारी तकनीकी संस्थाओं में उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रक्रियागत प्रशासनिक विलम्ब को मिटाना

1623. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक विलम्ब की समस्याओं तथा तत्सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये बनाई गई मन्त्री स्तर की समिति द्वारा प्रक्रियागत विलम्ब को मिटाने तथा प्रशासनिक कार्य की गति को तेज करने के लिये इस बीच क्या निर्णय किये गये है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में और क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मंत्री स्तर की समिति द्वारा किय गए अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से कुछ नीचे दिये गए है :—

(1) वित्तीय प्रत्यायोजन के प्रश्न की प्रक्रियागत सरलीकरण के किसी भी प्रयत्न के आधार के रूप में समीक्षा की जानी चाहिये और प्रारम्भिक उपाय के रूप में एकदम 1962 के वित्तीय प्रत्यायोजन पर लौट आना चाहिये।

(2) मंत्रालयों से अबतक नियुक्त किये गए अध्ययन दलों के प्रतिवेदनों में से उठ खड़े होने वाले प्रमुख प्रश्नों पर इन सिफ़ारिशों का अपनी गतिविधियों के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए विचार करने का अनुरोध किया जाना चाहिये ताकि समस्या वाले इलाकों को पहचाना जा सके और ऐसे उपाय खोजे जा सकें जिनसे प्रक्रियागत जटिलताओं और मनमानी को दूर कर के नियंत्रण पर बल दिया जा सके ।

(3) अधिकारी स्तर पर काम को निपटाने की एक संगठन पद्धति शीघ्र चालू करनी चाहिये ।

(4) विभिन्न अवरोध स्थलों को ढूंढ कर सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिये उपाय सुझाने तथा की गई प्रगति पर लगातार निगरानी रखने के लिये योजना आयोग को एक पत्र तैयार करना चाहिये ताकि समय पर सुधारात्मक पग उठाये जा सकें ।

(5) मंत्रालयों से (i) अपने अधीन ऐसे नियंत्रणों पर जो अनावश्यक हों अथवा सरल करने योग्य हों विचार करने; (ii) जहां कहीं सम्भव हों नियंत्रण समाप्त करने और (iii) जिन नियंत्रणों को कायम रखना जरूरी समझा जाय उनके यथा सम्भव सरलीकरण, पर विचार करने का अनुरोध किया जाय ।

Editorial in Urdu Daily of Delhi

1624. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** to pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Urdu Daily of Delhi published in its editorial of the 2nd October, 1965 that we will prefer to hand over some part of Ladakh to China rather than give Kashmir to Pakistan ; and

(b) if so, the steps taken against such antinational writings ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The editorial, read as a whole is not considered actionable in law.

Unlicensed Gun factory at Indore

1625. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one unlicensed gun and ammunition factory was recently detected at Indore (Madhya Pradesh);

(b) whether it is also a fact that the said factory was also used as a centre for anti-social activities; and

(c) if so, the action taken against the persons concerned ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Murder of a Tibetan Student

1626. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Tibetan student was killed in Delhi on the 7th October, 1965; and

(b) if so, the steps taken so far in this connection ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The person alleged to have stabbed the student was arrested the same evening. The case is under investigation.

Rifles at Concessional Rates

1627. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to give rifles at concessional rates to the trained persons; and

(b) if so, the details thereof ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मैसूर में खनन कॉलेज

1628. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की सरकार ने कोलार स्वर्ण क्षेत्र में अथवा भद्रावती में टैकनोलोजी (औद्योगिकी) का एक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव किया था, जिसमें खनन तथा धातुकार्मिक विषय पढ़ाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसूर सरकार को सूचित किया गया था कि इस योजना पर चौथी पंच वर्षीय योजना के तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा । कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

पंजाब में लड़कियों की शिक्षा

1629. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : पंजाब राज्य में लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित विशेष योजनाओं पर 1964–65 तक 7.80 लाख रुपये खर्च हुए थे । इसके अतिरिक्त, सामान्य शिक्षा पर हुए खर्च का कुछ भाग लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर भी किया गया था, किन्तु इसका हिसाब अलग से उपलब्ध नहीं है ।

राज्य के स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक 35,000 रुपये के अनुदान भी दिए गए हैं ।

पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमे

1630. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1965 को चण्डीगढ़ स्थित पंजाब उच्च न्यायालय में कितने मुकदमे लम्बित थे?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) 1 अक्तूबर, 1965 को पंजाब उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की कुल संख्या 25,397 (16,965 चंडीगढ़ में और 8,432 दिल्ली में थी)।

पंजाब में प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें

1631. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 और 1965-66 में अब तक प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें बनाने के लिये पंजाब सरकार को ऋण अथवा सहायता के रूप में कितनी रकम दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : क्योंकि 1964-65 और 1965-66 के दौरान केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऐसी कोई विकास योजना नहीं थी, इसलिए इन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा पंजाब को कोई ऋण अथवा उपदान नहीं दिया गया है ।

"स्लैक कोल" तथा "कोक ब्रीज" का वाणिज्यिक प्रयोग

1632. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्लैक कोल" तथा "कोक ब्रीज" के वाणिज्यिक प्रयोग के बारे में केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था ने अपना जांच-कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये तरीके का वाणिज्यिक प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : इस संस्था ने "स्लैक कोल" तथा "कोक ब्रीज" और/अथवा परिष्कृत धातु अयस्कों से ब्रिकेट तथा सांचे में ढली आकृतियां बनाने का तरीका निकाला है ।

(ख) इस तरीके को वाणिज्यिक प्रयोग के लिए मैसर्स कोक ब्रीज बाइंडर कम्पनी, कलकत्ता को किराया पर दे दिया गया है ।

दिल्ली में अधिसूचित भूमि

1633. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने भूमि अर्जन करने के लिये अब तक कुल कितने क्षेत्रफल भूमि अधिसूचित की है; और

(ख) अब तक कितनी भूमि के लिये प्रतिकर दिया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 56,300 एकड़ ।

(ख) ऐसा क्षेत्र जिसके लिये अब तक प्रतिकर दिया जा चुका है 21,138 एकड़ है ।

पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष के लिये अंशदान

1634. **श्री मोहसिन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक भारतीय उद्योगपति ने पाकिस्तान प्रतिरक्षा कोष में 20 लाख रुपये दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध शत्रु की सहायता करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शेख अब्दुल्ला की श्री जय प्रकाश नारायण के साथ मुलाकात

1635. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडेकनाल में श्री जय प्रकाश नारायण ने शेख अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी ; और

(ख) श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने आवेदन-पत्र में शेख अद्बल्ला की निगरानी करने वाले प्राधिकारियों को अपनी मुलाकात का क्या उद्देश्य बताया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोडेकनाल में श्री जय प्रकाश नारायण की शेख अब्दुल्ला के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"इण्डेन गैस"

1636. **श्री च० का० भट्टाचार्य** :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1758 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कम्पनी की तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की बिक्री करने के लिये दो वितरक किस तिथि को नियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या कलकत्ता के बाजार में "इण्डेन गैस" अब बिक्री के लिये आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कलकत्ता में नियुक्त किये गये दो "इण्डेन" वितरकों में से एक को जून 1964 में और दूसरे को जून 1965 में नियुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) : जी हां ; 21 अक्तूबर, 1965 से।

राजस्थान में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत

1637. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में भी उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी

1638. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में भूमि देने के लिए सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है;

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में "गन फैक्टरी"

1639. श्री हिम्मतसिंहका : श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामेश्वर टांटिया : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक 'गन फैक्टरी' लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस फैक्टरी को लगाने में अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) इस का वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्यौरा तैयार नहीं किया है ।

Participation of Pakistanis in "Urs" in Ajmer

1640. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Yudhvir Singh :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Urs' fair was recently held in Ajmer this year ;

(b) whether it is also a fact that a number of Pakistani spies took part in that fair; and

(c) if so, whether Government have taken any specific steps to investigate into the matter ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no information of any Pakistani spies having taken part in the fair.

(c) Does not arise.

Privy Purse of Junior Begum of Bhopal

1641. Shri A. S. Saigal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have advised the Central Government to discontinue the payment of privy purse to the junior Begum of Bhopal ;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) whether it is also a fact that the Begum of Bhopal has changed her nationality and has now become a national of the United Kingdom ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). In consultation with the State Government the payment of allowance to Her Highness Shah Dulhan Aftab Jahan, Junior Dowager Begum of Bhopal, has been discontinued with effect from 1st April, 1965.

(c) Her Highness Shah Dulhan Aftab Jahan, Junior Dowager Begum of Bhopal has relinquished Indian citizenship and acquired British Nationality.

कलकत्ता के होटलों में सेवा नियुक्त पाकिस्तानी राष्ट्रजन

1642. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता के होटलों, रैस्टोरेंटों और जीमखानों में पाकिस्तानी पारपत्र के साथ आये हुए व्यक्ति वेटरों और बैरों के रूप में काम करते हैं; और

(ख) क्या उन को हटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत सेवक समाज, उड़ीसा

1643. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 14 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा को 1965-66 में विभिन्न शिबिरों को चलाने के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : 60 परिवार नियोजन पुनर-नुस्थापन प्रशिक्षण शिबिरों के लिए 36,000 रुपये के अनुदान हेतु एक प्रार्थना स्वास्थ्य मंत्रालय में प्राप्त हुई है जो उस मंत्रालय के विचाराधीन है।

तिहाड़ जेल की घटना

1644. श्री बीरेन दत्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1965 को तिहाड़ सैंट्रल जेल के एक अधिकारी के द्वारा बुलाये जाने पर एक नज़रबंद व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ विधिवत् मंजूर की गई मुलाकात के लिये जेल के द्वार पर ले जाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि जेल के द्वार पर उसे कुछ वार्डरों ने मारा पीटा और उसे उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया गया;

(ग) क्या अधीक्षक ने उन दोषी वार्डरों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्या दंड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) नजरबन्द के साथ वार्डरों ने दुर्व्यवहार किया किन्तु वह अपनी पत्नी से मुलाकात कर सका।

(ग) जी हां। तीनों सम्बन्धित वार्डरों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई और उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

(घ) अब उन तीनों वार्डरों को दंड दे दिया गया है। छः महीने के लिये सिवाय बीमारी की अवस्था के अलावा उनकी छूट्टी बंद कर दी गई।

वामपंथी साम्यवादियों की नजरबन्दी सम्बन्धी आयोग

1645. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वामपंथी साम्य-वादियों की नज़रबंदी के कारणों का परीक्षण करने के लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का एक आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Prices of Soap

1646. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been invited to the fact that the prices of soap have risen this month;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the steps being taken to make soda ash and soap easily available in the rural areas ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Yes. The manufacturers increased the prices with effect from 1-9-1965.

(b) Increase in cost of production due to rise in prices of raw materials.

(c) There is no control over distribution of soap and soda ash. Distribution of soap and soda ash to all consumers including those in rural areas are arranged through normal commercial channels and there have been no reports of any difficulty in availability of these items in the rural areas.

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

1647. **श्री दाजी** : **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री वारियर : **श्री वासुदेवन नायर** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग की इस सिफारिश को कि 80 से 90 प्रतिशत तक पदों को, 3 वर्ष तक कायम रहने पर स्थायी बना देना चाहिये, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक (क्लैरीकल) सेवा के संबंध में क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक (क्लैरीकल) सेवा में इस समय कितने स्थायी कर्मचारी है तथा कितने अस्थायी; और

(ग) उन कर्मचारियों को, जो दस वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक (क्लैरीकल) सेवा में स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों की स्थायी अधिकृत संख्या निर्धारित करने वाले सिद्धांतों से सम्बन्धित गृह मंत्रालय के 29-3-63 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/21/62—सी० एम० (ए) की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह एकदम उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1-11-62 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा को विकेन्द्रीत कर दिया गया। यह सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी।

(ग) विकेन्द्रीकरण के बाद प्रत्येक ग्रेड की अधिकृत स्थायी संख्या की वार्षिक समीक्षा तथा पुर्ननिर्धारण करना और इसी प्रकार केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 की व्यवस्था के अनुसार उक्त ग्रेड की इस प्रकार पुर्ननिधारित स्थायी संख्या के लिये स्थायी नियुक्तियां करना ग्रेड के प्राधिकारियों का काम है।

वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

1648. श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में वरिष्ठता संबंधी नियम इस प्रकार बनाये जाते हैं कि अपने ग्रेड में अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उस ग्रेड में सीधे भर्ती होने वाले कम वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों की तुलना में कनिष्ठ माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भावी पदोन्नति की दृष्टि से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को नुकसान होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये तथा सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों के बीच जो दोनों उस पद के लिये उपयुक्त होने के कारण ही चुने जाते है इस प्रकार का भेदभाव करना सरकार द्वारा उचित एवं न्यायपूर्ण समझा जाता है ; और

(ग) इस विषय में सरकार का विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये हजारों कर्मचारियों की शिकायत को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि :—

(i) सभी स्थायी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ माने जाते हैं।

(ii) किसी ग्रेड में प्रतियोगिता परीक्षा अथवा निर्वाचन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके द्वारा प्रतियोगिता में प्राप्त क्रम के अनुसार निर्धारित होगी।

(iii) अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके स्थायी किये जाने के क्रम के अनुसार होनी चाहिये ; और

(iv) सीधे भर्ती होने वालों और विभागीय तौर पर पदोन्नत व्यक्तियों की तुलनात्मक वरिष्ठता दोनों श्रेणियों के लिये निर्धारित अभ्यंश के अनुसार क्रम से संचालित की जानी चाहियें। किसी ग्रेड के स्थायी पदों पर नियुक्त सीधे भर्ती होने वालों और पदोन्नत

व्यक्तियों की नियमानुसार निर्धारित अनुपातों में क्रमिक नियुक्ति द्वारा की जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता भी उसी क्रम से संचालित होती है। जब किसी ग्रेड में सीधे भर्ती की जरूरत एक बार स्वीकार कर ली जाती है तब ऊपर दिये गए तरीके से वरिष्ठता का निर्धारण ही एकमात्र उचित और न्यायपूर्ण उपाय समझा जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

1649. श्री वारियर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कुछ कर्मचारी संस्थाओं तथा संसद् सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि 1 मई, 1957 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की श्रेणी दो के 209 स्थायी पदों में से जो अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखे गये थे, अन्ततोगत्वा केवल 135 पदों पर ही उन्हें स्थायी बनाया गया और शेष 74 पदों पर 1 मई, 1959 के सामान्य अन्यश के कर्मचारियों को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा स्थायी बनाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के साथ किये गये इस भीषण अन्याय को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी बात न हो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-5283/65।**]

केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्क के पद समाप्त करना

1650. श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मैक्सवल कमेटी", पहले वेतन आयोग तथा दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्कों के पद समाप्त किए जायें क्योंकि ये सचिवालय की आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उच्चाधिकार प्राप्त निकायों को स्पष्टतया निश्चित सिफारिशों के बावजूद भी केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में इन पदों को बनाये रखने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5284/65।**]

आदिवासियों की होम गार्डों के रूप में भर्ती

1651. श्री ह० च० सोय : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी युवक अपने परम्परागत धनुष्यबाण के साथ अच्छे जंगल स्काउट बन सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के होम गार्डों को रायफल और बन्दूकों के अलावा धनुष्यबाण से सुसज्जित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से इस आशय को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में नजरबन्दियों को सुविधायें

1652. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नजरबन्दियों को "न्यू एज" और "पीपल्स डेमोक्रेसी" जैसी पत्रिकाएं नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : राज्य सरकार के नजरबंदों को पार्टी साहित्य न देने के 31 अगस्त, 1965 के आदेश के अनुसार जेल अधिकारियों ने 31 अगस्त, 1965 के बाद से उक्त पत्रिकाएं देना बन्द कर दिया था।

किन्तु अब सरकार ने अपने आदेश में संशोधन कर लिया है, और वैध होने के कारण ये पत्रिकाएं नजरबन्दों के खर्च पर उन्हें दी जाती है।

केरल सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1653. **श्री. वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की नई दरों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एक भाग को प्रतिरक्षा बांडों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य तथा प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते की निम्नलिखित दरें लागू की हैं जो मद्रास में लागू दरों के समान हैं :—

प्रतिमास वेतन	प्रति मास महंगाई भत्ते की दर
90 रु० से नीचे . . .	33 रु०
90 रु० से 149 रु० तक . . .	50 रु०
150 रु० से 209 रु० तक . . .	65 रु०
210 रु० से 399 रु० तक . . .	81 रु०
400 रु० से 1,000 रु० तक . . .	90 रु०
1,000 रु० से ऊपर . . .	1090 रु० से वेतन जितना कम हो।

(ग) 90 रु० से 1010 रु० (महंगाई वेतन को मिलाकर) तक वेतन वाले कर्मचारियों को जिन रूपों में अपने वेतन का निर्धारित भाग जमा कराना होता है उनमें से एक द्वादस-वर्षीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाण-पत्र।

शत्रु के आक्रमणों के विरुद्ध औद्योगिक परियोजनाओं का संरक्षण

1654. **श्री हु० च० सोय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हमारी महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं तथा महत्वपूर्ण संचार लाइनों को शत्रु के हवाई हमलों और तोड़ फोड़ की कार्यवाही से सुरक्षित रखने के लिए क्या विशेष पग उठाये गये हैं; और

(ख) ग्राम पंचायतों तथा उनके ग्राम स्वयंसेवक दलों के संसाधनों को कितना बढ़ाया और पुनर्गठित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस बारे में उठाए गये विशेष पगों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

नाजुक क्षेत्रों और उन भवनों की रात-दिन निगरानी और गश्त जिनमें खास तौर पर महत्वपूर्ण तथा आक्राम्य यंत्र लगे हुये हैं;

ऐसे स्थानों को निषिद्ध तथा सुरक्षित घोषित करके उनकी एक सूची रखना और समय समय पर उसमें संशोधन करना;

गमनागमन पर नियंत्रण;

विध्वंसात्मक कार्यवाहियों तथा योजनाओं का पता लगाकर उन्हें रोकना;

प्रमुख निर्माणों के चित्र खींचने का विनियमन (और कुछ मामलों में निषेध)

(ख) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि ग्राम स्वयं सेवकों के दलों के संसाधनों को और शक्तियों को बढ़ाया जाय और उनके सदस्यों को स्थानीय प्रतिरक्षा तथा जनता को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करने के क्षेत्रों में विशेष कार्य सौंपे जाय। यथासम्भव हथियारों के प्रशिक्षण समेत उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए भी सुझाव दिये गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम स्वयं सेवक दल का कार्य भी निर्धारित कर दिया गया है।

पंजाब-पेप्सू की संयुक्त वरिष्ठता सूची

1655. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूतपूर्व पंजाब तथा पेप्सू राज्यों के सभी वर्ग के पदाधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप से तैयार कर ली है;

(ख) क्या इस प्रकार तैयार की गई वर्गीकरण सूचियों को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1-11-65 की स्थिति के अनुसार 35,042 कर्मचारियों में से 18,668 की वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली गई थी और भारत सरकार की अनुमति से प्रकाशित कर दी गई थी।

(ख) और (ग) : अंतिम वरिष्ठता सूची के क्रियान्वित न किये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के लिय आदेश जारी किया गया है।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों का पुनर्वास

1656. **श्री बूटा सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से मार्च 1961 तक पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की संख्या क्या है और उन्हें जिले वार कितनी कितनी संख्या में (1) होशियारपुर, (2) जालन्धर, (3) हिसार, (4) संगरूर, (5) लुधियाना, (6) करनाल के जिलों में बसाया गया है ; और

(ख) इन विस्थापितों में हिन्दुओं, सिखों और अन्य जातियों की अलग अलग संख्या क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) : जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्रित करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा और जो समय लगेगा, उसको देखते हुए कोई विशेष परिणाम नहीं निकलगा।

त्रिपुरा के नज़रबन्दियों की पैरोल पर रिहाई

1657. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के किसी नज़रबन्दी को पैरोल पर रिहा किया गया है ;

(ख) कितने नज़रबन्दियों ने पैरोल के लिये आवेदन पत्र दिया था ; और

(ग) अब तक उनमें से कितनों को पैरोल पर रिहा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रायल में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) तीन।

(ग) एक।

केरल में राष्ट्रपति का शासन

1658. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 5 तथा 8 नवम्बर, 1965 को केरल में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प पर वाद-विवाद के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि केरल के राज्यपाल की रिपोर्ट में जो छपाई की गलती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है ;

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : जांच करने पर पता चला कि वास्तव म टाइपिंग की गलती के कारण ऐसा हुआ था। इस लिये यह फैसला किया गया कि किसी को भी इसके लिये जिम्मेदार न ठहराया जाय और न ही किसी के खिलाफ़ कार्यवाही की जाय।

Discovery of Hand-Grenade on Jamuna Bridge

1661. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the morning of the 5th November, 1965 a hand-grenade was found on the Jamuna bridge in Delhi ;

(b) if so, its size and make;

(c) whether any investigation has been held by Government in this regard ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) A hand-grenade was found on the Jamuna bridge on 3-11-1965.

(b) It was a small anti-personnel hand-grenade of Indian Ordnance Factory make.

(c) and (d). Enquiries have been made by Delhi Police but no clue has been found as to how and by whom the hand-grenade was dropped. The possibility of sabotage is ruled out as the safety pin of the grenade was intact and there was no detonator inside.

दिल्ली के नागरिक निकायों के बीच झगड़ा

1662. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नागरिक निकायों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ा आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार की दृष्टि में ऐसा कोई झगड़ा नहीं आया ।

दिल्ली के लिये योजना के अन्तर्गत नियत अप्रयुक्त राशि

1663. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि की लगभग 40 प्रतिशत राशि खर्च नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो इससे मुख्यत: किन किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : जी, नहीं । 1964-65 के अंततक वास्तविक व्यय 68.86 करोड़ रुपये हुआ था जो कि दिल्ली के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल राशि का लगभग 70% है ।

असिस्टेन्ट ग्रेड परीक्षा, 1965

1664. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिसम्बर, 1965 में असिस्टेंटों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) उक्त परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर कितने पद भरने का विचार है ;

(ग) क्या नियमों के अनुसार उतने ही पद विभागीय अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति कर के भरे गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि परीक्षा की सूचना में पहले ही कह दिया गया है, उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले सहायकों के पदों की संख्या अस्थायी रूप से 182 है जिसमें से 75 पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में हैं । किन्तु यह संख्या आवश्यकताओं के अंतिम आकलन के आधार पर बदली जा सकती है ।

(ग) स्थायी पदों का विभागीय अभ्यंश, जब जब पद खाली होते हैं तब तब, ऐसे उपयुक्त अपर-डिवीजन क्लर्कों में से आवश्यकतानुसार स्थायी करके किया जाता है, जो पहले से ही सहायक ग्रेड में काम कर रहे होते हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आना

1665. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1965 के प्रथम दो सप्ताहों में 1200 से अधिक अल्पसंख्यक लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर अंसारों और मुजाहिदों द्वारा आतंकित किये जाने के कारण पूर्वी पाकिस्तान से आसाम जिले के कछार और गारो पहाड़ी जिलों में आये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) : 25 अक्तूबर, 1965 से 20 नवम्बर, 1965 तक पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1,739 व्यक्ति गैरो पहाड़ी जिला के बागमारा क्षेत्र में आये हैं । इन लोगों के कथनानुसार इन के आने के मुख्य कारण, असुरक्षा की भावना, पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में लगाये गये कुछ प्रतिबन्ध तथा अंसारों द्वारा किये गये आतंक हैं ।

मामला अभी छान-बीन के अधीन है ।

आन्ध्र प्रदेश के नज़रबन्दी द्वारा पत्र

1666. श्री बीरेन दत्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग सैंट्रल जेल से एक नज़रबन्दी द्वारा महा-महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज एम० ए०, डी० लिट०, पद्म विभूषण, 2(ए) सिगरा वाराणसी तथा श्री श्री आनन्दमयी, भदैनी वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को लिखे गये पत्रों को रोक लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सुरक्षाबन्दी आदेश, 1962 के अधीन सुरक्षा बन्दियों को केवल अपने परिवार के सदस्यों तथा कानूनी सलाहकारों से ही पत्र-व्यवहार करने की इजाजत है।

छात्रवृत्तियां

1668. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उनके मंत्रालय द्वारा चलाई गई छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये कितने छात्र बाहर भेजे गये;

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को क्रमशः कितनी छात्र-वृत्तियां दी गई; और

(ग) इसी अवधि में इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी गई?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 52।

(ख) कोई नहीं।

(ग) **इंग्लड**

मेसर्स रोल्स रोयस लिमिटेड, लंदन द्वारा प्रस्थावित शिक्षुता (अंप्रेटिसशिप) :

(i) स्नातक शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप)	850 पौंड वार्षिक। इसके अतिरिक्त संतोष-जनक प्रगति पर 50 पौंड वार्षिक की तरक्की और साथ ही दोनों ओर का यात्रा खर्च।
(ii) इंजीनियरी शिक्षुता (अप्रेंटिस-शिप)	18 वर्ष से 24 वर्ष तक के उम्मीदवारों के लिए 8–2–6 पौंड से लेकर 18–0–0 पौंड प्रति सप्ताह के विभिन्न वेतन हैं, जो आयु पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ओर का यात्रा खर्च।
(iii) ब्रिटिश उद्योग महासंघ की समुद्रपार छात्रवृत्तियां	700 पौंड प्रति वर्ष।

पश्चिम जर्मनी

जर्मन गणराज्य की छात्रवृत्तियां	400 डी० एम० (450 रुपये) मासिक और इसके अतिरिक्त दोनों ओर का यात्रा खर्च और पुस्तकों तथा औजारों के लिए पर्याप्त भत्ता।

पूर्वी जर्मनी

(i) इंजीनियरी/टेक्नालोजी में छात्रवृत्तियां	450 डी० एम० (511 रुपये) मासिक; इसके अतिरिक्त 350 डी० एम० का वस्त्र-भत्ता।
(ii) शारीरिक स्वस्थता में छात्र वृत्तियां	मुफ्त भोजन और आवास इसके अतिरिक्त दोनों ओर का आवा-खर्च।

Cut in Expenditure on Education in Rajasthan

1669. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Muthiah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to effect 15 per cent cut in expenditure on 'Education' in Rajasthan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that a suggestion has been made to impose 'Education Tax' ; and

(d) if so, the basis thereof?

Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The 1966-67 Plan budget of Rajasthan is still being discussed in the Planning Commission and no final decision has been reached;

(c) and (d). The general questionof levying a special tax for education has been discussed in various conferences, but no final decision has yet been taken.

मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम

1670. **श्री लखमु भवानी :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकनाई वाले तेलों को पुनः साफ करना

1671. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कानपुर प्रतिरक्षा गवेषणा प्रयोगशाला (सामग्री) में चिकनाई वाले तेलों को पुन: साफ करने के लिए एक प्राथमिक संयंत्र लगाया गया है;

(ख) क्या इन तेलों को पुन: साफ करने के लिए गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कोई और संयंत्र है तथा यदि हां, तो उनकी क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार के सामने ऐसे कोई प्रस्ताव हैं कि इस महत्वपूर्ण तेल को बनाने के लिए दोनों क्षत्रों में पुन: साफ करने की सुविधायें बनाई जायें जिससे इस पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा में बचत की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस समय सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में व्यापारिक पैमाने पर कोई संयंत्र चालू नहीं हैं। कानपुर के प्राथमिक संयंत्र (Pilot Plant) के अतिरिक्त पेट्रोलियम की इण्डियन इन्स्टीट्यूट ने देहरादून में 10 गेलन प्रति घान (batch) की क्षमता के एक प्राथमिक संयंत्र को लगाया है। रेलवे ने प्रयुक्तधुरे के तेल को पुन: साफ करने के लिए तीन संयंत्रों और डीज़ल इंजन तेल के लिए दो संयन्त्रों को स्थापित किया है ; जिन की कुल क्षमता प्रति दिन लगभग 180 गैलन है और प्रति दिन 700 गैलन की कुल क्षमता वाले प्रयुक्त धुरे के तेल का उपादयकरण के लिए 15 संयन्त्रों तथा प्रति दिन 800 गैलन की कुल क्षमता वाले डीज़ल इंजन तेल के लिए 5 संयंत्रों को लगाने का प्रस्ताव है। सरकार ने हाल ही में बम्बई के पास गैर-सरकारी क्षेत्र में 5000 मीटरी टन की वार्षिक क्षगता वाले एक व्यापारिक एकक की स्थापना के लिए मंजूरी दी है और ाइवेट पार्टियों के कई अन्य प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर रही है।

किशोर अपचार विषयक गोष्टी

1672. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने नवम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में किशोर अपचार तथा पुलिस के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में तीन दिन की गोष्ठी आयोजित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) 25-11-65 से 27-11-1965 तक यह गोष्ठी हुई और इसकी सिफ़ारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

पंजाब में गैस

1673. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा संकेत मिला है कि जानौटी, पंजाब में गैस उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई खोज का ब्यौरा क्या है तथा गैस की और अधिक खोज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Fake Registrations of Cars

1674. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police has unearthed a gang which was engaged in the fake registration of cars;

(b) if so, whether any Government employee was also involved in it ; and

(c) the number of fake registrations got done by the gang so far ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The matter is still under investigation.

Pay Scale of Hindi and English Typists

1675. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the pay-scales and conditions of service of Hindi and English Typists employed in the various offices of the Central Government are uniform; and

(b) whether it is necessary for a permanent Hindi Typist to be posted as a temporary Lower Division Clerk before he is promoted to the post of an English Steno-typist ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) Hindi Typists and English typists are Lower Division clerks employed on typewriting. Accordingly their pay scales and conditions of Service are the same as for Lower Division Clerks in the Government of India.

(b) The posts of English Steno-typists are *not* promotion posts. These posts are filled by Lower Division Clerks knowing stenography in English and carry a special pay of Rs. 20 per month. All Lower Division Clerks, irrespective of whether they are employed as Hindi typists or English typists, are eligible to be considered for appointment as English Steno-typists provided they have the requisite knowledge of stenography in English.

(c) Does not arise.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेब कतरा जाना

1676. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेब कतरे जाने के मामले बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1-1-65 से 31-10-65 तक की अवधि में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेब कटने के 23 मामले दर्ज हुए जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 22 थी।

(ख) जेब कटने की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिये किये गए प्रमुख-उपायों में से कुछ इस प्रकार ह :—

(i) कुख्यात व्यक्तियों पर नज़र रखने और जेबकतरों की तलाश के लिये प्लेटफ़ार्मों पर सादावर्दी पुलिस मैन तैनात किये जाते हैं।

(ii) हालही में कुख्यात जेबकतरों के फ़ोटो तैयार किये गए हैं ताकि पुलिस कर्मचारी कड़ी निगरानी रख सकें।

(iii) जो भी जेबकतरे गिरफ्तार किये जाते हैं उनसे गिरोहों की गतिविधियां और जेब काटने के अन्य मामलों की सूचना प्राप्त करने के लिये पूरी तरह पूछताछ की जाती है।

(iv) नामी जेबकतरों की गतिविधियों के पूरे हवाले जिसमें उनकी पिछली सजाएं भी शामिल हैं रखने की कोशिश की जा रही है ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अधीन निवारक दंड दिलाने पर ज़ोर दिया जा सके।

(v) जेबकतरों को गिरफ्तार करने के लिये समय समय पर अभियान चलाये जाते हैं।

एम० ए० में सेना विज्ञान (मिलिटरी साइन्स) की पढ़ाई

1677. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय की एम० ए० उपाधि के समाज विज्ञान पाठ्यक्रमों में सेना विज्ञान (मिलिटरी साईन्स) जारी करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कब से जारी किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) कितने अन्य विश्वविद्यालयों ने इस को जारी करना स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : समाज विज्ञानों के एम० ए० पाठ्यक्रमों में 'युद्ध नीतिक अध्ययन' शीर्षक के अन्तर्गत मिलिटरी विज्ञान का अध्ययन शामिल करने का एक प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(ग) मिलिटरी विज्ञान में अध्ययन की सुविधाएं निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं :—

आगरा विश्वविद्यालय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
भागलपुर विश्वविद्यालय
कलकत्ता विश्वविद्यालय
गोरखपुर विश्वविद्यालय
पंजाब विश्वविद्यालय
शिवाजी विश्वविद्यालय
पूना विश्वविद्यालय
पंजाबी विश्वविद्यालय

अफ्रो-एशियाई विद्यार्थियो को छात्रवृत्तियां

1678. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने, की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुर्की, ईरान, जार्डन तथा इण्डोनेशिया जैसे देशों के, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रति अमैत्री सिद्ध कर दी है, अफ्रो-एशियाई विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां बन्द कर देने के औचित्य पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Education Schemes in Uttar Pradesh

1679. **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Shri Kindar Lal :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given any financial assistance to the Government of Uttar Pradesh as an advance payment from allocation made for the Fourth Plan for the expansion of education schemes in the State ; and

(b) if so, the amount given to the State Government by way of assistance ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). An amount of Rs. 49·24 lakhs has been allocated to Uttar Pradesh for advance action on certain schemes of the Fourth Five Year Plan of the State. This amount, however is not from out of the State's allocation for the Fourth Plan as a whole.

Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission

1680. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of officers and other employees in the Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission and the number out of them as have already been declared permanent in their respective posts ; and

(b) the action being taken to confirm the remaining personnel?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The total number of officers and other employees at present in position in the Directorate and the Commission is 182 and 208 respectively and all of them are temporary. The question of conversion of temporary post into permanent ones in both the organisations is under examination. The question of confirmation of the personnel holding the temporary posts will be taken up after the posts have been made permanent.

Translation Work in Ministries

1681. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 632 on the 15th September, 1965 and state :

(a) whether adequate arrangements have since been made in the various Ministries for the translation of letters sent to them in Hindi by the State Government ;

(b) the names of the Ministries/Departments of the Central Government which have not permitted noting in Hindi ; and

(c) the steps being taken to remove this obstacle?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The Chief Ministers' Conference held in December 1964 had decided that there should be a convention that if the original communication from the State Governments was in Hindi, an authorised English translation should accompany it. Whenever Hindi communications without English translation are received the existing Hindi-knowing and Hindi-trained employees available in Ministries are utilised for translation work and no need for a separate translation unit for this purpose has been felt so far.

(b) In March, 1961 instructions were issued to all Ministries that use of Hindi may be permitted for noting on files in selected Sections in the Secretariat where the bulk of the staff had a working knowledge of Hindi. No reports have been received that any Ministry/Department have not permitted the use of Hindi for noting on files.

(c) Various preparatory measures have been taken for the progressive use of Hindi for official purposes of the Union.

Central Hindi Directorate

1682. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that none of the posts of Research Assistants in the Central Hindi Directorate and in the Scientific and Technical Terminology Commission has so far been declared as permanent ;

(b) if so, the steps being taken to declare such posts and the employee working against them as permanent, in accordance with the orders of the Ministry of Finance in this connection ; and

(c) when the action is likely to be completed ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The question of conversion of temporary posts, including those of Research Assistants, into permanent ones in both the Directorate and the Commission, is under examination. The question of declaring temporary employees as permanent will be taken up after the posts have been made permanent.

(c) The matter is likely to take some time.

दिल्ली में उपनगरीय असैनिक फोर्स

1683. श्री राम हरख यादव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की सुरक्षा के लिये दिल्ली में उपनगरीय असैनिक फोर्स बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसकी कोई यूनिट बना ली गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कुछ पत्रकारों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

1684. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ संसद् सदस्यों ने दिल्ली के एक प्रमुख अखबार में काम करने वाले कुछ पत्रकारों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक संसद सदस्य से "टाइम्स ऑफ इंडिया" के एक समाचार संवाददाता के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) इस पत्र में इस सम्वाददाता द्वारा दी गई कुछ समाचार कथाओं और पाठकों के मनोबल पर उनके सम्भावित प्रभाव के बारे में शिकायत की गई है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

आसाम में काम करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन

1685. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि आसाम के औद्योगिक तथा परिवहन संगठनों में अभी भी एक हजार से अधिक पाकिस्तानी काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे आदेश दिये गये है कि इन तत्वों को सीमावर्ती प्रदेशों से निकाल बाहर किया जाय ; और

(ग) क्या उनके वीसा का समय समय पर नवीकरण कर दिया जाता है अथवा वे वीसा में दी गई अवधि से अधिक यहां रह रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सहायकों तथा उच्च श्रेणी के क्लर्कों के रिक्त स्थान

1686. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) केन्द्रीय सचिवालय योजना के अन्तर्गत आने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में 1 नवम्बर, 1965 को सहायकों तथा उच्च श्रेणी के क्लर्कों के कितने स्थान खाली थे।

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

28 नवम्बर 1965 को पांचरा में साइथिआ अंडाल छोटी गाडी और एक माल गाडी के बीच टक्कर हुई

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, I call the attention of the Ministers of Railways to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "Collision between Sainthia-Andal Light Train and a goods train at Panchara on the 28th November, 1965 resulting in injuries to 29 persons."

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : On 28-11-1965 shuttle train No. 2 D. A. S. (Andal-Sainthia) Passanger entered the main line of Panchara Station situated on Andal Sainthia single line section of Eastern Railway and collided with a stationary shunting goods Train which had been received on that line a short while before.

[Dr. Ram Subhag Singh]

As a result of the collision, the engine of the passenger train got derailed. The end panel of the 3rd Class coach, next to the engine, was slightly damaged.

Thirty persons including 11 Railway employees were injured. 3 person including 2 railway employees are reported to have sustained serious injuries.

Relief Train with medical equipment was despatched to the site of accident immediately on receipt of information. Some local doctors also rushed to the site of accident and rendered first aid. The medical van from Asansol was also rushed to the site. The Divisional Railway officers from Asansol proceeded to the site by road.

13 persons out of injured were allowed to go after giving first aid to them on the site of the accident. The remaining 17 persons were sent to hospital at Asansol, Sidi and Andal. 9 persons were discharged after giving them first aid. Eight persons are still in the hospital and their condition is improving. Ex-gratia payments to the seriously injured persons has been arranged.

The Additional Commissioner of Railway safety, Calcutta has commenced his statutory enquiry into the cause of the accident.

Shri Yashpal Singh : What is the reason of increased number of accidents in Bengal and Bihar where there are talented persons.

Dr. Ram Subhag Singh : That is why no body was killed.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि इस दुर्घटना के अतिरिक्त इस लाइन पर इस छोटी रेलवे का कार्य इतना खराब है कि इससे अंततक पैदा होता है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन का राष्ट्रीयकरण करने और इसे अपने हाथ में लेने का है ?

डा० राम सुभग सिंह : इसका इससे कोई सम्बन्ध नही है। लेकिन इस पर हम पृथक से विचार करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** I want to know whether families of the injured have been informed and whether there would be legal enquiry and whether the report will be paid on the table?

Dr. Ram Subhag Singh : Families of seriously injured persons have been informed and a sum of Rs. 200/- each has also been paid. The number of such persons is there. The whole matter shall be inquired into and the report shall be paid on the table.

श्री लिंग रेड्डी (चिकबलपुर): उसी रेलवे पर 14 नवम्बर को एक और दुर्घटना हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे में इतनी अधिक दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं।

डा० राम सुभग सिंह : दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID OF THE TABLE

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखा वाले विवरण

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्यक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 2 बारहवां सत्र,, 1965
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5272/65।]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 6 ग्यारहवा सत्र, 1965
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5273/65।]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 12 नवां सत्र, 1964
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5274/65।]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 15 पांचवां सत्र, 1963
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5275/65।]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 21 दूसरा सत्र, 1962
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5276/65।]

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 15 चौदहवां सत्र, 1961
(दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5277/65।]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : स्पष्टीकरण के हेतु। आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं की क्रियान्विति के बारे में सभी बड और छोट समाचार पत्रों में बड़ी खराब स्थिति बताई गयी है। इस संसद् के चौथे वर्ष में, 1962 के प्रथम सत्र में अर्थात् $3\frac{1}{2}$ वर्ष पूव दिये गय आश्वासनों में से दो अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं। लोक सभा सचिवालय के विश्लेषण से भी पता चलता है कि वर्तमान लोकसभा के पहले सत्र, 1962 से पिछले बजट सत्र, 1965 तक की अवधि में दिये गये 2169 आश्वासनों में से 311 अभी पूरे किये जाने बाकी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि इस सत्र के अन्तिम दिन सभा पटल पर एक विवरण रखा जाय जिसमें यह बताया जाय कि मंत्रालयों ने आश्वासनों को क्यों पूरा नहीं किया है।

श्री दाजी (इन्दौर) : मंत्रियों और अधिकारियों के दौरों पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रश्न बहुत समय से लटका हुआ है। इस प्रश्न का अभी तक उत्तर क्यों नही दिया गया है। इसमें क्या कठिनाई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 1964 में विदेशों में मंत्रियों उपमंत्रियों और अधिकारियों के दौरों पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा का प्रश्न उठाया गया था। तब श्री भगत ने कहा था कि जानकारी एकत्र की जा रही है। 10 दिन पूर्व यह प्रश्न 1965 के बारे में उठाया गया था। दोनों प्रश्नों का उत्तर था कि जानकारी एकत्र की जा रही है। क्या मैं यह समझू कि या तो उन्होंने इतनी धनराशि खर्च की है कि वे उसको लेखे में नहीं दिखाते या वे कोई धन व्यय नहीं करते? आपने भी कहा था कि आप मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने को कहेंगे।

दूसरे विधि मंत्री श्री अ० कु० सेन ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था कि श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने मेसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एन्ड कम्पनी से 1942 में सभी सम्बन्ध तोड लिये थे। इसका मैंने विरोध किया था। मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था कि आप मंत्री महोदय से वक्तव्य में शुद्धि करवायें लकिन उन्होंने वक्तव्य शुद्ध तक नहीं किया।

[श्री स० मो० बनर्जी]

तीसरे गृह-मंत्री श्री नन्दा और राज्य मंत्री श्री हाथी ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि बंगाल अथवा केरल में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारी के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार नही है। लेकिन आज के समाचार पत्र में यह समाचार है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने एक निर्णय देकर यह आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी कम्युनिस्टों को रिहा कर दिया जाय। इस समाचार को देखते हुए गृहमंत्री ने जो आश्वासन दिया था वह सही नहीं है क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार का पूरा हाथ था और इन सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था और इसमें राज्य सरकारों का कोई दोष नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात से कोई मतलब नही है। जाच करना मेरा काम नही है। मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है लकिन मैं उसकी आस्तियों के बारे में जांच नही कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री अ० कु० सेन ने सभा को गुमराह किया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० कु० सेन विदेश गये हुए हैं। उनके आने पर देखा जायगा।

श्री हरि विष्णु कामत : वह काश्मीर के बारे में हमारा पक्ष दक्षिण अमरीका को बताने गए है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इस बारे में माननीय सदस्यों की उत्सुकता को समझता हुं कि कुछ आश्वासन पूरें नही किये गये हैं। वर्तमान लोकसभा की अवधि में पिछले अगस्त-सितम्बर सत्र के अन्त तक 2363 आश्वासन दिये गये थे। इनमें से 2077 पूरे कर दिये गये हैं। बाकी आश्वासनों में से कुछ पहले के वर्षों के हैं। हम इन आश्वासनों के बारें में सम्बन्धित मंत्रालयों पर जोर डाल रहे हैं। मैंने अपने कुछ साथियों को लिख दिया है कि यदि वे आश्वासन पूरे नही करते तो मैं दोषी न्यायालयो के नाम बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ आश्वासन बहुत समय से चले आ रहे हैं। अत: या तो इनको पूरा किया जाये या इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया जाए कि उन्हें क्यों अभी तक पूरा नही किया जा सका हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : केन्द्रीय सरकारी विभागों के अतिरिक्त कुछ आश्वासन राज्यों और सरकारी उपक्रमों के बारे में भी हैं। उनको कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। यदि वे उत्तर नहीं देते हैं तो मैं समझता हुं कि यह संसद भी कोई कार्यवाही नही कर सकती।

श्री दाजी : यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय में उत्तर न देने का निर्णय कर लिया है। मैं प्रस्ताव करता हुं कि वित्त मंत्रालय ने हमारे प्रश्नों का उत्तर न देकर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ....

अध्यक्ष महोदय : मैं मौखिक सूचना स्वीकार नही कर सकता। यदि वे लिखित सूचना दें तो मैं उसपर विचार करूंगा

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just stated that this House is helpless in taking action in the cases of states. If it is so, then what is the question of sending such assurances to states. I want your ruling in this case.

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको इजाजत नही दी है।

It can do.

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE : (1) FOOD SITUATION AND (2) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि देश की खाद्य स्थिति के बारे में विचार किया जाये।"

Shri Kishn Pattnayak (Sambalpur) : I beg to move:—

"That the situation arising out of drought and resultant failure of crops in several states be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय : ये दो प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

श्री प्र० के० देव (कालाहंडी) : विभिन्न संशोधन भी पेश कर दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि देश को खाद्यानों में आत्मनिर्भर बनाने में, किसानों को सस्ते दर पर ऋण, खाद, कीटनाशी दवाइयां, अच्छे बीज, पानी और कृषि उपकरण देने में तथा अनाज का वितरण करने के लिये उचित व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।" (1)

श्री लिंग रेड्डी (चिकबलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, यह सभा सरकार की नीति का अनुमोदन करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इन उपायों को कार्यान्वित करे—

(क) छोटे और बड़े सिंचाई योजनाओं से सभी उपलब्ध जल का लाभ उठाने के लिये आपाती खाद्य कार्यक्रम ;

(ख) राशन-व्यवस्था आरम्भ की जाए, सभी अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ किये जायें और भुखमरी से मृत्युओं को रोकने के लिये दलिया आदि बांटने के केन्द्र खोलने के हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिल जुल कर कार्य करें ;

(ग) पशुओं के लिये चारे और मनुष्यों तथा पशुओं के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाए ;

(घ) रैयत को पर्याप्त मात्रा में ऋण, खाद, बीज, कीटनाशी दवाइयां, कृषि उपकरण दिये जायें जिससे अधिक अन्न उपजाने के लिये उनको प्रोत्साहन मिले ;

(ङ) देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों में दोबारा दुर्भिक्ष पड़ने से रोकने के लिये स्थायी दुर्भिक्ष सहायता के उपाय और साधन ढूंढे जायें ; और

(च) देश के आत्मसम्मान के अनुरूप और बिना किन्हीं राजनैतिक शर्तों के, खाद्य संकट को दूर करने के लिये अन्य देशों से काफी मात्रा में अनाज आयात किया जाए।" (2)

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित करके, काश्तकारी विधियों को उपयुक्त रूप से लागू करके और उत्पादन को प्रोत्साहक और लाभकारी मूल्य दकर उत्पादन में वृद्धि करके देश में अनाज की कमी को पूर्णतया दूर करने के लिये कदम उठाये जायें।" (5)

श्री बालकृष्णन् (कोइलपट्टी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि गहन खेती द्वारा भूमि सुधारों को कार्यान्वित करके, भूमि की चकबन्दी और वैज्ञानिक तथा प्राद्योगिकीय अनुसंधान द्वारा अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जायें।" (6)

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी पिछले प्रयास क्योंकि निष्फल सिद्ध हुए हैं और खाद्य आयात पर पूर्णतः निर्भरता अब देश के हितों के लिए हानिकारक मानी गई है, अतः इन मामलों में आमूल रूप से नई नीति तुरन्त अपनाई जानी चाहिये :—

(क) खाद्यान्नों के उत्पादन और वितरण की सभी अवस्थाओं सम्बन्धी नीतियां;

(ख) सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था और उनका उपयोग ;

(ग) राज्य सरकारों को भूमि सम्बन्धी ऐसे विधान बनाने के लिये निदेश देना जो अधिक कृषि उत्पादन में सहायक हों ;

(घ) खाद्यान्नों के वितरण तथा व्यापार को सुव्यवस्थित करना ; और

(ङ) खाद्यान्नों के मूल्यों में और वृद्धि को प्रभावकारी रूप से रोकना।" (7)

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये और देश को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाने के हेतु ये कदम उठाये जायें—

(क) खाद्यान्नों के लाभकारी और अच्छे मूल्य निश्चित किये जायें और बुवाई से पहले किसानों को उनकी गारंटी दी जाये ;

(ख) ट्यूब वेलों को बिजली देने के लिये एक योजना तैयार की जाये और इसकी दर नौ पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिये ;

(ग) सिंचाई के लिये इंजन से चलने वाले पम्पों को चलाने के लिये किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु उनको रियायती दर पर डीज़ल तेल दिया जाये ;

(घ) उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु किसानों को समय पर बीज, खाद और ऋण आदि दिये जायें ; और

(ङ) खाद्य उत्पादन की कठिनाइयों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाए।" (8)

श्री इंद्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाए :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, यह सभा सरकार की खाद्यान्नों के आयात पर निर्भरता पर और खाद्यान्नों में प्रभावी राज्य व्यापार लागू करने, आमूल भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने और अनाज के जमाखोरों और सटोरियों की जन-विरोधी कार्यवाहियों को रोकने में सरकार की असफलता पर खेद प्रकट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इन उपायों को आपाती ढंग से तुरन्त कार्यान्वित करे :—

(क) किसानों को लाभकारी मूल्य देकर राज्य एजेन्सियों द्वारा अनाज का एकाधिकार समाहार किया जाए ;

(ख) एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कानूनी राशन-व्यवस्था लागू की जाये, और सभी ग्रामीणक्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानें खोली जायें ;

(ग) गैर-सरकारी लोगों को अनाज पर बैंक द्वारा ऋण देने पर रोक लगाई जाये और ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना और जुटाई के लिय कम दर पर ऋण देने की व्यवस्था की जाए ;

(घ) फसल और पशु बीमा योजनाओं को लागू किया जाए ;

(ङ) किसानों को परती और खाली भूमि का वितरण किया जाए ; और काश्तकारी विधियों को उपयुक्त रूप से लागू किया जाए ;

(च) बीज, खाद और जल की व्यवस्था करने के लिये क्रैश प्रोग्राम लागू किये जायें, और सूरतगढ़ के नमूने पर सरकारी क्षेत्र में यन्त्रीकृत फार्मों का बहुत अधिक संख्या में, प्रत्येक राज्य के लिये कम से कम एक फार्म का विकास किया जाए ; और

(छ) सूखे वाले क्षेत्रों के लिये विशेष सहायता कार्य और रियायते दी जायें ।" (9)

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाय :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की यह राय है कि सरकार खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये समुचित उपाय करने, कमी वाले राज्यों के साथ उचित और समान व्यवहार करने, जमाखोरों और चोर-बाजारियों की गतिविधियों को रोकने, मूल्यों को बढ़ने से रोकने, छोटे-छोटे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उपभोक्ताओं को संरक्षण दने में असफल रही है ।" (10)

श्री प्र० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :—

"दश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की यह राय है कि आधारित आयातित खाद्यान्नों पर अति-निर्भरता को समाप्त करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाएं :—

(क) जल, ऋण, सड़कों और किसानों को प्रोत्साहन देने और सुविधाएं, जैसे उचित मूल्य पर उर्वरक, अच्छे बीज, विद्युत् शक्ति, उपकरण, डीज़ल तेल और मिट्टी का तेल देने सम्बन्धी सभी योजनाओं और नियतन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ;

[श्री प्र० के० देव]

(ख) अनिवार्य समाहार को समाप्त किया जाय और कोई अधिकतम मूल्य निर्धारित किये बिना कृषक के, अपना अनाज खुले बाजार में बेचने के अधिकार को माना जाय ;

(ग) खाद्यान्न, गुड़, मूंगफली और सभी खाने वाले तेलों के विक्रय और लाने ले जाने पर लगे सभी क्षेत्रीय और स्थानीय प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाय और भारत भर में एक साझा बाजार पुनः स्थापित किया जाय ;

(घ) एक मूल्य समर्थक नीति बनायी जाय, जिसके अन्तर्गत सरकार कृषि मूल्य आयोग द्वारा, जो एक विभागीय संगठन के रूप में कार्य न करके एक स्वतंत्र संविहित आयोग के रूप में कार्य करे, प्रतिपादित किये जाने वाले सुस्पष्ट सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित लाभप्रद मूल्यों पर उत्पादकों से असीमित मात्रा में खाद्यान्न खरीदेगी ; और

(ङ) जब तक उत्पादन मांग के अनुरूप न हो जाय, सरकार द्वारा, अस्थायी उपाय के तौर पर, निर्धन जनता को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न का संभरण किया जाय और इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा बड़े किसानों से लाभप्रद मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदा जाय ; और

(च) संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम का निरसन किया जाय ।"(11)

श्री बडे (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात् :—

"देश में खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, यह सभा सरकार द्वारा अब तक अपनायी गई नीति का निरनुमोदन करती है और यह सुझाव देती है कि :—

(क) चौथी योजना में धन के नियतन में कृषि को देश के ब्रृहत् उद्योग के रूप में प्राथमिकता दी जाए ;

(ख) किसानों तथा खेतीहर मजदूरों की खण्डस्तरों से आरम्भ हो कर ऊपर तक एक समन्वय परिषद् की स्थापना की जाए, जिससे खाद्योत्पादन के सम्बन्ध में दोनों के अधिकतम प्रयत्न सुनिश्चित किये जा सकें ;

(ग) कृषि योग्य परती भूमि को भूमिहीन मजदूरों में वितरित कर दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए उन्हें समुचित धनराशि तथा उपकरण उपलब्ध किये जाएं ;

(घ) कृषकों को उत्पादन की लागत के आधार पर मूल्यों का आश्वासन दिया जाए;

(ङ) एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरों में तथा दुर्भिक्षग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था आरम्भ की जाए ; और

(च) किसानों को कुएं खोदने तथा अन्य छोटे छोटे सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।" (13)

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :—

"अनेक राज्यों में अनावृष्टि और इसके फलस्वरूप फसल खराब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा सरकार से यह अनुरोध करती है के प्रभावित क्षेत्रों में ये तात्कालिक उपाय किए जायें :—

(क) भूमि का लगान माफ किया जाये और सब सरकारी तथा सहकारी वसूलियों को स्थगित किया जाये।

(ख) उदारता से कृषकों को तकावी तथा भूमि सुधार ऋणों की व्यवस्था की जाये।

(ग) राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की दूकाने बड़ी संख्या में खोली जायें।

(घ) पर्याप्त मात्रा में कूवों तथा नलकूपों की व्यवस्था की जाये।

(ङ) 'समुचित स्थानों पर यथासंभव शीघ्र बड़ी, मंध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनायें क्रियान्वित' की जायें।

(च) जनता को रोजगार देने के लिए परीक्षण सहायता कार्य खोले जायें।

(छ), पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाये।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हम प्राय: सभा के प्रत्येक सत्र में खाद्य स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आज,जब कि हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, देश को अत्यन्त संकटपूर्ण खाद्य स्थिति का सामना करना पड रहा है। साधारणतया जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में उत्पादन में गतिरोध सा आ गया था। इस अवधि में उत्पादन लगभग आठ करोड़ टन वार्षिक रहा। पिछले वर्ष उत्पादन बढ़ कर 8 करोड़ 84 लाख टन हुआ था। प्रगति तथा कार्यक्रम को देखते हुए 1965-66 में 9 करोड़ 20 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान था। हमें इस मामले में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग मिला। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि 1965-66 में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं है। जिसके कारण हमारे सामने खाद्यान्न के सम्बन्ध में बहुत कठिन स्थिति पैदा हो गयी है। वर्तमान कठिन स्थिति अनावृष्टि के कारण उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की अनावृष्टि पहले कभी नहीं हुई और ऐसी स्थिति वर्तमान शताब्दी के दौरान कभी देश के सामने नहीं आई। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष लगभग समूचे देश में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया है।

इस वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून बहुत ही असामान्य रहा। पहले भी कई बार दक्षिण-पश्चिमी मानसून खराब रहा। किन्तु सदा ऐसा होता रहा कि यदि देश के कुछ भागों में यह मानसून खराब रहने के कारण वर्षा नहीं होती तो कम से कम अन्य भागों में मानसून अनुकूल रहता जिसका परिणाम यह होता था कि मानसून खराब रहने से कम उपज वाले भागों में उन स्थानों से खाद्यान्न भेजे जाते थे जिन भागों में अच्छी फसल हुई हो। इस तरह देश के प्रत्येक भाग की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। किन्तु इस वर्ष एक विशेष बात यह हुई कि मानसून खराब रहने के कारण प्राय: देश के सभी भागों में वर्षा नहीं हुई और कहीं भी आशाजनक पैदावार नहीं हुई। केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा ठीक हुई और वहां खरीफ की फसल भी संतोषजनक रही।

जहां तक दक्षिण के राज्यों का सम्बन्ध है उनमें स्थिति यह है कि मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर के कुछ भागों में वर्षा सामान्य हुई। किन्तु इनमें से अधिकांश भागों में वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण हुई न कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण। अधिकतर अन्य राज्यों में वर्षा कम हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि खरीफ की फसल संतोषजनक नहीं हुई। कुछ भागों में अक्तूबर के आरंभ तक वर्षा सामान्य रूप से हुई किन्तु बाद में वर्षा न होने के कारण उनमें सूखा पड़ गया है। जलाशयों में वर्षा न होने के कारण पानी एकत्र नहीं किया जा सका और सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो सका। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों का स्तर भी अनावृष्टि के कारण नीचे ही रहा और उनके पानी का उपयोग सिंचाई के लिये नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा मसूर राज्यों में सितम्बर के अन्त तक बाजरे की फसल बहुत अच्छी होने की आशा थी किन्तु बाद में वर्षा न होने के कारण खराब हो गई। केरल में भी वर्षा न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में वर्षा सामान्य से बहुत ही कम हुई। इन राज्यों में, सिचाई वाले क्षत्रों को छोड़ कर अन्य सभी क्षत्रों में वर्षा न होने के कारण फसल बहुत खराब हो गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भागों में इस समय स्थिति बहुत खराब है और प्राय: अकाल की स्थिति होने की आशंका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सितम्बर के अन्त तक अच्छी फसल होने की आशा थी किन्तु वर्षा न होने के कारण पहली अक्तूबर के पश्चात इन राज्यों में रबी की फसल होने की संभावना बहुत कम रह गई है। अब तक हुई वर्षा रबी की फसल के लिये निराशाजनक है। केवल देश के बिल्कुल उत्तरी भागों में, जिनमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग शामिल हैं, वर्षा हुई है। देश के शेष भागों में बहुत कम वर्षा हुई है। यदि अब बाद में वर्षा नहीं हुई तो रबी की फसल होने की संभावना बहुत कम है। हमारे पहले अनुमानों के अनुसार देश में 45 लाख टन अनाज की कमी होने की आशा थी किन्तु इस समय लगभग 70-80 लाख टन अनाज की कमी होने का अनुमान है। सही स्थिति का पता वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के बाद ही लग सकता है। हम स्थिति का सामना करने के लिये हर संभव उपाय कर रहे हैं।

चूँकि खरीफ की फसल बहुत कम हुई है और रबी की फसल भी अच्छी होने की संभावना नहीं है अत: हमने अतिरिक्त उत्पादन करने के लिये कुछ अल्पकालीन उपायों को अपना कर खाद्य स्थिति सुधार करने का निर्णय किया है और हम इस सम्बन्ध में कारगर ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं। हम उन क्षेत्रो जहा कम समय मे कुछ फसल पैदा करन के लिये जल तथा नमी ऊपलब्ध है अतिरिक्त फसल उगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम आलू, शकरकन्दी तथा टेपियोका जैसी भूमि के नीचे पैदा होने वाली फसलें पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्रों में भी सब्जिया पैदा करने के लिये भी हमने एक आन्दोलन चलाया है। इस प्रकार हमने लगभग 25-30 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती करने का अनुमान लगाया है। हम नलकूपों तथा खाद आदि की भी पर्याप्ति व्यवस्था कर रहे हैं। यदि काम ठीक ढंग से किया गया तो हमारी समस्या काफी सीमा तक हल हो जायगी।

आयात कार्यक्रम की अनिश्चितता के कारण यह स्थिति और भी अधिक कठिन हो गई है। पिछलें 4-5 वर्षों से पी०एल० 480 के अन्तर्गत हमें अमरीका से प्रतिवर्ष 30 लाख टन से लेकर 60 लाख टन तक गेहूं मिल रहा है। दुर्भाग्य से इस कार्यक्रम के बारे में अभी अनिश्चितता है। आशा है कि इस गंभीर स्थिति को, जो वर्षा न होने के कारण देश में पदा हो गई है, ध्यान में रखते हुए पी०एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं मंगाने के लिये कुछ उपयुक्त प्रबन्ध किया जायेगा। अभी हम, विशेष रूप से जब कि देश में खाद्य स्थिति गंभीर है, अनाज का आयात बन्द नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे लिये विदेशी मद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए अन्य देशों से वाणिज्यिक आधार पर अनाज खरीदना संभव नहीं है। अत: इस स्थिति का सामना हम केवल पी० एल० 480 के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में अनाज मंगा कर ही कर सकते हैं। आशा है कि 1966 के लिये हमारे लिये बड़ी मात्रा में यह सहायता प्राप्त करना संभव होगा।

हम सभी उपलब्ध साधनों से अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने तथा बाहर से अनाज मंगाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अभाव की स्थिति में हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम वितरण व्यवस्था पर निर्भर करे। नियमित ढंग से वितरण तभी किया जा सकता है जब सरकार खाद्यान्न पर यथा संभव नियंत्रण रखे। हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि अनाज खरीदने के लिये जोरदार अभियान चलाया जाये और वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनाज खरीदने के लाभ को और अधिक तेज करने की आवश्यकता है और जहां अनाज पैदा होता है वहां वसूली की जाये। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि उत्पादकों से उत्पादन के आधार पर तथा किसानों से काश्त किये गये क्षेत्र के आधार पर अनिवार्य रूप से वसली की जाय। सभी राज्य सरकारों ने यह सूत्र स्वीकार कर लिया है और वे उत्पादकों से वसूली करने के लिये राजी हो गई हैं। इस से सरकार के पास वितरण के लिये अधिक से अधिक अनाज उपलब्ध हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त हम पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों में एकाधिकार के साथ वसूली करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यापारियों को अनाज जमा न करने दिया जाये और सरकार उसे यथासंभव जमा करने का प्रयत्न करे। इस कार्य के लिये खाद्य निगम स्थापित किया गया है और राज्य सरकारें उसकी सेवाओं का लाभ उठा रही हैं। राशन व्यवस्था द्वारा वितरण के अतिरिक्त, वर्तमान संकट को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि हम अनाज को नष्ट न होने दें। इसके लिए हम में अनुशासन का होना आवश्यक है। यह ठीक है कि किसी समारोह में अतिथियों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की संख्या सीमित करने के लिये हमने अतिथी नियंत्रण आदेश जारी किया है। परन्तु केवल कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलता है। इस कार्य में जनता का सहयोग अनिवार्य है। जनता तभी सहयोगी होगी जब उसमें सामाजिक चेतना होगी। अतः इस के लिये जनता में सामाजिक चेतना का होना अत्यन्त आवश्यक है।

चाहे हम कुछ भी उपाय करें किन्तु अन्ततः नियंत्रित वितरण उसी सीमा तक संभव है जिस सीमा तक हम अनाज की वसूली करके सरकार के पास स्टाक जमा कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य ने 1964-65 में अनाज की वसूली के बारे में सराहनीय कार्य करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य ने पहले ही मद्रास तथा कोयम्बटूर नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू कर दी है। राज्य के अन्य शहरों में अनौपचारिक रूप से राशन व्यवस्था लागू है। अतः मद्रास में अनाज की स्थिति असंतोषजन होने के बावजूद भी हमें विश्वास है कि हम स्थिति पर काबू पा लेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता शहर तथा उसके आस पास के नगरीय क्षेत्रों में एक वर्ष पहले कानूनी राशन व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय किया है कि समूचे राज्य में एकाधिकारी वसूली की जाये और नियंत्रित वितरण किया जाये। राज्य सरकार ने उक्त प्रणाली के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया है। सरकार राज्य-सरकार के इस प्रयोग को सफल बनाने के लिये पूर्ण सहयोग देगी क्योंकि उसके प्रयोग की सफलता पर दूसरे राज्यों में एकाधिकार प्रणाली द्वारा वसूली नियंत्रित वितरण व्यवस्था लागू करना निर्भर करता है।

महाराष्ट्र सरकार ने भी एक वर्ष पूर्व एकाधिकार प्रणाली के आधार पर वसूली करने का निर्णय किया था किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। वर्षा न होने के कारण महाराष्ट्र में स्थिति खराब है राज्य सरकार स्थिति का सामना करने के लिये सराहनीय कार्य कर रही है। महाराष्ट्र तथा अन्य कई राज्य सरकारें नगरीय क्षेत्रों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू करने के लिये कार्यवाही कर रही हैं। आशा है वे यह कार्य शीघ्र आरंभ कर देंगी। अनाज के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाना चाहियें और वहां राशन की सीमातक उचित मूल्य वाली दूकानें खोली जानी चाहिए।

सूखा पड़ने से न केवल अनाज का संकट पैदा हुआ है अपितु कई स्थानों पर पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1952-53 में मद्रास में सूखा पड़ने से पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी। सभी उपलब्ध साधनों से पानी की व्यवस्था करने के बावजूद भी स्थिति पर काबू पाना असंभव हो गया था। अतः इस वर्ष संभावित स्थिति का सामना करने के लिये हमें अभी से उपाय करने होंगे। हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सतर्क कर दिया है और आशा है कि संभावित स्थिति का सामना करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की जायगी।

हमें, विशषरूप से सूखे वाले क्षेत्रों में, बाल कल्याण योजनायें आरंभ करनी होंगी। देश का भविष्य भावी पीढ़ी के नागरिकों पर निर्भर करता है। अतः हम भावी पीढ़ी को कमजोर तथा अस्वस्थ नहीं बनने देंगे। इस लिये हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस सम्बन्ध में व्यापक और बड़े पैमाने के कार्यक्रम बनायें। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिये पौष्टिक भोजन, मल्टी विटामिन, बिस्कुट तथा अन्य स्वास्थ्यप्रद पदार्थ आवश्यक हैं। हमारे कार्यक्रम में ये सभी वस्तुएं बच्चों को दी जानी चाहिएं। हम बच्चों के कल्याण के लिये जो कार्यक्रम आरंभ करेंगे वे स्थायी होंगे। यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से बनाई जाये, इस कार्यक्रम के लिये कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें हमें बड़े पैमाने पर पर सहायता देने के लिये तैयार हैं।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हमें किसी हद तक गर्भवती माताओं तथा बच्चों का पालन करने का भी ध्यान रखना होगा इसके लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाकर उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ।

हमारे लिये यह भी आवश्यक हो जाता कि विशेषरूप से सूखे वाले क्षेत्रों में भूमिहीन तथा उन छोटे किसानों को, जिनकी ऋयशक्ति बिल्कुल नहीं है, सहायता देने की व्यवस्था की जाये। योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई, कन्टूर बंदों, भूमि रक्षण के कार्यों का विकास करके उनसे लाभ उठाया जा सकता है। हमें अकाल सहायता का कार्य बड़े पैमाने पर चलाना पड़ेगा । इन योजनाओं को बहुत कम समय में पूरा करने के लिये सूचित कर दिया गया है ।

कुछ क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारे की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अतः हम चारे के स्टाक जमा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमने चारा एकत्र करने के लिये विभिन्न वन विभागों और राज्य सरकारों को कह दिया है । चारे की समस्या को हल करने के लिये पशु शिविरों का आयोजन करना आवश्यक हो जाता है । इन शिविरों में हमारे पशु सुरक्षित रख जा सकते हैं । इन शिविरों में पशुओं के लिये पीने के पानी तथा चारे की व्यवस्था की जायेगी । हमने महामारियों का सामना करने के लिये भी कारगर कार्यवाही की है । हम प्रत्येक किस्म की संभावित समस्या के प्रति जागरूक हैं और प्रत्येक के लिये उचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

यद्यपि वर्तमान संकटका सामना करने के लिये सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है, किन्तु इस चुनौती का सामना करने के लिये जनता तथा सभी राजनतिक दलों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है । सहयोग न मिलने से आसानी से गड़बड़ पैदा हो सकती है । सीमाओं पर हमारे शत्रु हमारे देश के अन्दर गड़बड़ी फैलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हमें शत्रुओं के इस प्रकार के प्रयत्नों को विफल कर देना चाहिए । जो गंभीर स्थिति आज देशके सामने है उसका हम केवल सहकारी तथा समुचित प्रयत्नों द्वारा ही सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं ।

अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं उसके बारे में मैंने विस्तृत विवरण माननीय सदस्यों में वितरित किया है । माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में सरकार की नीति तथा कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : माननीय मंत्री ने अपना भाषण जनसंख्या में वृद्धि से आरंभ किया । किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में अन्य मंत्रालय से मिलने वाले सहयोग के बारे में कुछ नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री महोदया यहां पर उपस्थित हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभी प्रस्ताव सभा के सामने हैं । मैं सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा । मेरे पास 100 से अधिक नाम आये हैं । इतने सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकना संभव नहीं है । अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे मिलकर अपने वक्ताओं का चयन कर लें ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है अतः इसके लिये समय बढ़ाया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय अधिक से अधिक बढ़ाया भी जाये तब भी बोलने के इच्छुक सभी माननीय सदस्यों को अवसर देना संभव नहीं होगा ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : महोदय आपने कहा कि बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों को एक बार से अधिक आपका ध्यान आर्कषित करना पड़ता है। नाम देना ही पर्याप्त नहीं है। अब केवल दलों के नेताओं ने नामों की सूची दी है । अन्य सदस्यों की कोई रूचि नहीं है । वे सभा में उपस्थित नहीं हैं । इस लिये सभा में गणपूर्ति नहीं है । अतः वर्तमान मामले में पहली प्रथा अपनाई जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक कांग्रेसी सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें मेरा ध्यान आर्कषित करना होगा। अन्य दल अपना वक्ता चुन सकते हैं। जहाँ तक भाषण के लिये समय का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को बोलने के लिये केवल दस मिनट लेने चाहिए । विरोधी पक्ष निर्धारित समय के अन्तर्गत अपना समय वक्ताओं की सख्या के अनुसार बांट सकते हैं। यदि वे अधिक समय लेंगे तो सभी सदस्यों को अवसर दे सकना संभव नहीं होगा ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : इस चर्चा में प्रत्येक राज्य को एक एकक माना गया है चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। उत्तर प्रदेश से 60 कांग्रेसी सदस्य हैं किन्तु उसके केवल प्रतिनिधि को बोलने का अवसर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी संख्या को लाभ हानि दोनों ही होती हैं ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Speaker, as there is no quorum in the house after 2 P. M. Members catching your eye should only be allowed to speak on this subject. It will automatically solve the quorum problem.

Mr. Speaker : I have already done that whatever was possible. I cannot do any thing more.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Speaker, Sir, I have been observing for the last ten years that some Members are given chance every time to speak in this house where as others are deprived of the opportunity. I therefore request to give equal opportunity to every Member of this House.

Mr. Speaker : We should not waste our time, allotted for this debate on these discussions.

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों प्रस्तावों के लिये 12 घंटे निश्चित किये गये हैं। मैं उसे बढ़ाकर 15 घंटे कर देता हूं ।

श्री प्र० के० देव (कालाहाडी) : अध्यक्ष महोदय यद्यपि हम योजना के 15 वर्ष पूरे करने वाले हैं और हमने यह सोचा था कि अब तक हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे, हमने 10 करोड मीट्रिक टन का लक्ष्य भी निश्चित किया था, परन्तु हमारी सभी आशायें गलत सिद्ध हुई हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कमी को पूरा करने के लिये आयात और भी अधिक आवश्यक हो गया है और आयात किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। यदि हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न न मिलता तो स्थिति क्या होती, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। भारत जसे कृषि प्रधान देश के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि खाद्यान्न के उत्पादन पर पूरा बल दिया जाये और इस काम को प्राथमिकता दी जाये। हमें यथा शीघ्र आयात करने की नीति से छुटकारा पाना चाहिए।

[श्री प्र० के० देव]

योजना के पन्द्रह वर्षो और स्वतंत्रता के अठारह वर्षों के बाद भी भारत में कृषि ऋतु पर निर्भर है। चालू वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मौनसूनों के अनिश्चित रहने के कारण हमारे योजना बनाने वालों के अनुमान बिलकुल गलत सिद्ध हुये हैं। एसा अनुमान है कि इस वर्ष के दौरान दो करोड़ से लेकर ढाइ करोड़ मिट्रिक टन तक खाद्यान्न की कमी रहेगी। जहां तक रबी की फसल का सम्बन्ध है, भूमि में नमी नही रहीं है। इसलिए, रबी की फसल अच्छी होने की भी कोई आशा नही है।

देश भर में अकाल जैसे स्थिति के समाचार मिल रहे है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और केरल से हमें निराशाजनक समाचार प्राप्त हो रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी, जो कभी प्रचुरता वाले क्षत्र थे, बुरे समाचार मिल रहे हैं। कालाहांडी की स्थिति निराशाजनक है जिस के सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि उस पर समूचा उड़ीसा राज्य चावल के लिए निर्भर है और जो खाद्यान्न के मामले में प्रचुर अन्न वाला दूसरे दर्जे का क्षेत्र है। दुर्भिक्ष चारों ओर दिखाइ दे रहा है और यदि समय पर कदम नहीं उठाये जायेंगे तो स्थिति और भी कठिन हो जायगी।

उड़ीसा की जनता बड़े पैमाने पर अन्य स्थानों को जा रही है। लोग अपने पशु, सम्पत्ति, बर्तन, स्वर्ण आभूषण आदि बेच रहे हैं। उड़ीसा के परिवहन उपमंत्री ने भी यह वक्तव्य दिया है कि कुछ लोग खाद्यान्न की व्यवस्था न होने के कारण अपने बच्चों को बेचने के लिये तैयार हो गये है। वहां की स्थिति इस प्रकार की है। वहां भुखमरी के कई मामले हुये हैं। मुझ यह पढ़कर हैरानी हुई है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में चावल के मूल्यों में कमी हुई है यह बिलकूल गलत है।

वर्तमान कठिन स्थिति गलत आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं के निरंतर अपनाये जाने के सम्मिलित प्रभाव के कारण पैदा हुई है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं में कृषि और सिंचाई की अपेक्षा की है। कुल भूमि के केवल 20 से 22 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिये ही सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हैं। हमने नाईट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की अवहेलना की है। हम देश की समूची आवश्यकता के केवल एक चौथाई अन्न का उत्पादन करते हैं। आज इस बातकी आवश्यकता है कि हम अपने कृषि कार्यक्रमों और समूची योजना को प्रगतिशील बनायें। योजना में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सिंचाई को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। छोटी सिंचाई परियोजनायें ठीक नहीं हैं क्योंकि उनके लिए स्थानीय जल ही इकठ्ठा किया जा सकता है और उनका प्रयोजन भी सीमित है। इसलिए, बड़ी और मध्य आकार की सिंचाई की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रान्तीय या क्षेत्रीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। यद्यपि यहां पर कई लाभकारी परियोजनायें हैं, तथापि राजनैतिक कारणों के आधार पर तकनीकी अनुमति नहीं दी जाती है। अपर इन्द्रावती परियोजना सभी शर्तें पूरा करती है लेकिन फिर भी उसके लिए तकनीकी अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए और चौथी योजना के दौरान प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि न केवल उड़ीसा बल्कि समूचे क्षेत्र को लाभ हो सके।

यदि इस देश में कृषि का विकास करना है तो क्षेत्रीय और स्थानीय प्रतिबन्धों को हटाना होगा। इन प्रतिबन्धों से न केवल साधारण व्यापार प्रणाली में ही बाधा पड़ती है बल्कि इन से भ्रष्टाचार और चोरी छिपे माल लाने और ले जाने की सम्भावनायें भी बहुत बढ़ जाती हैं। निर्बाध बाजारों में अनाज बेचने के बारे में किसान का अधिकार माना जाना चाहिए। निर्बाध अखिल भारतीय बाजार पुन: स्थापित किये जाने से न केवल उत्पादन और सम्भरण को ही बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस से उत्पादकों को भी उचित मूल्य प्राप्त होगा। इस में एक वर्ष या कुछ समय लगेगा। जब तक उत्पादन मांग के समान नहीं हो जाता तब तक

सरकार को निर्धन वर्गो को रियायती दरों पर अनाज देने का प्रबन्ध करना चाहिये और इस उद्देश्य के लिये सरकार को बड़े बड़े किसानों मे लाभदायक मूल्यों पर अनाज खरीदना चाहिये।

जहां तक सहायता कार्यो का सम्बन्ध है, कृषि श्रमिकों को वैकल्पिक काम देने के लिये बड़े पैमाने पर सहायता कार्य शुरू किये जाने चाहिए। कृषकों को तकावी और अन्य ऋण उदारत से दिये जाने चाहिये। लगान पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए तथा सहकारी ऋणों और स्थानीय सरकार कई दूसरे के ऋणों की वसुली स्थगित की जानी चाहिए। इस बारे में विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा निदेश दिये जाने चाहिए।

संविधान के 17 वें संशोधन का निरसन किया जाना चाहिए। यदि कोई भूमि का स्वामी न रहे तो उसे प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है। ऐसे तथाकथित समाजवादी उपाय उन देशों में भी असफल रहे हैं जहां उन का आरम्भ हुआ था। रूस को अब भी खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। मुझे आशा है कि माननीय खाद्य मंत्री इस विधेयक को समाप्त कर देंगे क्योंकि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में समृद्धि का एकमात्र उपाय कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना है।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, at the outset, I would like to congratulate the Minister of Food and Agriculture for the pragmatic view he has teken regarding food situation, the present crisis is the result of the wrong policy so far pursued by the Government. Sufficient stress has not been laid on increasing agricultural production in the Plan. We should produce more so that we do not have to face any difficulty when there is a draught in the country.

Near famine conditions are prevailing in the country but the situation is not as grave as has been depicted by Shri P. K. Deo. It is necessary that whatever foodgrains we have and whatever we import from abroad, is distributed properly so that we can tide over the present crisis.

We should properly plan for food production in the country. Our farmers need money for agricultural purpose for which they depend on money-lender who charge high interest. Government should provide credit facilities to the farmers. It had been stated by the Government that the State Bank of India will open four hundred branches throughout the country. I think, nothing has been done in that direction.

The seed corporation should distribute seeds to the farmer at the right time because any delay in this matter would be harmful. The distribution of manures also needs improvement. Sufficient irrigation facilities should also be provided. All the work relating to agriculture should be centralised under one ministry.

So far as distribution system is concerned, the Zonal system has created more problems than it has solved. The State Zones should be abolished and a big rice Zone should be created for the South so that the responsibility for distribution of rice in the Southern states like Kerala and Mysore is lessened.

[Shaimati Jayaben Shah]

There should be free movement of wheat and pulses in the country. The Government should formulate a policy that the farmers with economic holdings will not get wheat, grams or any other commodity from fair price shops The agriculture labour should be given wages in kind.

Gujarat is a deficit state. There is generally a shortage of 18 million tons of food grain in that State. The Centre should give sufficient foodgrains to Gujarat and other states to meet their needs.

Shrimati Vimlabai Deshmukh (Amravati) : A grave problem regarding food grain faces the country. The Minister of Food and Agriculture has stated that there will be a shortage of 30 lakh tons of foodgrains this year owing to failure of rains. He wants to overcome this shortage by importing foodgrain from America. I urge him not to import foodgrains from America because our prestige is at stake. The Prime Minister has asked the people to miss-a-meal. We are prepared for any sacrifice in this connection. The 'miss-a-meal' compaign should be extended to the whole country and should be continued till we become self-sufficient. Our women can make it a success. This compaign should be organised in villages also as is done in the cities. The eating shops and restaurants should be closed on the evenings on which we have to miss-a-meal. Meals should not be served in public functions. The men at the top should set an example in that regard for the masses. We should also prevent wastage of food.

Pakistani aggression is a blessing in disguise. It has given us a new awakening and it has increased our self-confidence. We can solve our food problem by hard labour.

We should be able to overcome the food problem ourselves because our soil is fertile and we have got know-how. If we make a determination to save the food and produce more, God will help us.

Water is essential for farming. Our production can increase, if we dig more wells. Water is needed if we want to mechanise the agriculture No scheme has been formulated to produce small tractors in the country.

Shri Lahri Singh (Rohtak) : Sir, it is distressing to note that despite 18 years of independence and vigorous planning, the food situation remain the same as during the British regim. I submit that the following are the obstacles in the way of achieving increasing food production. The first is to remove small holdings which are uneconomic and without which all modern implements, tube-wells, furtlisers etc. are of no avail. We could not expect farmers having small holdings of one acre and even less, to produce enough for the whole country. For this we would have to enlarge the holdings and make co-operative farming compulsory or start agriculture on the basis of collective farming. This is the question of the whole country and we should not be afraid of agitation of any kind.

My second proposal is that as in France the Law of Primogeniture should be adopted here also so that after the father's death, the entire land should go to the eldest son to prevent any fragmenttion of land. Thirdly, land Reform should no longer be proceeded with and ceiling on land should be removed so that the holdings might swell and production might increase.

Since most of the rivers in the South as well as in the North are slow-fade rivers, therefore by their side shallow tube-wells should be provided, as also by the side of water-logged areas and spring time canals. Neither Government itself provides tube-wells nor does it provide necessary facilities as providing credit either from the district authorities, subsidy, nor co-operative societies and electricity, in the alternative diesel has prohibitive duty on it and therefore cannot be afforded. In areas like Rajasthan deep tube-wells should be sunk as in America and then you would see that Rajasthan alone would be able to produce food grains for the whole country. But look at the Budget and you would find that not even Rs. One crore has been allotted for this.

Regarding manure and fertilisers, I might submit that all cow-dung should go to the fields and its burning should be banned altogether. As in China, even human excreta, which is very high quality manure, should be collected and used as such. Chemical Fertilizers should be made available to farmers at subsidised and cheap rates to encourage them to produce more and arrangements should be made to provide fertilisers to them on credit, payment of which might be allowed to made after harvests. Tractors and other farm implements should be made available at cheap rates.

Under the present circumstances, when the traders are bent upon taking undue advantage of their position, monopoly procurement and rationing are of absolute necessity.

I would request the Government to consider these suggestions carefully and take action accordingly lest we might come to grief.

Shri Gahmari (Ghazipur) : In view of the wide-spread drought conditions in the country the situation is really grim as regards foodgrains. In Eastern districts of U. P. Rabi Crops are withering away and rice crop has almost completely failed. This therefore is an occassion for contemplation rather than discussion when we all should join our heads to chalk out measures to combat the present crisis.

When we have no say in the ways of providence, we must consider why and where the Government failed. Bureaucracy is the bane of all Government endeavour and the result is total neglect in providing irrigation facilities. Tube-wells are either not there or are not working properly. Assistance allotted for raising the level of houses in flood affected areas and sinking of wells etc. is being misused and misappropriated by engineers, oversears and others. The Government should exercise proper control over their officials.

We, the farmers, are already hard put to have single-meal days throughout the year and toil day and night to produce as much as is in our power—in these circumstances Shri Shastri's appeal to miss-a-meal once a week is superfluous for them and I am sure he is very well aquainted with their conditions.

The ban on sub-letting of land is telling upon agricultural production, this should be removed. Smuggling in foodgrains, which is going on with police complicity, should be checked.

[Shri Gahmari]

I must warn the Government against imminent famine which stares the country in the face. Let us not consider food on party lines and let all of us join our heads to get out of this critical situation.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : It is really a matter of regret that even after 18 years of independence and planning, we continue to depend on others in the matter of food, when we are predominently an agricultural nation. Since it is necessary to distribute foodgrains, equally among all, in the present crisis, I therefore support the introduction of rationing and imposition of levy on farmers in possession of excess foodgrains to bring it out. Whereas all the Government measures would receive wholehearted support of every one of us, the Government would have to review the working of supply and Rationing Departments whose work had, in the past, been found quite unsatisfactory and faulty. Nothing much could be achieved without this. Controlled distribution should be equitable and free from all faults and irregularities. It is because of these shortcomings that people have come to hate rationing.

I would now attempt to list the causes of scarcity and point out what we have not done to produce enough.

First of all, the Government should bring about land consolidation which has taken place now here except Punjab. Secondly, scientific investigation has failed to make any impact on the agriculturist. This is because of unsatisfacatory work of Extension officers. Irrigation facilities are inadequate and not fully made use of, for which both the Government and the people are to blame. If proper arrangements could be made, then we could have two or even three crops in a year. As pointed out by Smt. Jayaben Shah, credit facilities to farmers are also quite inadequate. As proposed, if Reserve Bank, State Bank, L.I C., Agricultural Refinance Corporation would actually render financial assistance much could be achieved. Regarding fixation of foodgrains prices, there should be *vis-a-vis* expenditure per acre of agricultural land. Many Committees were set up to devise formulae to calculate this expenditure but none with satisfactory results. It would not be possible to fix prices scientifically without calculating it. The Government should take concrete steps in this regard and cause a report to be laid in the House. It is more than a year that a Committee with representatives of various Ministries was appointed by National Development council to find out why certain State had not gone ahead with land reforms and to get this work expedited but no progress appeared to have been made by it. This should be expedited. Also there appears to be no coordination between various Ministries and Departments as regards various policies concerning food production. I am sure the hon. Minister would see that the benefits of sceintific research and investigation reach all the farmers of the country. Alongwith foodgrains, we should try to increase the production of milk, fish, meat and eggs. I am sure that provided with necessary facilities and assistance the country's farmers would meet the challenge successfully.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : क्योंकि वर्तमान खाद्य संकट क्षणिक नहीं है इस लिय मेरे विचार से हमें यह चर्चा अल्पकालीन उपाय खोजने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिये यद्यपि वर्तमान संकट इस वर्ष सूखा पड़ने तथा पी०एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं मिलने में अनिश्चितता के कारण उत्पन्न हुआ है, परन्तु गत वर्ष जब कि हमारी फसलें बहुत अच्छी थीं और उत्पादन भी सर्वाधिक हुआ था परन्तु सरकार नें व्यापारियों को अनाज की जमाखोरी आदि की ढील दी और इसी के परिणाम-

स्वरूप उन्होंने सारा अन्न दबा लिया और स्थिति इस वर्ष बहुतही खराब हो गई। अब सरकार द्वारा हमें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आपातकालीन स्तर पर निर्णायक उपाये किये जा रहे हैं। त्याग की आवश्यकता पर भी बड़ा बल दिया जा रहा हैं परन्तु इसकी आशा कैसे की जा सकती है जब कि किसान 25 से लेकर 100 प्रतिशत की दर तक उधार लेकर अपना काम चलाता हो और उसकी प्रति दिन की औसत आय 68 पैसे हो। श्री बिड़ला के समाचारपत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पिछले दिनों जो लेखमाला प्रकाशित हुई थी उसमें प्रत्येक राज्य की खाद्य स्थिति के भूत और भविष्य का सिंहावलोकन किया गया था। और उस से यह धारणा बनती थी कि सभी राज्यों में खाद्य स्थिति खराब होने की जिम्मेदारी या तो राज्य सरकारों पर है या केंद्रीय सरकार पर। अभी हाल ही में पंजाब सरकार से अंबाला के निकट १,००० एकड़ भूमि संयुक्त खेती के लिये किसी बड़े उद्योगपति को दी गई है और यदि उन्हें भी वही कठिनाइयों का सामना होता जो एक साधारण कृषक को होता हैं तो वे यह कार्य हाथ में लेने को कभी तैयार न होते।

खाद्य मंत्री ने यहां तक कहा है कि हमारी खाद्य नीति और आयोजनों का भविष्य तथा सफलता पश्चिम बंगाल में किये जा रहे प्रयोग की सफलता अथवा असफलता पर निर्भर है—हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और वसूली की एकाधिकार प्रणाली तथा राशनिंग का समर्थन करते हैं जैसा हमने कई बार यहां कहा है। नगरों में संविहित राशन व्यवस्था हो और गांवों में संशोधित राशन व्यवस्था तथा नियंत्रित संभरण व्यवस्था लागू की जानी चाहिये। पश्चिम बंगाल में एकाधिकार वसूली का जो तरीका अपनाया जा रहा है वह किसानों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेगा और दबाव से यह योजना सफल न होगी। राज्य सरकार ने वसुली की जो दर निश्चित की है वह भी बहुत दोषपूर्ण हैं। इससे लघु और मध्यम श्रेणी के किसानों के पास उनकी अपनी तथा उनके परिवार की आवश्यकता अनुसार भी धान नहीं बचेगा जबकि बड़े बड़े भूस्वामियों, जिन्हें वहां 'जोतदार' कहा जाता है, के पास उनकी निजी आश्यकता से कहीं अधिक धान बचा रहेगा जिससे वह काला बाजार करेंगे। जो योजना इतनी महत्वपूर्ण हो उसमें यह त्रुटि असहनीय है और मुझे इसकी सफलता में संदेह है। कलकत्ता में संविहित राशन की सफलता की काफी चर्चा की गई है परन्तु इसके निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में चावल 3 रु० किलो में भी उपलब्ध नहीं है और वहां के श्रमिकों को जो हज़ारों की संख्या में वहां रहते है बहुत कठिनाई का सामना है। इसके कारण कई मिलें बन्द कर देनी पड़ी हैं और उत्पादन में काफी कमी हो गई है।

हमें इस समस्या की जड़ में जाना चाहिये केवल इस वर्ष के लिये तत्कालिन उपायों के करने से काम नहीं चलेगा।

सरकार यह कह कर देश को धोखे में डाल रही है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाले अनाज का मूल्य हमें विदेशी मुद्रा में नहीं चुकाना पड़ता। प्रतिरूप निधि (काउटंरपार्ट फंड) का 12.5 प्रतिशत केवल अमरीकी अधिकारीयों के उपयोग के लिये इस देश में रखा जाता है। कूली एमेंडमेंट प्राधिकार (Cooley Amendment Authority) के अन्तर्गत इस देश मे गैरसरकारी क्षेत्र के उपक्रमोंके लिये भारत-अमरिकी सहयोग के लिये इन प्रतिरूप निधियों का 6.8 प्रतिशत नियत किया गया है। ये दोनों मद मिल कर लगभग 60 करोड़ रु० प्रतिवर्ष हो जाते हैं।

इन प्रतिरूप निधियों में से एक करोड़ की रकम इस देश में आनेवाले अमरी ी पर्यटकों के उपयोग के लिये रखी गई है। मैं समझता हूं कि एक नया प्रस्ताव है जिसके अनुसार इन प्रतिरूप निधियों का 3.5 प्रतिशत केवल अमरीका के उपयोग के लिये विदेशी मद्रा में बदला जायेगा। यदि इन सब का जोड़ किया जाये तो लगभग 110 करोड़ प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा बन जाती है।

वार्षिक आयात के आंकड़ों से पता चलता है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं जा रहे अपितु उससे उलटी ओर जा रहे है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

पहली योजना से पहलें के पांच वर्षों में हमने 26.5 लाख टन प्रति वर्ष आयात किया। प्रथम योजना के दौरान हमने 24.2 लाख टन प्रतिवर्ष आयात किया। द्वितीय योजना में हमने 3.41 लाख टन प्रति वर्ष आयात किया। तृतीय योजना के पहले चार वर्षों में यह मात्रा बढ कर 44.4 लाख टन हो गई है।

देखने की बात यह है कि इस आयातित अनाज से हमारी प्रति व्यक्ति उपलब्धता 13.2 औंस प्रति दिन से बढ कर 14.5 औंस प्रतिदिन हो जाती है। केवल 1.3 औंस प्रतिदिन अधिक उपलब्धता के लिये हमें इतना महंगा अनाज आयात करना पड़ता है।

कृषि उत्पादन का काम इस समय सात या आठ मंत्रालयों में बटा हुआ है। इस तरीके से तो हम संकट का मुकाबिला नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार खाद्य समस्या को हल करना चाहती है तो कृषि उत्पादन एक उच्च शक्ति प्राप्त अकेला विभाग खोला जाय और उसे कृषि से संबंधित सभी मंत्रालयों के काम को सौंपा जाये।

संयुक्त पूंजी (ज्वाइंट स्टॉक) फार्मों की वकालत करने वाले यह तर्क देते हैं कि छोटी बातों में वैज्ञानिक तथा आधुनिक तरीकों को काम में नहीं लाया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इस पर सरकार की क्या राय है। परन्तु पंजाब में श्री बिड़ला को 1000 एकड़ भूमि दी गई है। मुझे बताया गया है कि वह मध्य प्रदेश में भी उस से भी अधिक भूमि लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु मुझे इसमें कोई सार नज़र नहीं आता क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं जापान में एक औसत जोत भारत की औसत जोत से भी कहीं छोटी होती है, परन्तु उसका धान का उत्पादन संसार में सब से अधिक है। जापान में प्रति एकड़ 94 किलोग्राम उर्वरक उपयोग में लाया जाता है जब कि भारत में केवल 1.3 किलोग्राम। इस लिये जोत का छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, प्रश्न तो यह है कि एक छोटे से टुकड़ में कितनी खाद और पानी दिया जाता है।

[श्री सोनवने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

अब मैं भूमि संबंधी सुधारों के प्रश्न को लेता हूं। श्री लाउजेन्सकी ने अपने प्रति वेदन में इस संबंध में बहुत ही उपयोगी सिफारिशें की हैं। वे हैं भूमि वापस लेने पर रोक, भूमि अभिलेखों का उचित ढंग से तयार किया जाना, नकदी में कम किराया और फसल की बांट की समाप्ति। परन्तु इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब हम देखते हैं कि आमूल परिवर्तन किय बिना किसानों को उत्साहित नहीं किया जा सकता।

जब तक किसानों के लिये कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था नहीं की जाती खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। जब स्टेट बैंक खोला गया था उसने वायदा किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 400 या 500 शाखाएं खोली जायेंगी। परन्तु एसा नहीं किया गया है। सहकारी समितियों द्वारा कृषि संबंधी ऋण का केवल 15 प्रतिशत ही दिया जाता है और शेष 85 प्रतिशत के लिये किसानों को महाजनों पर ही निर्भर करना पड़ता है जो कि बहुत मोटा ब्याज लेते हैं। 20 प्रतिशत देहाती परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है जबकि 5 प्रतिशत के पास 40 प्रतिशत भूमि है। इतने कानून बनाने के बावजूद भी इस एकाधिकार को समाप्त नहीं किया जा सका है। 70 प्रतिशत जोत अभी भी 6.64 एकड़ की औसत राष्ट्रीय जोत से छोटी हैं। यह है हमारी कृषि और भूमि वितरण का हाल। इस लिय दीर्घकालीन उपायों का करना अत्यावश्यक है।

अब भी रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष अनुसूचित बकों ने अनाज को रख कर पहले के मुकाबले बहुत अधिक ऋण दिया। इसी पैसे से बड़े पैमाने पर जमाखोरी और मनाफाखोरी होती है। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और किसानों के लिये ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : पिछले सतरह, अठारह वर्षों से जब भी फसल खराब हो जाती है सरकार यह दलील देती चली आई है कि सुख के कारण या मानसून की खराबी के कारण फसल खराब हुई है। सरकार आज पहली बार ही ऐसा नहीं कह रही है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है हम एक राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति नहीं बना सके हैं। हाल ही में एक कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया गया था। परन्तु कोई स्थायी दल न बता कर इस आयोग ने भी केवल तदर्थ मूल्यों की घोषणा की। तदर्थ आधार पर भला कृषि की नीति कब तक चल सकती है। हमारी कृषि संबंधी नीति किसान के हितवाली होनी चाहिय। किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये और इसकी गणना सही ढंग से की जानी चाहिये।

जब तृतीय योजना चालू की गई थी तो कहा गया था कि हम इस योजना के अन्त तक खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। अब भी यही कहा जा रहा है कि 1970-71 तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। पिछले 17-18 वर्ष के अनुभव को ध्यान में रख कर तो मैं यही कह सकता हूं कि यदि हमारी क्रियान्वित की गति वही रही तो हम 1970-71 तक भी खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पायेंगे।

हमारा एक राष्ट्रीय खाद्य बजट होना चाहिये। इस समय यह हो रहा है कि जो बहुतात वाले क्षेत्र हैं वहां के लोग तो मौज करते हैं और खूब पेट भर खाते हैं और जो कमी वाले क्षेत्र है वे भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। एक ही राज्य के दो भागों में ऐसा हो रहा है। काश्मीर घाटी में चावल काफी है परन्त जम्मू में इसकी भारी कमी है। इस भेदभाव को हमें दूर करना चाहिये। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिय कि वह जो भी योजनाएं राज्य सरकारों के लिये बनाती है राज्य सरकारें उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित करें।

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain) : Mr. Chairman, Sir, the conditions in Madhya Pradesh are extremely criticial even the perennial rivers and streams have stopped, the ponds and tanks have gone dry, the water level in the wells has gone down. There is problem to meet the requirement even of drinking water for me and animals. The production of great millet has fallen by 12 lakh tons this year and that of rice by 21 lakh tons due to failure of rains. The overall fall in production of *Kharif* crop is roughly of 35 lakh tons.

As regards *Rabi* crop we were having good hopes about it. Wheat has been sown in a limited area. Gram had been sown in a bigger area but that has been affected by the pests and the insects. Near about Bhopal the crop is about one lakh acres of land has been affected by *illy*. Similar reports have been received from Ratlam and Ujjain.

Government have formulated certain schemes for giving help to the States famine conditions are present. It is really sad that the name of Madhya Pradesh has not been included in that.

Similarly other schemes have also been formulated, such as the Desert Development Board for Rajasthan and schemes for hilly areas. There is lakhs of acres of land in Chambal *Bihd* which is fertile and enough quantity of wheat can be produced here if something is done to it. Madhya Pradesh should be included in the Scheme to develop this land.

Madhya Pradesh produces 11·5 percent of the total food production of the Country. The yield per acre in Madhya Pradesh is lowest as compared to all the States. Therfore there is great scope for increasing the yield per acre.

[Shri Radhe Lal Vyas]

The irrigation potential in my State is perhaps the highest. The work on several medium and bigger irrigation schemes has been given up for want of funds. They are in the middle. If they are completed they will increase the agricultural production in my State manifold. These projects involve an expenditure of about Rs. 12 crores. There are hundreds of multipurpose projects in hand with the present speed they are not likely to be completed even in 100 years. In the Chhatisgarh area 1,600 tanks can be constructed at a cost of Rs. 25,000 per tank. The overall expenditure will be Rs. 14 crores and 8 lakh acres of land will be irrigated resulting in an increase of a 4 lakh tons of foodgrains.

There are no big farms in our State. For the production of seeds a big farm can be set up in Ujjain. We are not given any foreign exchange for the purchase of tractors. A fertiliser factory should also be established in our State. We have no sugar on cooperative basis where as there are so many in other States.

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : आज खाद्य मंत्री महोदय का भाषण सुन कर और जो बल उन्होंने आत्मनिर्भरता पर दिया है उससे मुझे बड़ी राहत मिली है। मैं दस वर्ष से यहां यह सुन रही हूं कि हम कुछ वर्षों में ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे। परन्तु श्री सुब्रह्मण्यम् के भाषण में मुझे कुछ अन्तर नज़र आया। मैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि यदि बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाये तो भी राष्ट्र इस सरकार को असफल नहीं बनायेगा।

जहां तक विकास तथा प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहती हूं कि कुछ दिन हुये जब प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग आरम्भ करने के लिये लाइसेंस लेने के उद्देश्य से कुछ लोग आन्ध्र प्रदेश से यहां आये परन्तु उन्हें इनकार कर दिया गया।

हम खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने और कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देने की बात तो करते हैं परन्तु जो परिणाम प्राप्त हुये हैं उनसे इन कार्यक्रमों का कोई संकेत नहीं मिलता। प्रश्न यह है कि क्या हम उस दिशा में सभी अपेक्षित कदम उठाते रहे हैं अथवा नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि भारत, जहां की 80 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, अभी तक अपनी खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर है। प्रतीत होता है कि सरकार आत्म निर्भर होने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार करना नहीं चाहती जब तक कि इस पी०एल० 480 तथा अन्य साधनों से अनाज मिल सकता है।

मैं कहना चाहती हूं कि खाद्य सम्बन्धी हमारी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाये। यदि सरकार उत्पादन बढाने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है तो इसे नागार्जुनसागर परियोजना और अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाओं को केन्द्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित करना चाहिये। जिन परियोजनाओं से खाद्य उत्पादन बढने वाला है उन्हें ठीक ढंग से चलाया जाना चाहिये।

मैं अभावग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। सरकार ऐसे क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के हेतु पर्याप्ति कार्यवाही करने में सदा असफल रही है। आन्ध्र प्रदेश में मेरे ज़िले में स्थिति अत्यन्त खराब है। गावों में पानी की अत्यन्त कमी है और लोगोंको पीने के लिये भी जल नहीं मिलता। बड़ी योजनायें बलनाने या बड़े बांध बनाने का कोई लाभ नही यदि हम लोगो को पानी तक भी उपलब्ध न करा सकें। लोग अब अधिक देर तक इस स्थिति को सहन नहीं करेंगे। सरकार को अभावग्रस्त क्षेत्रों को स्थायी तौर पर राह देने के लिये अवश्य कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और उसे केवल मात्र यह नहीं कहना चाहिये कि यह समस्या अत्यन्त भीषण है और आसानी से हल नही की जा सकती।

मैंने अनुसंधान शाखा से आंकड़े एकत्रित किये हैं। देश के कुछ भागों में वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

में यह कहना चाहती हूं कि खाद्यान्न के उत्पादन की ओर ध्यान देना ही काफी नहीं है। खाद्य पर नियंत्रण होना चाहिये तथा अकाल दूर करने के बारे में कदम उठाये जाने चाहियें। जहां तक अकाल सम्बन्धी सहायता तथा राजस्व का सम्बन्ध है हमारी संहिता बहुत ही पुरानी है। और हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हमने उसमें सुधार नहीं किया है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वह कमी वाले क्षेत्रों को स्थायी तौर पर सहायता देंगे। हम खाद्यान्न के बिना रह सकते हैं परन्तु हम बिना पानी नहीं रह सकते। मुझे आशा है कि कमी वाले क्षेत्रों में सरकार तुरन्त ही पानी का प्रबन्ध करेगी।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में मैंने प्रशासन में जो दोष हैं, उनकी और ध्यान दिलाया है। सरकार खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने, कमी वाले राज्यों को उचित तथा पर्याप्त सहायता देने, जमाखोरी तथा चोरबाज़ारी करने वाले लोगों की गतिविधियों को रोकने, मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा छोटे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिये पर्याप्त उपाय करने में विफल रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद और निरन्तर तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के बावजूद भी हम अभी तक खाद्यान्न के मामले में कमी अनुभव करते हैं। देश में जनसंख्या में केवल दो प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह बड़े दुःख की बात है कि हम दो प्रतिशत तक भी अपना खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ा सके हैं। 18 वर्षों तक निरन्तर प्रयत्न करने के बावजूद भी हम अपनी खाद्य समस्या हल नहीं कर सके हैं। इस कारण विदेशों के रहने वाले हमसे यह पूछ सकते हैं कि क्या हम स्वाधीनता के पात्र हैं? **(अन्तर्बाधा)** मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज बैंकों के पास तथा जमाखोरों के पास कितना अनाज है इसका कोई उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। हमारे आंकड़े सब झूठ हैं। कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण अवश्य ही अनर्थवादी है। कृषि मंत्रालयका कोई भी कर्मचारी कृषक नहीं है। यदि हम यह मान भी लें कि हमारी कुल कमी 5 और 8 प्रतिशत के बीच है, हमारे लिये अनाज का उपयोग कम करके उस कमी को पूरा करना बहुत कठिन नहीं है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जिन राज्यों में फालतू अनाज है, वे ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हैं।

हमारी खाद्य समस्या मुख्यतया बाहुल्य वाले राज्यों तथा जमाखोरों और चोरबाज़ारी करने वाले लोगों के पारस्पारिक अपवित्र गठजोड़ के कारण उत्पन्न हुई है। प्रचुरता वाले राज्य अन्य राज्यों से अधिक दाम लेना चाहते हैं और सब राजनीतिज्ञ और जमाखोर तथा चोर बाज़ारी करने वाले लोग उनके समर्थक हैं। कमी वाले राज्यों को अनाज नहीं मिलता क्योंकि प्रचुरता वाले सभी राज्य शक्तिशाली हैं। और सरकार प्रशासन द्वारा न्याय कराने में असफल रही है।

भिन्न-भिन्न राज्यों में राशन की भिन्न-भिन्न मात्रा हैं। यह अनुचित है।

जबतक केन्द्रीय सरकार यह निदेश देने के लिये तयार नहीं होती कि सब राज्यों में समान राशन व्यवस्था और समान स्तर पर वसूली हो, यह समस्या हल नहीं होगी। सरकार को राशन व्यवस्था अथवा वसूली के बारे में समान विधि लागू करनी चाहिये। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जमाखोरों तथा चोरबाज़ारी करने वालों ने जो अनाज जमा किया हुआ है वह खुले बाज़ार में आये। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि सब राज्यों में खरीदे गये धान का मूल्य समान हो।

केरल में और संभवतया अन्य राज्यों में भी दो प्रकार के राशन वाले अनाज हैं और साधारण राशन वाले अनाज के मूल्य उन मुल्कों से अधिक बढ़ गये हैं जो छः मास पहले प्रचलित थे। बढ़िया

[श्री श्रीकान्तन नायर]

किस्म का चावल तो और भी अधिक मूल्य पर मिलता है । ग्रामों में एक प्रकार की चोरबाजारी चल रही है और इसका अन्त तब तक नहीं हो सकता जबतक कि प्रत्येक राज्य में वसूली न की जाये और किसानों से एकाधिकार प्रणाली द्वारा अनाज न खरीदा जाये । फसलों का बीमा होना चाहिये । इससे किसान अनाज का उत्पादन बढ़ायेगा और उसे सहकारी समितियों से ऋण भी मिल सकेगा । किसानों को खाद आदि खरीदने के लिये उचित सहायता दी जानी चाहिये ।

बहुत बार मंत्री महोदय ने इस सभा में यह आश्वासन दिया है कि जो कर्मचारी खाद्य निगम में जायेंगे उनके हितों की रक्षा की जायेगी । परन्तु यह हो रहा है कि राज्य सेवाओं से आये लोगों को पदोन्नति दी जा रही है । यह उन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य में बाधक होता है जो पिछले दस या पन्द्रह वर्षों से भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं । अब उनको कहा जा रहा है कि खाद्य निगम द्वारा लगाई गई सेवा की नई शर्तों को स्वीकार करें । खाद्यइन्स्पेक्टर आदि नियुक्त किये जाते हैं और उन्हें 50 रुपया अधिक देकर प्राशिक्षण के लिये भेजा जाता है । पुराने कर्मचारियों की उपेक्षा की जाती है । इससे उनकी दक्षता पर कुप्रभाव पड़ सकता है और खाद्य निगम को हानी पहुंच सकती है । जो व्यक्ति अयोग्य हैं उन्हें आप हटा सकते हैं परन्तु जो-कर्मचारी इतनी वर्षों से सेवा में हैं उनकी ओर घ्यान दिया जाना चाहिये और उनसे उचित व्यवहार किया जाना चाहिये ।

श्री गजराज सिंह राव (गुडगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग यह मानते हैं कि खाद्यान्न का घोर अभाव है और किसी-किसी क्षेत्र में तो अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है । सरकार खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिय योजनायें बनाती है परन्तु उसके बावजूद भी यह समस्या हल नहीं होती । ये योजनायें किस प्रकार कार्यान्वित की जाती हैं ? केन्द्रीय सरकार सदैव ही यह कहती है कि ये राज्य सरकारों द्वारा लागू की जानी हैं । परन्तु कोई भी सरकार उत्तरदायी नहीं होना चाहती ।

मेरा निवेदन है कि हम भारत में सघन खेती द्वारा ही खाद्य समस्या दूर कर सकते हैं क्योंकि हम भूमि का क्षेत्र तो बढ़ा नही सकते । कहा जाता है कि चरागाहों में अनाज की फसलें बोई जायें । चरागाहें न होने से पशु कहां चरेंगे ? इसलिये यह नीति सफल नहीं हो सकती । सघन खेती के लिये सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । यदि हरियाना क्षेत्र में ये सुबिधायों उपलब्ध कराई जायें तो कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ जायगा और अनाज की कमी नहीं रहेगी । परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस ओर समुचित घ्यान नहीं दिया जा रहा है । सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये 1,000 रुपये तक की मांग की जाती है । लोगों ने सरकार को शिकायत की है परन्तु सरकार ने यह उत्तर दिया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती ।

खण्ड प्रणाली का अन्त किया जाना चाहिये । यदि ऐसी प्रणाली नहीं होगी तो कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अधिक उत्पादन करें । यदि हम वास्तविक कृषकों को प्रोत्साहन देंगे तो हम बहुत हद तक उत्पादन बढाने के योग्य हो सकेंगे । फिर अधिकतम मूल्यों का प्रश्न है । यह सुविदित है कि यह अधिकतम मूल्य एक मज़ाक है । यह मूल्य निर्धारित करने के लिये 1962–65 को आधार माना गया है परन्तु बाज़ार में प्रचलित मूल्य बहुत अधिक हैं । पी० एल० 480 पर निर्भरता देश का अपमान है ।

खाद का उचित उपयोग नहीं किया जाता । जहां तक खाद का सम्बन्ध है कृषकों को उचित सहायता दी जानी चाहिये ।

नगरीय क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि ग्राम्य क्षेत्रों के लोग ही अनाज उगायें । इन लोगों को कृषि-कार्य में धन लगाना चाहिये । केवल सरकार ही धन नहीं लगा सकती । जो लोग कृषि-कार्य नहीं करते, उन्हें कम से कम एक वर्ष के लिये कृषकों को ऋण देना चाहिये । इस प्रकार अधिकतम कठिनाईयां दूर हो जायेंगी ।

भारत सरकार ने जिस अमरीकी विशेषज्ञ को बुलया था, उसने यह कहा कि बिजली बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु शहरों में बिजली एकदम उपलब्ध कराई जाती है और ग्रामों को कई वर्षों तक बिजली नहीं दी जाती। सरकार को खाद्यान्न की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिये और हम एक वर्ष में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

श्री मलाइछामी (पोरियाकुलम) : जब हम खाद्य समस्या की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले इस ओर जाता है कि देश की जनसंख्या बढ रही है और हमने इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। वर्तमान खाद्य मंत्री इस समस्या को दूर करने के लिये भरसक प्रयन्त कर रहे हैं। इन्होंने ही पहली बार यह कहा कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जायें ताकि उन्हें उत्पादन बढाने के लिये प्रोत्साहन मिले। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान तथा तकनीकी प्रणाली का लाभ किसानों को मिलना चाहिये और कृषि-कार्य वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिय। खाद्यान्नों की उत्पादिकता में सुधार किया जाना चाहिये और उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि खाद्यान्नों की कमी दूर की जा सके। जिस भूमि पर सिंचाई होती है उसका क्षेत्र 60 प्रतिशत बढा है और खाद्यान्न का उत्पादन भी 60 प्रतिशत बढा है। इससे यह पता लगता है कि भूमि की उत्पादिकता में वृद्धि नहीं हुई है। भूमि की उत्पादिकता में कम से कम तीन गुनी वृद्धि की जा सकती है।

कृषकों की अच्छ बीजों, कृषि उपकरणों तथा सिंचाई और ऋण सुविधाओं की बढ़ रही मागों को पूरा किया जाना चाहिये।

जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है। यह समस्या इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रतिरक्षा की समस्या। खाद्यान्न की समस्या को हल करने के उद्देश्य से हमें यह सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त कुछ कार्यवाही करनी चाहिये कि यह कमी यथाशीघ्र दूर हो जाये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये हमें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करने चाहियें ताकि किसान भूमि की उर्वरता बढाने में रूचि ले सके। मुझे विश्वास है कि खाद्य मंत्री तथा सरकार इस ओर पूरा पूरा ध्यान देंगे और खाद्यान्न का उत्पादन बढा कर देश का सम्मान बढायेंगे।

इससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा, इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

ऐसा वातावरण तैयार करना आवश्यक है जिससे कृषक ऐसा महसूस करने लगे कि उत्पादन में वृद्धि से उसे लाभ पहुंचेगा, ऐसी स्थिति में वह कृषि के विकसित तरीके अपनायेगा और अपनी जमीन पर अधिक पुंजी लगायेगा।

जमीदारी पद्धति समाप्त करने का उद्देश्य काश्तकार को भूस्वामी बनाना था। सभी राज्यों में जमींदारी पद्धति समाप्त कर दी गई है, किन्तु इस सम्बन्ध में बनाये गये भूमिसुधार तथा काश्तकार कानूनों के बावजूद इतनी लम्बी अवधि तथा स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् आज तक भी काश्तकार भूस्वामी नहीं बन सका है और वह शोषण आदि का आज भी शिकार बना हुआ है। भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून भी भूस्वामित्व तथा भूमि उत्पादन शक्ति को बढाने में काफी प्रभावपूर्ण नहीं रहा है। इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना तथा राज्यों के सहयोग से ऐसे उपाय करना आवश्यक है जिनसे वतमान परिस्थितियों में परिवर्तन हो और काश्तकार को उस जमीन का भूस्वामी बना दिया जाये जिस पर वह खेती करता है। वर्तमान आपातकाल में एसा करना जरुरी है क्योंकि जहां तक आर्थिक विकास तथा लोगों के जीवन स्तर का सम्बन्ध है हमें उन दीर्घकालीन उपायों को भी कार्यान्वित करना है जिनसे केवल हमारे निकट भविष्य सम्बन्धी समस्याएं ही हल नहीं होती अपितु जो हमारे देश को एक स्थायी स्तर पर लाने के लिय भी सहायक होत हैं।

[श्री मलाइछामी]

आज तक भी उस अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिसे भूमिहीनों में वितरित किया जा सके। इसका मुख्य कारण जिला स्तर, विकास खण्डस्तर तथा ग्राम स्तर के राजकीय अधिकारियों का प्रतिकूल दृष्टिकोण है। इस प्रकार किसान लोग आज तक जमींदारों के ही नहीं अपितु ग्राम स्तर के राजकीय अधिकारियों के कठोर चंगुल में फंसे हुए हैं। चूंकि कृषि से लोगों को खाद्यान्न मिलते हैं और उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य सरकारों के अधिकतम सहयोग से उत्पादन वृद्धि तथा भूमि की उत्पादन शक्ति को बढाने के लिए सुनिश्चित कायवाही करें जिससे कि कृषकों अपने उत्पादन के लिये उचित मूल्य मिल सकें।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : (कचार) यह खेद का विषय है कि स्वाधीनता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात् भी हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसलिए सरकार का ध्यान खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनने के लिए "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन की ओर जाना चाहिए। यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एकमत हो कर राष्ट्रीय संकट काल में हमारे योग्य नेता माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री को सहयोग देने का निश्चय किया है किन्तु यह हमेशा के लिए तभी संभव हो सकता है जब कि लोगों को जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं यथा अन्न तथा वस्त्र प्राप्त होते रहें। हम इस वास्तविकता को छिपा नहीं सकते कि इस देश के आधे से अधिक लोगों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, फिर भी लोग सप्ताह में एक बार उपवास करने के लिये तैयार हैं—लेकिन मुझे सन्देह है कि इस समय खाद्यान्नों की कमी की समस्या इससे सुलझ जायेगी। बहुत ही कम संख्या में इस देश में अन्न के स्थान पर अन्य वस्तुओं यथा सब्जियां, फल, मांस या मछलियां की उपयोग कर सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार केवल अनाज वृद्धि का दिशा में ही नहीं अपितु विभिन्न सरकारी अभिकरणों के जरिये मछली उद्योग, कुक्कट पालन, डेरी फार्म आदि के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहे ताकि ये वस्तुएं कम तथा उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सकें और देश को अन्न की न्यूनता अनुभव न हो।

मैं नहीं समझती कि प्रशासन ने इस आशय के आंकड़े एकत्रित किये हों कि प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में एक वर्ष में एक बार खेती की जाती है और कितनी भूमि में दो बार। मैं यह अनुरोध करूंगी कि प्रशासन इस बात पर जोर दे कि अधिक उत्पादन के हेतु भूमि में वर्ष में दो बार खती की जाएं।

आसाम राज्य के लगभग सभी तराई वाले भागों में खती की जानी चाहिए। इससे अन्न उत्पादन वृद्धि के अतिरिक्त राज्य के भूमि हीन लोगों का पुनर्वास भी हो सकेगा।

मेरा इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव है कि कृषकों को प्रोत्साहन् देने के लिए प्रशासन को अनाजों के अधिकतम् तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए और इसके साथसाथ कृषकों को अच्छे तथा बढिया किस्म के बीज व उवरक उचित समय पर उपलब्ध किये जाने चाहिए। उत्पादन की वृद्धि के लिए सहकारी बैंकों के जरिये खेतीहरों को बीज, खाद तथा मवेशियों को खरीदने के लिए उचित समय पर ऋण दिये जाने चाहिए।

मैं प्रशासन से यह भी अनुरोध करती हूं कि वह उर्वारकों के उत्पादन में शीघ्रता से वृद्धि करें। तृतीय योजना की अवधि में आसाम में नामरूप नामक स्थान पर एक उर्वरक कारखाने का निर्माण किया जाना था किन्तु यह कार्य अब तक नहीं हुआ है। विलम्ब का कारण मुझे ज्ञात नहीं, किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार इस कार्य के हेतु काफी बडी धनराशि भवनों के निर्माण पर व्यय की जा चुकी है और अब इस कारखाने

का निर्माण उस स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र हो रहा है। इस प्रकार एक बहुत बड़ी धनराशि पहले ही बर्बाद की जा चुकी है।

मैं प्रशासन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि कुछ भूमि चाय के बागानों में तथा अन्य कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कृषियोग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है जिसमें आसानी से अनाजों अथवा नकदी फसलों की खेती की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अपना भाषण कल जारी रख सकती हैं क्योंकि अब सदन को आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करनी है।

---

*सीमावर्ती सड़कें

**BORDER ROADS

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I would not like to say anything with a view to accuse the Central or State Governments but I will definitely invite the attention of the House to those facts which are abviously responsible for the slackness and carelessness on the part of the Centre in the preparation, execution and implementation of the schemes and plans regarding the border roads. The Central Government have failed to pay adequate attention and to attach due importance to the matter if constructing roads along the borders of India.

The Rajasthan Government spent a total of Rs. 22 crores on the construction of roads in the last plan, and something out of these funds should certainly have been spent on the construction of border roads in the State and other places, but that was not done at all. There is long border between Rajasthan and West Pakistan and the Government of Rajasthan have not alone shown utter carelessness in the performance of their duty but the Centre too has not lagged behind in shirking its duty in so far as the construction of proper border roads in that State is concerned and it is primarily the duty of the Government of India as well as the State Government to see that proper border roads are constructed there.

So far as the construction of border roads in the Rann of Kutch area and N.E.F.A. is concerned, nothing has been done there and no specific progress has since been made even today, with the result that our armed forces had to face considerable difficulties in these areas and we had to suffer debacle and humiliation.

Now I come to an important border road—the Madhavpur road—in the Chhamb-Jurian-Akhnoor sector, the construction of which was suggested by our military authorities as far back as in 1952 and 1955. The suggestion was not agreed to and hence the road was not constructed. In case the road had been constructed on the lines suggested, our forces could have depended that area much more effectively and it would have enabled our army to surround the Pakistanis army with their ammunition. As the needful was not done, our army was greatly handicapped there.

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half an-hour Discussion.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

It is a matter of regret that Government of India and the concerned State Governments have not even cared to see that the lot of the people residing in the border areas is improved. They are even today remaining in the same old conditions as they have been hundreds of years ago. It is necessary for the Government to ensure the proper development of these areas.

Apart from the defence—needs, these border roads, if constructed, might have also helped the State Governments in checkings, smuggling in the border areas.

I, therefore, seriously charge that the Government of India and the concerned State Governments are guilty of neglecting the important matter of constructing border roads.

श्री च० क० भट्टाचार्य (रायगंज) : क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्पर्क स्थापित करने वाले सभी स्थानों के दोनों ओर सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा के लिए उचित पग उठाये गये हैं ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Government have failed to construct a railway line and a road all along the border from Kutch to Punjab, it should have constructed a parallel road along the border and should also have provided a rail-link in the Jaisalmer area. The Government should state why they have not been able to do so and whether they will formulate an itegrated plan in this regard.

श्री स० च० सामन्त (तामलुक) : यह कहा गया है कि 1 लाख रुपये गुजरात क्षेत्र के लिए तथा अन्य 1 लाख राजस्थान के लिए मंजूर किये गये थे, क्या यह धन राशि खर्च की जा चुकी है और विभिन्न सैनिक चौकियों को मिलाने वाली इन सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा राज्य सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की गई थी ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : Sir, it is not the concern of my Ministry to look into the question relating to the war preparedness, war-fronts, war-strategy and the war-tactics, however, it should be realised that the war-tactics change with time. The selection of areas for the construction of roads is a significant matter which is duly considered by our high military authorities or by those who deal with and decide our defence policy. We know that the area from Kutch to Ganganagar, including Barmer, Jaisalmer and Bikaner is a vast desert. It was often considered that a desert like this could not allow to facilitate the enemy to commit any agression on it. The other aspect of the question was that the construction of roads on this desert might also prove harmful or dangerous for our defence and more useful for the enemy. Anyway, the House may rest assured that Government have undertaken a comprehensive programme of road construction in this area which is being implemented with the cooperation of the State Government. Some of the roads which were urgently required from the defence point of view have since been completed and while others are under construction. I can assure that the work is being done speedily. But I will request the hon. Members not to ask me specific and detailed questions in respect of these roads as it would not be in the public interest to disclose the details in this regard for this information can be more useful for the enemy.

I would like to add one thing more for the general information of the hon. Members that it takes considerable time to construct roads in desert areas due to inclemencies of nature thereon and thus it becomes a difficult job to do so. So the roads have to be constructed these on scientific methods with a view to ensure them stability. So far as Shri Bhattacharya's question relating to the construction of border roads on points of contact with Pakistan is concerned, Government are implementing this programme and have achieved a considerable success therein. As regards Madhavpura road definitely there is no information available in this regard. Probably there might be some confusion in the name of the road, however, I will furnish the hon. Member Dr. Lohia with the requisite information later on. This is all what I have to submit.

Dr. Ram Manohar Lohia : This information may be conveyed to the House.

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 2 दिसम्बर, 1965/11 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday December 2, 1965/ Agrahayyana 11, 1887 (*Saka*).

GIPN—S6—10 Lok Sabha/66—11-10-66—600